भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय – सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	iii
अध्याय 1 : विहंगावलोकन		
1.1	प्रतिवेदन के संबंध में	1
1.2	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.3	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	9
1.4	वापसियों के लंबित दावें	10
1.5	लेखापरीक्षा प्राधिकार	11
1.6	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	11
1.7	लेखापरीक्षा प्रक्रिया	11
1.8	लेखापरीक्षा पर विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	12
1.9	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	13
1.10	अभिस्वीकृति	16
1.11	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	16
अध्याय 2 : वाणिज्यिक कर		
2.1	परिचय	20
2.2	कर प्रशासन	20
2.3	प्राप्तियों की प्रवृति	21
2.4	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	22
2.5	लेखापरीक्षा परिणाम	23
2.6	टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	23
2.7	त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना	25
2.8	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना	26
2.9	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	27
2.10	अस्वीकार योग्य आगत कर छूट (आईटीआर) को मान्य करना	28
2.11	माल एवं सेवा कर में परिवर्तन के लिए तैयारी	30
2.12	आगत कर क्रेडिट का दावा एवं स्वीकृति	31
2.13	लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रदाय नहीं किया जाना	32

अध्याय 3 : मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस		
3.1	परिचय	34
3.2	कर प्रशासन	34
3.3	राजस्व की प्रवृति	35
3.4	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	35
3.5	लेखापरीक्षा परिणाम	36
3.6	संपत्तियों के न्यून मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण	37
3.7	मुद्रांक शुल्क की त्रुटिपूर्ण दर का लगाया जाना	37
3.8	भूमि विकास से संबंधित अनुबंधों पर पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	38
3.9	सॉफ्टवेयर में अपर्याप्त नियंत्रण	39
3.10	पट्टा अनुबंधों के तहत देय या परिदेय रॉयल्टी की संपूर्ण राशि पर शुल्क/फीस आरोपित नहीं किया जाना	39
3.11	निष्कर्ष	40
अध्याय 4 : भू–राजस्व		
4.1	परिचय	42
4.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	43
4.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	44
4.4	भू–राजस्व एवं प्रीमियम का न्यून आरोपण	45
4.5	व्यपवर्तित प्रकरणों में भू–राजस्व की वसूली न होना	47
4.6	विभागीय निरीक्षण	48
4.7	निष्कर्ष	49
परिशिष्ट		51
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		139

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2018–19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हे प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2018–19 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया गया है।

अध्याय – I
विहंगावलोकन

1.1 प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जित करने वाले मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख विभागों की प्राप्तियों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन सम्पादित किया गया हैं।

इस प्रतिवेदन में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तु एवं सेवा कर, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, एव भू–राजस्व से संबंधित चार अध्याय सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 57.44 करोड़ है।

अनुपालन लेखापरीक्षा दिए गए विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन, इकाई अथवा इकाईयों के समूह के संबंध में जानकारी) का एक स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या वे लागू विधि, नियम, अधिनियमों, स्थापित कोड, आदि, एवं ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धातों तथा सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण, के संबंध में अनुपालन करता है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से, कार्यकारी को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम करना, उचित नितियों की रूपरेखा तैयार करना, साथ ही साथ निर्देश जारी करना जिससे संस्थान के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होना एवं बेहतर प्रशासन में योगदान, अपेक्षित हैं।

इस प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, संबंधित शासकीय विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाये गए अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा का परिणाम हैं। समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के संबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हे नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि, करों का निर्धारण, आरोपण, संग्रह एवं लेखांकन संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

यह अध्याय मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों, पाँच वर्ष की अवधि 2014–15 से 2018–19 मे राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति का विश्लेषण, एवं 31 मार्च 2019 की स्थिति में बकाया कर राजस्व के लंबित संग्रहण के विवरण का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। साथ ही, राज्य की राजस्व प्राप्तियों की जाँच का लेखा परीक्षा दृष्टिकोण रेखांकित किया गया है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की भी चर्चा की गई हैं।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अवधि 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्यों को समुनदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं पूर्व चार वर्षों की अनुरूप राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति, को **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

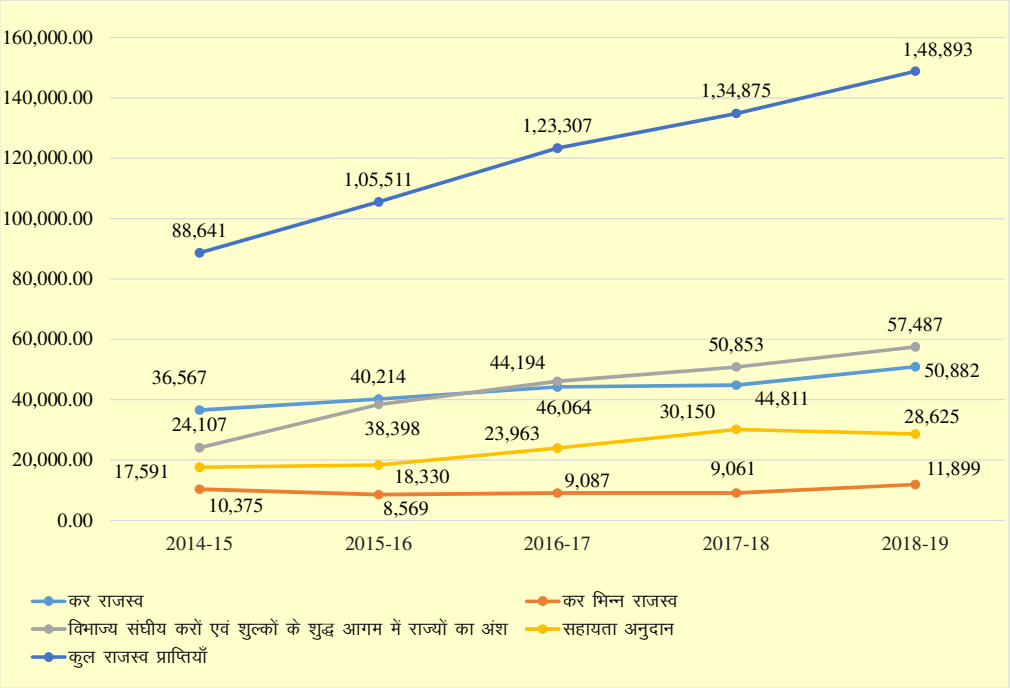

संसाधनों के एकत्रीकरण में राज्य के प्रदर्शन का आकलन, कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य के अंश एवं सहायता अनुदान को छोड़कर, के संदर्भ में किया जाता है, जो कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, 2014–17 (2015–16 में 9.97 प्रतिशत; 2016–17 में 9.90 प्रतिशत की वृद्धि) की अवधि में राज्य द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व एक स्वस्थ वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। यह 2017–18 में 1.40 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि प्रदर्शित करता हैं, परन्तु 2018–19 में ₹ 50,882 करोड़ की 13.55 प्रतिशत की सीमित वृद्धि से एवं राज्य की सम्पूर्ण राजस्व प्राप्ति का मुख्य योगदानकर्ता था।

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, राज्य को सौपे गए विभाज्य संधीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश, 2016–17 से 2018–19 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, 2014–15 से 2017–18 में सतत वृद्धि दर्शाता है; यद्यपि, 2018–19 के दौरान 5.06 प्रतिशत की कमी रही। 2018–19 के दौरान मध्यम वृद्धि को प्रदर्शित करने से पहले 2014–17 की अवधि में कर भिन्न प्राप्तियों में उतार–चढ़ाव रहा है।

राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की संरचना ने भी पाँच साल की अवधि 2014–19 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 1.2 एवं 1.3 से देखा जा सकता हैं।

2014–15 के विरूद्ध 2018–19 में राजस्व प्राप्ति की संरचना

चार्ट 1.2 : 2014–15

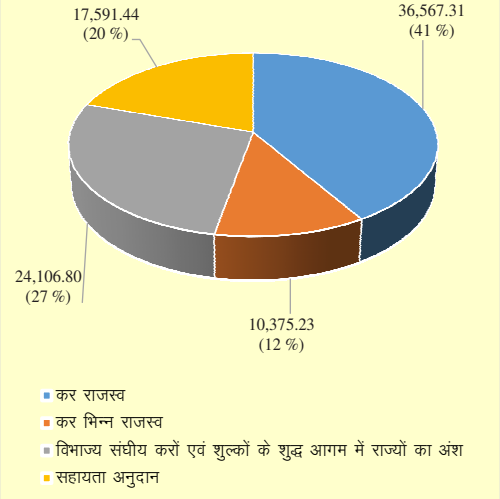

चार्ट 1.3 : 2018–19

(₹ करोड़ में)

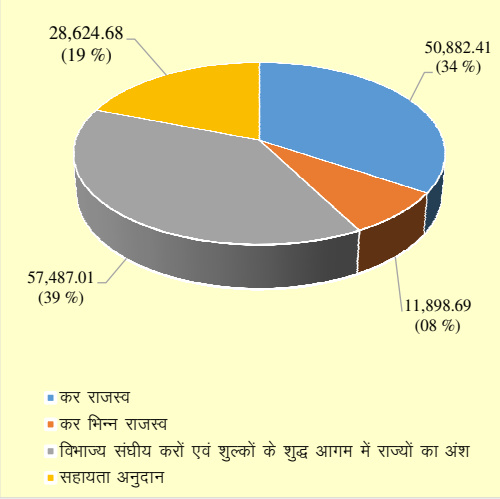

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि, राज्य को सौंपे गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश, 2014–15 के 27 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 39 प्रतिशत हो गया, जबकि राज्य के कर राजस्व का योगदान 41 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत हो गया एवं इसी अवधि में कर भिन्न राजस्व, 12 प्रतिशत से घटकर आठ प्रतिशत हुआ। राज्य के कुल राजस्व से, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व का प्रतिशत 2014–15 के 53 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 42 प्रतिशत हो गया।

1.2.1 कर राजस्व

राज्य शासन द्वारा अवधि 2014–15 से 2018–19 के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014–15	2015.–16	2016.–17	2017–18	2018–19	2018–19 में 2017–18 की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,135.96	19,806.15	22,561.12	14,984.04	9,903.20	(–) 33.91
राज्य वस्तु एवं सेवा कर[1]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8,696.12	18,508.49	(+) 112.84

[1] वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया।

माल तथा यात्री कर	2,686.39	3,084.76	3,805.04	1,159.30	117.50	(–) 89.86
राज्य उत्पाद शुल्क	6,695.54	7,922.84	7,532.59	8,245.01	9,542.15	(+) 15.73
मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	3,892.77	3,867.69	3,925.43	4,788.51	5,277.99	(+) 10.22
विद्युत कर तथा शुल्क	2,010.20	2,257.83	2,620.53	2,590.29	2,616.29	(+) 1.00
वाहन कर	1,823.84	1,933.57	2,251.51	2,691.62	3,008.26	(+) 11.76
भू–राजस्व	243.10	276.86	406.65	490.99	383.91	(–) 21.81
अन्य	1,079.51	1,063.96	1,090.78	1,164.98	1,524.62[2]	(+) 30.87
योग (1 से 9)	**36,567.31**	**40,213.66**	**44,193.65**	**44,810.86**	**50,882.41**	**(+) 13.55**

स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के संबधित वर्षों के वित्त लेखे
टीप – स.क्र. 1–3 के अतंर्गत प्राप्तियाँ वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित हैं।

अवधि 2018–19 में कर राजस्व में, पूर्व वर्ष से 13.55 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों में राशि ₹ 9,812.37 करोड़ की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के कारण रही।

1.2.1.1 2017–18 की तुलना में 2018–19 में प्राप्तियों में अंतर के कारण

जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.1 से देखा जा सकता है, पूर्व वर्ष 2017–18 से 2018–19 के दौरान राजस्व के विभिन्न मदों में प्राप्तियों में (–) 89.86 प्रतिशत से (+) 112.84 प्रतिशत के मध्य अंतर था। संबंधित विभागों ने निम्नलिखित कारकों को अंतर के लिए जिम्मेदार बताया :

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीसः इस मद में 10.22 प्रतिशत (₹ 489.48 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से पूर्व वर्ष से पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि (6.06 प्रतिशत) होना एवं साथ ही जनवरी 2018 में नगर पलिका शुल्क में वृद्धि, दो प्रतिशत से तीन प्रतिशत, होना भी रहा।

माल एवं यात्री करः 89.86 प्रतिशत (₹ 1,041.80 करोड़) की कमी का कारण माल एवं यात्री कर को वस्तु एवं सेवा कर के अतंर्गत कर दिया जाना रहा।

वाहनों पर करः 11.76 प्रतिशत (₹ 316.64 करोड़) की वृद्धि का कारण बेहतर प्रबंधन एवं मैदानी अमले के प्रयास रहे।

भू–राजस्वः राजस्व में 21.81 प्रतिशत (₹ 107.08 करोड़) की कमी मुख्य रूप से जिला स्तर पर अधिकारियों एवं अमले की कमी के कारण संग्रहण में कठिनाईयाँ, साथ ही साथ उनका अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त रहना रहा।

राज्य आबकारीः 15.73 प्रतिशत (₹ 1,297.14 करोड़) की वृद्धि का मुख्य कारण शराब दुकानों की निविदा के दौरान प्राप्त राशि में वृद्धि होना रहा।

[2] 'अन्य' में होटल प्राप्ति (₹ 0.02 करोड़), आय एवं व्यय पर कर (₹ 321.18 करोड़), कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 701.15 करोड़) और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 502.27 करोड़)।

कर राजस्व में राजस्व के विभिन्न मदों की भागीदारी (₹ करोड़ में)

चार्ट 1.4 (2014–15) **चार्ट 1.5 (2018–19)**

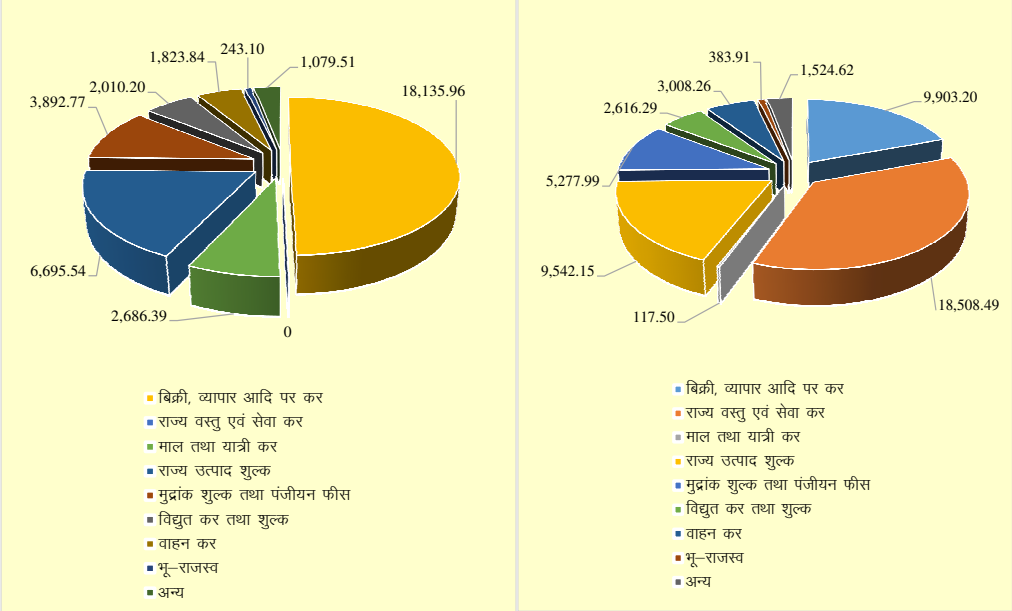

उपरोक्त चार्ट इंगित करते हैं कि, विगत पाँच वर्षों की अवधि में विभिन्न विभागों की भागीदारी काफी हद तक स्थिर रही हैं।

1.2.1.2 कर राजस्व के बजट अनुमान विरूद्ध वास्तविक

वर्ष 2018–19 के दौरान कर राजस्व के बजट अनुमान तथा वास्तविक की तुलना **चार्ट 1.6** में दी गई हैं।

चार्ट 1.6: वर्ष 2018–19 में कर राजस्व के बजट अनुमान तथा वास्तविक की तुलना

(₹ करोड़ में)

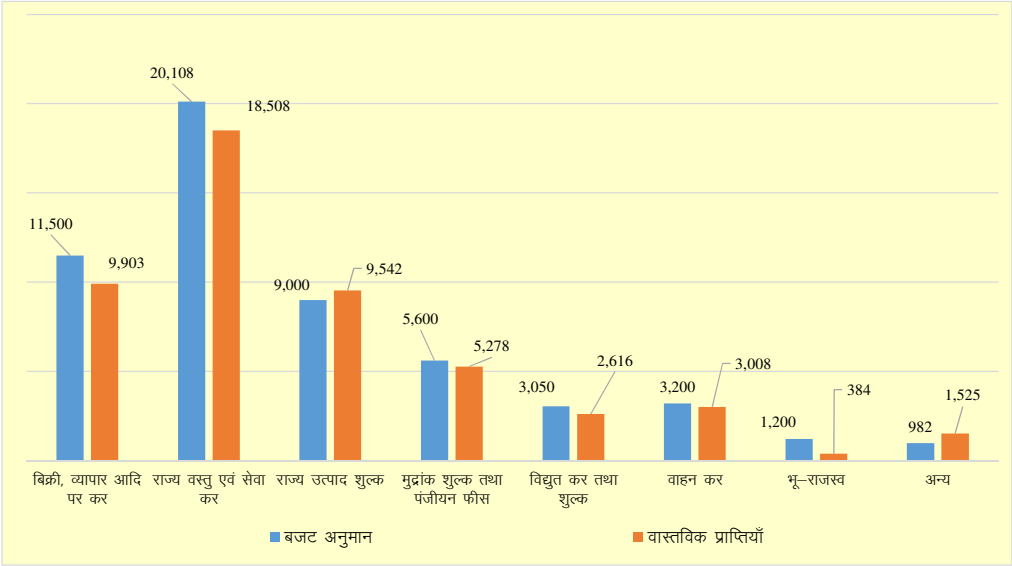

चार्ट 1.6 से देखा जा सकता है कि 2018–19 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य (–) 68.01 एवं (+) 55.22 प्रतिशत का अन्तर था। राज्य आबकारी को छोड़कर, जहाँ बजट अनुमान अधिक रहा, अन्य कोई भी कर प्राप्तियाँ बजटीय अपेक्षाओं को प्राप्त न कर सकी। बजटीय अनुमानों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों में कमी के संबंधित विभागों द्वारा बताये गये कारण नीचे दिये गये है:

राज्य वस्तु एवं सेवा करः कमी मुख्य रूप से, नई कर प्रणाली और नये साफ्टवेयर के प्रयोग में व्यवहारिक कठिनाई के कारण थी।

भू–राजस्वः कमी का कारण जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी और साथ ही उनका अन्य शासकीय कार्यो में व्यस्त रहना था।

विद्युत कर तथा शुल्कः शासन के बजट अनुमान अधिक थे, इसलिये कमी हुई।

अन्य तीन विभागों अर्थात, **पंजीयन तथा मुद्रांक, वाणिज्यिक कर (बिक्री, व्यापार आदि पर कर के लिये) और परिवहन** ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष के लिये संशोधित अनुमान (स.अ.) के आंकड़ों को प्राप्त किया गया।

1.2.2 कर भिन्न राजस्व

अवधि 2014–19 के दौरान वसूल किए गए कर भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया हैं:

तालिका 1.2 : कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2018–19 में 2017–18 की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,813.66	3,059.64	3,168.28	3,640.72	3,933.56	(+) 8.04
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,276.10	1,292.41	1,824.03	1,309.69	2,366.39	(+) 80.68
वानिकी एवं वन्य जीवन	968.77	1,001.71	917.98	1,112.25	1,042.94	(–) 6.23
ब्याज प्राप्तियाँ	1,260.65	429.47	581.67	639.11	880.34	(+) 37.74
ऊर्जा	381.23	190.09	357.87	195.15	190.33	(–) 2.47
लघु सिचांई	299.77	326.74	336.24	354.20	545.04	(+) 53.88
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	137.55	156.16	238.12	169.70	263.48	(+) 55.26
लाभांश एवं लाभ	80.35	129.64	231.50	622.36	347.26	(–) 44.20
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	140.21	147.01	193.87	132.66	355.97	(+) 168.33
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	120.16	121.04	167.04	128.98	214.46	(+) 66.27

अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	896.78	1,71488	1,069.91	756.36	1,758.92[3]	(+) 132.55
योग	**10,375.23**	**8,568.79**	**9,086.51**	**9.061.18**	**11,898.69**	

स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान

1.2.2.1 2017–18 की तुलना में 2018–19 में प्राप्तियों में अंतर का कारण

तालिका 1.2 से देखा जा सकता है कि, 2017–18 की तुलना में 2018–19 की कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न मदों में (–) 44.20 एवं (+) 168.33 प्रतिशत के मध्य का अन्तर था।

संबंधित विभागों द्वारा 2018–19 की प्राप्तियों में, 2017–18 की तुलना में अंतर के निम्न कारण प्रतिवेदित किए गए:

शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृतिः इस मद में 80.68 प्रतिशत (₹ 1,056.70 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः वेतन की प्रतिपूर्ति, छात्रो की संख्या तथा निजी महाविद्यालयों के शुल्क में वृद्धि एवं केन्द्र सरकार से शिक्षा के अधिकार शुल्क की प्रतिपूर्ति में उच्च प्राप्ति रहे। जिलों द्वारा, मार्च 2019 में विशेष अभियान के अंतर्गत शासकीय कोषालयों में अप्रयुक्त धन भी जमा करवाया गया।

लघु सिचांईः इस मद में 53.88 प्रतिशत (₹ 190.84 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा वन टाईम सैटलमेंट अंतर्गत बकाया राशि का एवं 2018–19 के दौरान उत्तर प्रदेश एवं बिहार शासन द्वारा बाणसागर के पानी के भाग का जमा किया जाना रहा।

वृहद एवं मध्यम सिंचाईः इस मद में 55.26 प्रतिशत (₹ 93.78 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) के नहर परियोजनाओं से उच्च राजस्व के कारण रही।

लाभांश एवं लाभः इस मद में 44.20 प्रतिशत (₹ 275.10 करोड़) की कमी मुख्यतः इन्दिरा सागर परियोजना अंतर्गत नर्मदा जलविद्युत विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) से लाभांश में कमी (87 प्रतिशत, ₹ 540.69 करोड़) के कारण रही, जो अन्य निवेश से लाभांश में वृद्धि (₹ 265.59 करोड़) से ऑफ सेट हुआ।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँः इस मद में 168.33 प्रतिशत (₹ 223.31 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः न्यायालयीन प्रकरणों में शास्ति में वृद्धि (210 प्रतिशत, ₹ 207.61 करोड़) एवं नगरीय निकायों द्वारा शासकीय लेखापरीक्षा शुल्क की बकाया जमा किया जाना रहा।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्यः इस मद में 66.27 प्रतिशत (₹ 85.48 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः निजी नर्सिंग शालाओं का प्रारंभ, पाठ्यक्रम में वृद्धि, इलाज के लिए निजी अस्पतालों की मान्यता के लिए शुल्क, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अस्पतालों की मान्यता के लिए शुल्क, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठय्क्रम की सीट हेतु बढ़ा हुआ शुल्क का जमा किया जाना एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अतंर्गत भारत सरकार से अधिक प्रतिपुर्ति, के कारण रही।

---

[3] 'अन्य कर भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में) निहित हैं : लोक सेवा आयोग (6.42), पुलिस (145.70), जेल (3.65), लोक निर्माण (151.75), लेखन सामग्री एवं मुद्रण (12.42), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली (222.35), परिवार कल्याण (0.23), जलपूर्ति तथा सफाई (25.34), आवास (28.02), शहरी विकास (15.00), सूचना तथा प्रचार (0.38), श्रम तथा रोजगार (27.18), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (11.66), अन्य सामाजिक सेवायें (92.69), फसल कृषि–कर्म (62.14), पशुपालन (2.73), डेरी विकास (0.005), मछली पालन (9.94), खाद्य भंडारण तथा भांडागार (1.38), अन्य कृषि कार्यक्रम (1.91), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (14.97), पेट्रोलियम (0.004), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (10.28), ग्राम एवं लघु उद्योग (88.13), उद्योग (0.85), अन्य उद्योग (0.14), सड़क एवं सेतु (1.18), पर्यटन (11.18), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (29.71), सहकारिता (8.40), एवं विविध सामान्य सेवाऐं (773.18)।

चार्ट 1.7: 2018–19 के दौरान कर भिन्न राजस्व में राजस्व के विभिन्न मदों का भाग

(₹ करोड़ में)

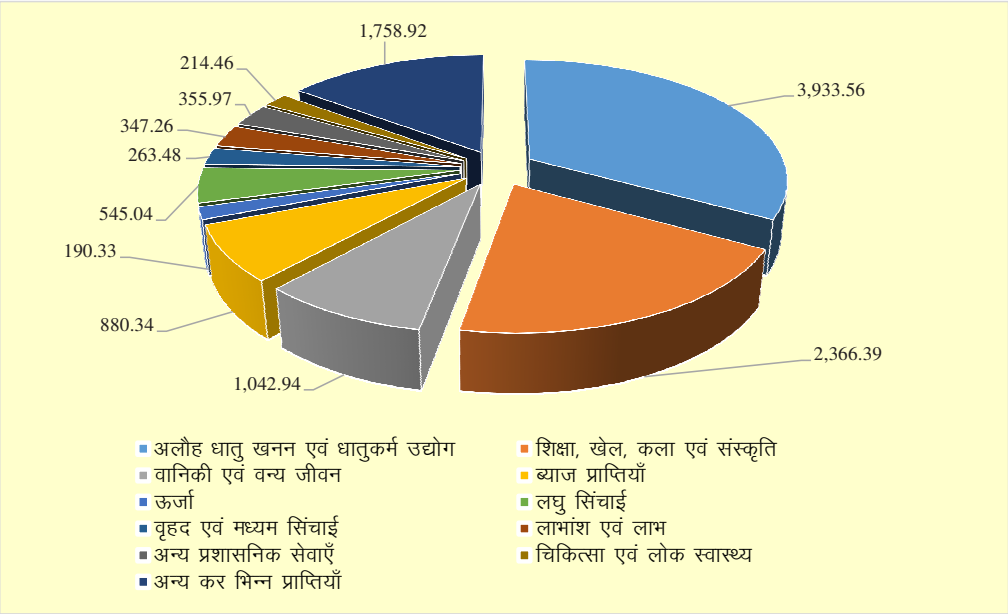

उपरोक्त चार्ट दर्शित करता है कि, अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग कर भिन्न राजस्व का सबसे बडा भागीदार रहा, तत्पश्चात शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति एवं वानिकी एवं वन्य जीवन मिलकर राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व का 60 प्रतिशत लेखांकित करते हैं।

1.2.2.2 कर भिन्न राजस्व के बजट अनुमान विरूद्ध वास्तविक

वर्ष 2018–19 के दौरान कर भिन्न राजस्व के बजट अनुमान तथा वास्तविक की तुलना **चार्ट 1.8** में दी गई हैं।

चार्ट 1.8: वर्ष 2018–19 में कर भिन्न राजस्व के बजट अनुमान तथा वास्तविक की तुलना

(₹ करोड़ में)

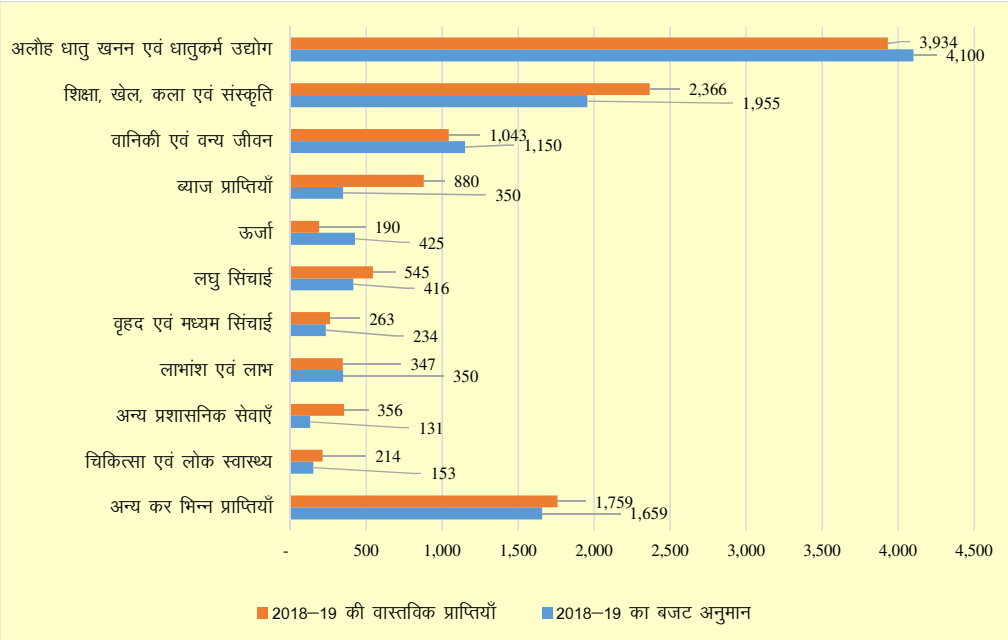

चार्ट 1.8 से देखा जा सकता है कि 2018–19 के दौरान राजस्व के विभिन्न मदों में बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य (–) 55.21 एवं (+) 170.72 प्रतिशत का अन्तर था। बजटीय अनुमानों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों में कमी के संबंधित विभागों द्वारा बताये गये कारण नीचे दिये गये है:

वानिकी एवं वन्य जीवन: वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व में कमी का कारण भारत सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई की स्वीकृति की प्राप्ति में विलंब था। चूंकि वनोपज का निस्तारण खुली नीलामी के द्वारा होने से, दरें बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

ऊर्जा: सरदार सरोवर योजना से राजस्व प्राप्ति बिजली के उत्पादन पर निर्भर करती है। वर्ष 2018–19 के दौरान वर्षा में कमी के कारण, बिजली उत्पादन कम हुआ। इसलिये, राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुई।

खनिज संसाधन: विभाग ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष के लिए सं.अ. के आंकड़ों को प्राप्त किया गया।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2019 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 6,350.41 करोड़ में से ₹ 2,678.15 करोड़ (42 प्रतिशत) की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी, विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.3: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2019 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2019 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,219.48	5,405.24	2,361.88
विभाग ने उत्तर दिया कि बकाया राजस्व की वसूली के प्रयास किये गये थे एवं उनकी तरफ से कोई ढिलाई नहीं थी। बकाया राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है: • ₹ 2,007.96 करोड़ विभिन्न न्यायालयीन प्रक्रियाओं में लंबित, ₹ 643.17 करोड़ अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित, ₹ 236.89 करोड़ बीमार मीलों या औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (औ. वि. पु. बो.) में सम्मिलित थी, • ₹ 5.42 करोड़ किस्तों में, ₹ 1,044.97 करोड़ बंद फर्मों में, ₹ 814.32 करोड़ संपत्तियों के जब्ती में, एवं • ₹ 273.75 करोड़ के राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (आर.आर.सी.) जारी किए गए, ₹ 9.39 करोड़ अपलेखन हेतु लंबित, एवं ₹ 369.37 करोड़ सामान्य वसूली थी।			
राज्य उत्पाद शुल्क	220.72	221.15	75.28
विभाग ने उत्तर दिया कि: • ₹ 14.42 करोड़ न्यायालय में लंबित, • राशि अवसूली योग्य होने से, ₹ 56.24 करोड़ की अपलेखन हेतु कार्यवाही जारी, एवं • शेष ₹ 150.49 करोड के बकाया राजस्व के संबध में जानकारी नहीं प्रदान की गयी।			
मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	343.61	413.69	104.46

विभाग ने उत्तर दिया कि बकाया राजस्व जिला स्तर पर लंबित थे, एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा धारा 48(ब) के अंतर्गत बकाया राजस्व की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी। तथापि, पक्षकारों को नोटिस जारी करने के बावजूद, उनके अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण नहीं हो पाया। बकाया राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

- ₹ 41.36 करोड़ न्यायालय में लंबित, ₹ 187.37 करोड़ पक्षकारों द्वारा उत्तर नहीं दिये जाने के कारण लंबित, ₹ 71.68 करोड़ बकयादारों के पता नहीं मालूम होने से लंबित, एवं ₹ 10.46 करोड़ जिला स्तर पर लंबित।
- ₹ 37.91 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दी गयी, ₹ 12.63 करोड़ मूल्य की वसूली के लिये जब्ती के आदेश, एवं ₹ 52.28 करोड़ की वसूली के लिये लगातार माँग पत्र जारी किये गये थे।

अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	48.38	75.69	विभाग द्वारा उपलब्ण नहीं करवाए गये।

विभाग ने उत्तर दिया कि:

- बकाया में वर्ष 2018–19 में रिलायंस सासन पावर की बकाया रायल्टी ₹ 54.48 करोड़ सम्मिलित है; एवं
- शेष बकाया राजस्व का कारण जिलों से जानकारी प्राप्त होने पर दिया जायेगा।

विद्युत कर तथा शुल्क	225.07	234.64	136.53

विभाग ने उत्तर दिया कि:

- ₹ 119.39 करोड़ की वसूली न्यायालयाधिन प्रकरणों में लंबित थी, ₹ 3.67 करोड़ बीमार कपड़ा मिलों के विरूद्ध लंबित है, एव बकाया ₹ 83.47 करोड़ अन्य स्तरों पर लंबित है, एवं
- ₹ 28.11 करोड़ उन प्रकरणों में लंबित है, जहाँ आर.आर.सी. पहले ही जारी की जा चुकी है।

योग	**6,057.26**	**6,350.41**	**2,678.15**

1.4 वापसियों के लंबित दावें

विभागों द्वारा प्रतिवेदित, वर्ष 2017–18 के अंत में लंबित वापसी प्रकरणों का विवरण, **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका 1.4 : वापसियों के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर		मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क		विद्युत कर तथा शुल्क	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे **(अ)**	1,038	145.58	2,027	5.91	31	1.49	153	1.42
वर्ष के दौरान प्राप्त दावे **(ब)**	6,300	737.22	6,978	22.28	161	13.17	01	0.27
वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ **(स)**	6,376	778.94	6,700	20.09	153	13.56	01	0.27

वर्ष के अंत में बकाया शेष **(अ+ब–स = द)**	962	103.86	2,305	7.81[4]	39	1.10	0[5]	0
वापसी का प्रतिशत **(स से {अ+ब})**	–	88.24	–	71.27	–	92.50	.–	–.

1.5 लेखापरीक्षा प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिये, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी), भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 एव सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से प्राधिकार प्राप्त करते है। सीएजी, शासन की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत करते है।

1.6 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

शासन में मुख्य सात राजस्व अर्जित करने वाले विभाग है, जिनमें सें, वर्ष 2018–19 में छः विभागों की लेखापरीक्षा संपन्न की गई, यथा् वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, तथा खनिज संसाधन। इस रिपोर्ट में छः विभागों में से तीन के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

तीनों विभागों में से प्रत्येक के लेखापरीक्षा यूनीवर्स का विवरण एवं वर्ष 2018–19 में प्रत्येक के अंतर्गत लेखापरीक्षित ईकाईयाँ **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5 : प्रत्येक विभाग में कुल एवं लेखापरीक्षित इकाईयों का विवरण

विभाग का नाम	कुल ईकाईयों की संख्या	शीर्ष लेखापरीक्षा योग्य ईकाई[6]	लेखापरीक्षा इकाईयाँ	कुल लेखापरीक्षित इकाईयाँ
वाणिज्यिक कर	132	2	130	32
पंजीयन तथा मुद्रांक	290	1	289	33
भू–राजस्व	422	2	420	28

1.7 लेखापरीक्षा प्रक्रिया

संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित की गई है – योजना, निष्पादन और रिपोर्टिंग। इन मदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

---

4 विभाग ने बताया (नवंबर 2019) कि वर्ष के अंत में शेष बकाया में अंतर पक्षकारों को गयी वापसियों में से किये गये कटौत्रें के कारण थी। विभाग ने आगे उत्तर में बताया (नवंबर 2020) कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् द्वारा वापसियाँ, मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 49 से 54 में शामिल प्रावधानों के अनुसार किये गये थे।

5 ₹ 1.42 करोड़ के 153 वापसियों के दावे परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष की समयावधि की समाप्ति के कारण वापसी योग्य नहीं थे।

6 शीर्ष लेखापरीक्षित इकाईयाँ निर्देशक एवं पर्यवेक्षी होती है, जो निति निर्माण के लिये जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा इकाईयों को उन इकाईयों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें लेखापरीक्षित इकाईयों के उद्देश्यों की पूर्ति संदर्भ में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का पर्याप्त हस्तांतरण, कार्यात्मक स्वायत्तता और परिचालन महत्व जैसी विशेषता होती है।

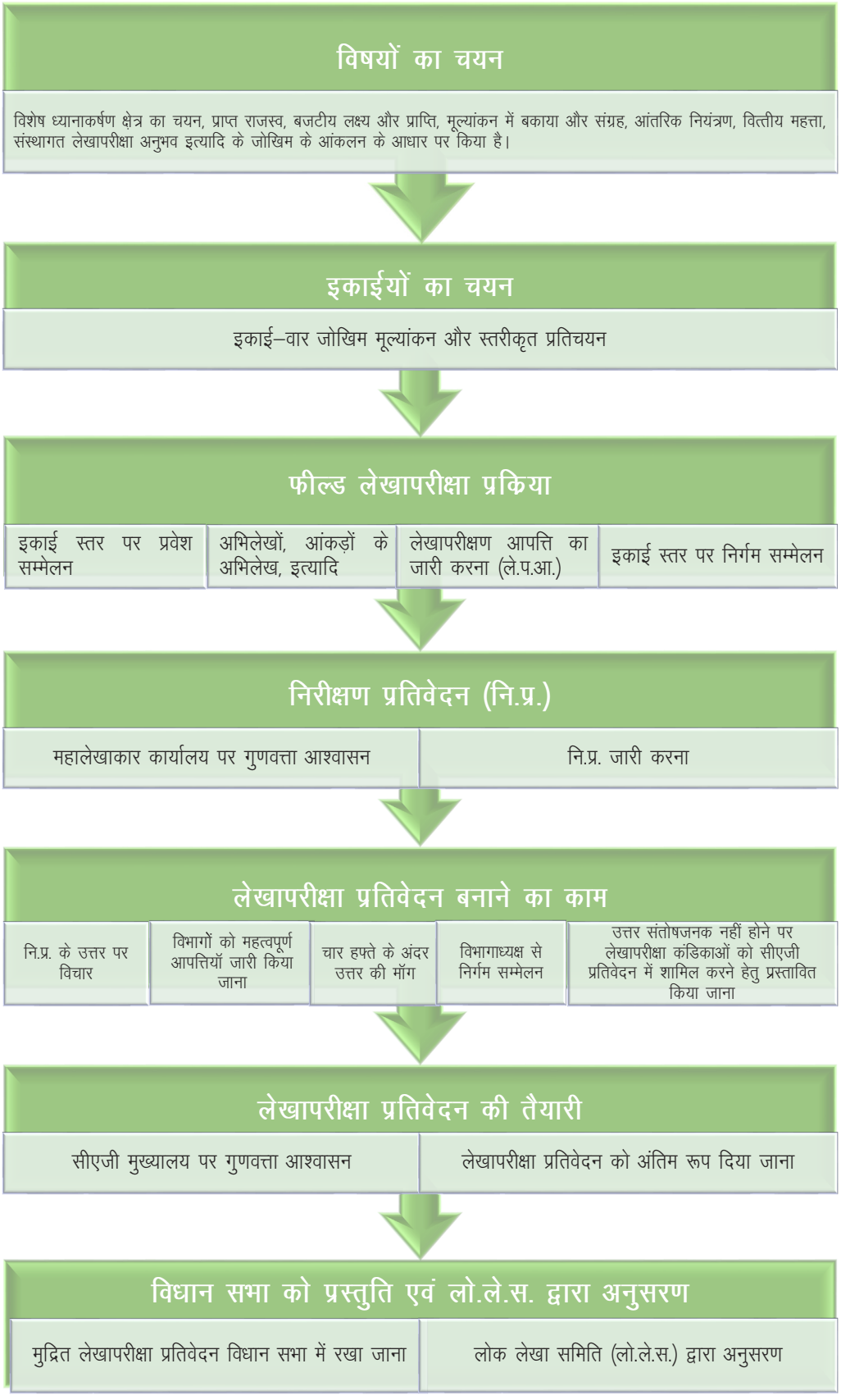

1.8 लेखापरीक्षा पर विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

शासन के विभागों तथा कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, नि.प्र. संबंधित कार्यालय प्रमुखों के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिलिपि, निगरानी एवं सुधारात्मक

कार्यवाही हेतु, जारी की जाती है। विभागाध्यक्षों एवं शासन को गंभीर वित्तीय अनियमिततायें प्रतिवेदित की जाती है।

सितंबर 2020 के अंत तक विभाग–वार लंबित नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: सितंबर 2020 के अंत तक विभाग–वार लंबित नि.प्र./कंडिकाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या
वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,799	9,500
ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	103	224
राज्य आबकारी	राज्य उत्पाद शुल्क	450	1,704
राजस्व	भू–राजस्व	1,580	4,998
परिवहन	वाहन कर	603	3,396
पंजीयन तथा मुद्रांक	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	809	2,311
खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	355	1,812
योग		**5,699**	**23,945**

वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा की चिंताओं को दूर करने और लेखापरीक्षा कंडिकाओं को निपटाने के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही करना बाकी है।

म.प्र. शासन के मुख्य सचिव के कार्यालय के साथ मिलकर इस कार्यालय द्वारा वर्ष के दौरान पुरानी बकाया नि.प्र./कंडिकाओं की व्यापक समीक्षा की गयी। तदानुसार, विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर कुल 88 नि.प्र. और 3,585 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

अनुशंसायें:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये शीघ्रता से एक उपयुक्त तंत्र बनाने की आवश्यकता है जिससे कि विभागीय अधिकारी नि.प्र. को तुरंत प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें और बकाया नि.प्र. और कंडिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर कार्य करें।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

शकधर समिति[7] द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह के भीतर सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित उनसे संबंधित सभी कंडिकाओं पर उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों पर व्याख्यात्मक टीप स्वतः ही लो.ले.स. को, महालेखाकार से विधिवत जाँच कराने के पश्चात, प्रस्तुत कर देना चाहिए।

राज्य राजस्व विभागों एवं जल संसाधन विभाग की वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 54 कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टीप प्राप्त

[7] भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा हेतु नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति।

(अक्टूबर 2020) नहीं हुई थी। विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: कंडिकाओं की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टीप प्राप्त नहीं हुई

विभाग का नाम	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
वाणिज्यिक कर	0	0	0	12	8
राज्य आबकारी	0	3	0	7	1
राजस्व	0	0	0	0	3
परिवहन	0	0	0	0	0
पंजीयन तथा मुद्रांक	1	0	0	13	4
खनिज संसाधन	0	0	0	0	0
जल संसाधन[8]	0	0	0	0	1
वन[9]	0	0	1	0	0
योग	**1**	**3**	**1**	**32**	**17**

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी (नवम्बर 1994) किये गये अनुदेशों के अनुसार, लो.ले.स. द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छः माह के भीतर लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर विस्तृत कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिये। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

लो.ले.स. द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदनों[10] के जारी किये जाने के बाद राज्य के राजस्व विभागों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 की 11 कंडिकायें एवं वर्ष 2005–06[11] से 2016–17 अवधि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 229 कंडिकायें, कुल 240 कंडिकाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन अक्टूबर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे। विवरण **तालिक 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: अप्राप्त कार्यान्यवन प्रतिवेदन का विवरण

विभाग का नाम	कंडिकाओं की संख्या जिनमें कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये
वाणिज्यिक कर	72
राज्य आबकारी	34
राजस्व	28
परिवहन	22
पंजीयन तथा मुद्रांक	35
खनिज संसाधन	25
वन	11
वाणिज्यिक कर (मनोरंजन कर)	11
वित्त	01
जल संसाधन	01
योग	**240**

[8] जल संसाधन विभाग एक प्राथमिक राजस्व उत्पन्न करने वाला विभाग नहीं है। तथापि, "जलकर का निर्धारण एवं संग्रहण" पर एक लेखापरीक्षा 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित थी।

[9] वन विभाग भी एक प्राथमिक राजस्व उत्पन्न करने वाला विभाग नहीं हैं, यद्यपि, "वन प्राप्तियों" पर एक लेखा परीक्षा, 2014–15 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित थी।

[10] दिसम्बर 2004 से दिसंबर 2019 के मध्य इस कार्यालय में प्राप्त।

[11] 2000 से 2005 की अवधि के कार्यान्वयन प्रतिवेदन का निपटारा हो गया है।

अनुशंसायें:

राज्य सरकार को राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों और प्रणालीगत कमियों के दूर करने के लिये कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिये। शासन को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी विभाग लो.ले.स. की सिफारिशों पर तुरंत कार्यान्वयन प्रतिवेदन तैयार करें।

1.9.1 लो.ले.स. द्वारा राजस्व प्रतिवेदन पर चर्चा की स्थिति

2013–14 से 2016–17 की अवधि के अंतिम चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, वर्षवार कुल लेखापरीक्षा कंडिकायें, चर्चा के लिये चुनी गई कंडिकायें एवं कंडिकायें जिन पर लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गयी, **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: राजस्व प्रतिवेदनों पर लो.ले.स. द्वारा चर्चा की स्थिति

वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग
कुल कंडिकायें	37	29	52	26	144
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिये चयनित कंडिकायें	19	14	25	15	73
लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गई कंडिकायें	7	5	5	2	19

ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है कि, 2013–14 से 2016–17 की अवधि की अंतिम चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल 144 कंडिकायें थी, जिनमें से, 73 लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिये चयनित की गयी परन्तु मात्र 19 कंडिकाओं पर चर्चा हुई।

1.9.2 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2013–14 से 2017–18 की अवधि के अंतिम पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, विभाग/शासन ने ₹ 2,986.42 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। तथापि, अक्टूबर 2020 तक केवल ₹ 51.43 करोड़ वसूल हुए, जैसा कि विवरण **तालिका 1.10** में है।

तालिका 1.10: पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

(₹ करोड़ में)

विभाग	स्वीकार्य राशि	वसूल की गई राशि	स्वीकार्य राशि से वसूली का प्रतिशत
वाणिज्यिक कर	689.92	0.78	0.11
भू–राजस्व	128.67	15.16	11.78
पंजीयन तथा मुद्रांक	78.77	10.17	12.91
खनिज संसाधन	233.84	14.51	6.20
परिवहन	95.23	0.36	0.37
राज्य उत्पाद शुल्क	69.51	6.95	9.99
वन	12.23	0.70	5.72
जल संसाधन	1,626.24	0.00	0
ऊर्जा	52.01	2.80	5.38
योग	**2,986.42**	**51.43**	**1.72**

1.10 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश, भोपाल लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और अभिलेख उपलब्ध कराने में विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये सहयोग को स्वीकार करता है। तथापि, निरंतर अनुसरण के बावजूद, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के लिये वेटीस् आईड्डीस प्रदान नहीं की गई (दिसंबर 2020)।

1.11 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में 17 लेखापरीक्षा कंडिकायें सम्मिलित हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के तीन विभागों के अभिलेखों के नमूना जॉच में ₹ 57.44 करोड़ के कर प्रभाव के साथ पायी गई है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम, जो इस प्रतिवेदन में आए, नीचे संक्षेप में दिये गये है:

1.11.1 वाणिज्यिक कर

निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) द्वारा कर योग्य टर्नओवर का ₹ 32.69 करोड़ कम निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 2.99 करोड़ का कर एवं ₹ 7.43 करोड़ शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.6)

सामाग्रियों को सही वर्गीकृत करने एवं करों की समुचित दरें लगाते समय नि.प्रा., मध्य प्रदेश वैट अधिनियम (म.प्र.वैट एक्ट) के प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय परिपत्रों को लागू करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 3.19 करोड़ का कर एवं ₹ 3.77 करोड़ शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.7)

कर की समुचित दर को लगाने में में नि.प्रा., केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 0.95 करोड़ कर की कम प्राप्ति एवं ₹ 0.88 करोड़ शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.8)

नि.प्रा. ने सामग्रियों जैसे लोहा एवं स्टील, इलेक्ट्रिकल आईटम, पैकिंग सामग्री, ट्रांस्फारमर, पाईप, केमिकल, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, सीमेंट शीट, लाईट डीजल ऑयल, विस्फोटक, टाईल्स, सेनिट्री, तेंदूपत्ता, बीड़ी, रेत, गिट्टी, कोयला, तारकोल, रेजिन, घुमावदार तार और स्टील ट्यूब आदि पर उनके स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, प्रवेश कर नहीं लगाया अथवा गलत दर से लगाया। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर राशि ₹ 1.01 करोड़ प्राप्त नहीं हुआ एवं ₹ 2.06 करोड़ की शास्ति अनारोपित रही।

(कंडिका 2.9)

नि.प्रा. ने बिना सत्यापन एवं इस तथ्य को ध्यान में लिए, कि संबंधित व्यापारियों ने निर्गत कर शासन के खाते में कम जमा किया था, आगत कर छूट अनुमत्य की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.88 करोड़ के अधिक आगत कर को मान्य किया गया।

(कंडिका 2.10)

वैट रिटर्न (फार्म–10) में दर्शित आगे ले जाए गए आगत कर का, दावाकृत ट्राजिशनल क्रेडिट से प्रति सत्यापन पर पाया गया कि 369 करदाताओं ने अनियमित रूप से ट्रान–1 में ₹ 11.49 करोड़ का ट्राजिशनल क्रेडिट अग्रेनीत किया, जो वैट रिटर्न में दर्शित आगत कर से अधिक था।

(कंडिका 2.12)

1.11.2 मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस

29 उप पंजीयक (उ.पं.) कार्यालयों द्वारा 113 विलेखों के सम्पत्ति के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों पर विचार नहीं किया और इन विलेखों को कलेक्टर ऑफ स्टांप को सम्पत्ति का सही मूल्य निर्धारण एवं इन पर आरोपणीय शुल्क के लिये संदर्भित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं ₹ 0.34 करोड़ पंजीयन शुल्क कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 3.6)

छः उ.पं. ने बिल्डर/विकासकर्ता द्वारा भूमि के विकास से सबंधित 35 अनुबंधों पर आरोपणीय पंजीयन शुल्क ₹ 1.01 करोड़ के स्थान पर ₹ 50.74 लाख पंजीयन शुल्क आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप, शासन को ₹ 50.74 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 3.8)

10 उ.पं. द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण के लिये, खनन पट्टा विलेखों पर देय रायल्टी की पूरी राशि पर विचार नहीं किया। परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस ₹ 5.21 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 3.10)

1.11.3 भू–राजस्व

उप संभागीय अधिकारियों ने बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अंतर्गत उपबंध एवं शासन की अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.89 करोड़ के प्रीमियम का कम आरोपण एवं ₹ 0.05 करोड़ के पंचायत उपकर का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 4.4)

चार कलेक्टर्स ने 113 प्रकरणों में, भू–भाटक ₹ 22.54 लाख, प्रीमियम ₹ 35.91 लाख, पंचायत उपकर ₹ 1.86 लाख एवं शास्ति ₹ 130.83 लाख की वसूली किये बिना व्यपवर्तन के आदेश जारी कर दिये। परिणामस्वरूप, ₹ 1.91 करोड़ की राशि वसूली करने के लिये इन कलेक्टरेट्स में लंबित है।

(कंडिका 4.5)

अध्याय – II
वाणिज्यिक कर

मुख्य आकर्षण

सीएजी ने यह लेखापरीक्षा क्यों की

वाणिज्यिक कर विभाग मूल्य संवर्धन कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय विक्रय कर और विलासिता, मनोरंजन एवं आमोद कर, जो स्व–निर्धारण व्यवस्था पर आधारित है, का आरोपण एवं संग्रहण करता है।

विभाग वर्ष 2018–19 के दौरान, पुरानी व्यवस्था के मूल्य संवर्धन कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय विक्रय कर आदि के ट्रांजेक्शन्स के निर्धारण करने में व्यस्त था और साथ ही नई कर व्यवस्था, माल एवं सेवाओं पर कर, की ओर बढ़ रहा है। इसके अनुरूप, केवल पूर्व कराधान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारण की लेखापरीक्षा की गई, क्योंकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत अभी अंतिम निर्धारण किया जाना है।

लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के दृष्टि से की गई कि क्या :

जीएसटी युग से पहले :

- कर योग्य टर्नओवर की गणना उचित रूप से की गई है और उचित दर से कर लगाया गया है;
- आगत कर छूट (आईटीआर) का उचित रूप से दावा और मान्य किया गया है।

जीएसटी युग लागू होने के पश्चात :

कर निर्धारण प्राधिकारी ने करदाताओं द्वारा ट्रान–1 में दर्ज आईटीसी के रूप में दावे की राशि की सत्यता का सत्यापन किया है।

सीएजी ने क्या पाया

अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, और 115 अंतर्निहित इकाईयों में से 32 में अधिनियम/नियमों के पालन नहीं करने के निम्नलिखित मामले पाये गये:

जीएसटी युग से पहले:

- *निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) ने कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण किया,*
- *नि.प्रा. के सही दर से कर लगाने में असफल होने के परिणामस्वरूप कम कर आरोपण हुआ,*
- *नि.प्रा. के अन्तर्राज्यीय विक्रय के प्रावधानों को लागू करने में असफल होने के परिणामस्वरूप कम कर आरोपण हुआ,*
- *माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उस पर या तो प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया या त्रुटिपूर्ण दर से आरोपित किया गया,*
- *नि.प्रा. ने मान्य योग्य आईटीआर के विरूद्ध बढ़ी हुई आईटीआर की राशि को मान्य किया, जिसके परिणामस्वरूप कर की कम वसूली हुई और शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।*

जीएसटी युग लागू होने के पश्चात :

- *31 मार्च 2020 को पंजीयन हेतु 4,450 आवेदन लंबित थे।*
- *करदाताओं ने वैट विवरणी में दर्शाये गये आईटीसी से ट्रान–1 में ₹ 11.49 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट अनियमित रूप से अधिक अग्रेषित किया*

2.1 परिचय

वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन के लिए उच्चतम राजस्व प्राप्ति लेखांकित करता है। विभाग मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धन अधिनियम, 2002 (वैट अधिनियम), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम), मध्य प्रदेश प्रवेश कर, 1976, मध्य प्रदेश वृत्ति कर, 1995 और मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत माल एवं सेवाओं पर राजस्व का प्रशासन और संग्रहण करता है। 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात, विभाग मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी अधिनियम) के अन्तर्गत माल एवं सेवाओं पर राजस्व का प्रशासन और संग्रहण करता है।

वणिज्यिक कर विभाग वर्तमान में पूर्व व्यवस्था के मूल्य संवर्धन कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय विक्रय कर आदि के कर निर्धारण पूर्ण किये जा रहे है और माल एवं सेवाओं पर कर की नयी कर व्यवस्था की ओर भी अग्रसर है। तदनुसार, केवल पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गयी, क्योंकि, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारणों को अंतिम रूप अभी दिया जाना है। इसलिए, जीएसटी परिवर्तन से संबंधित मुद्दों की तैयारियों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

2.2 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं और अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें आवंटित कार्यों में अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर, उप आयुक्त (उप.आयु.), सहायक आयुक्त (सहा.आयु), वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अधि.), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.), और वाणिज्यिक कर निरीक्षक सहायता प्रदान करते हैं।

स.वा.क.अ., वा.क.अधि., सहा.आयु. एवं उप.आयु. को प्रकरणों के निर्धारण की शक्ति के साथ निहित किया गया है।

विभाग के अनुक्रम एवं उत्तरदायित्व को नीचे संगठनात्मक संरचना **चार्ट 2.1** में दिया गया है:

चार्ट 2.1: संगठनात्मक व्यवस्था

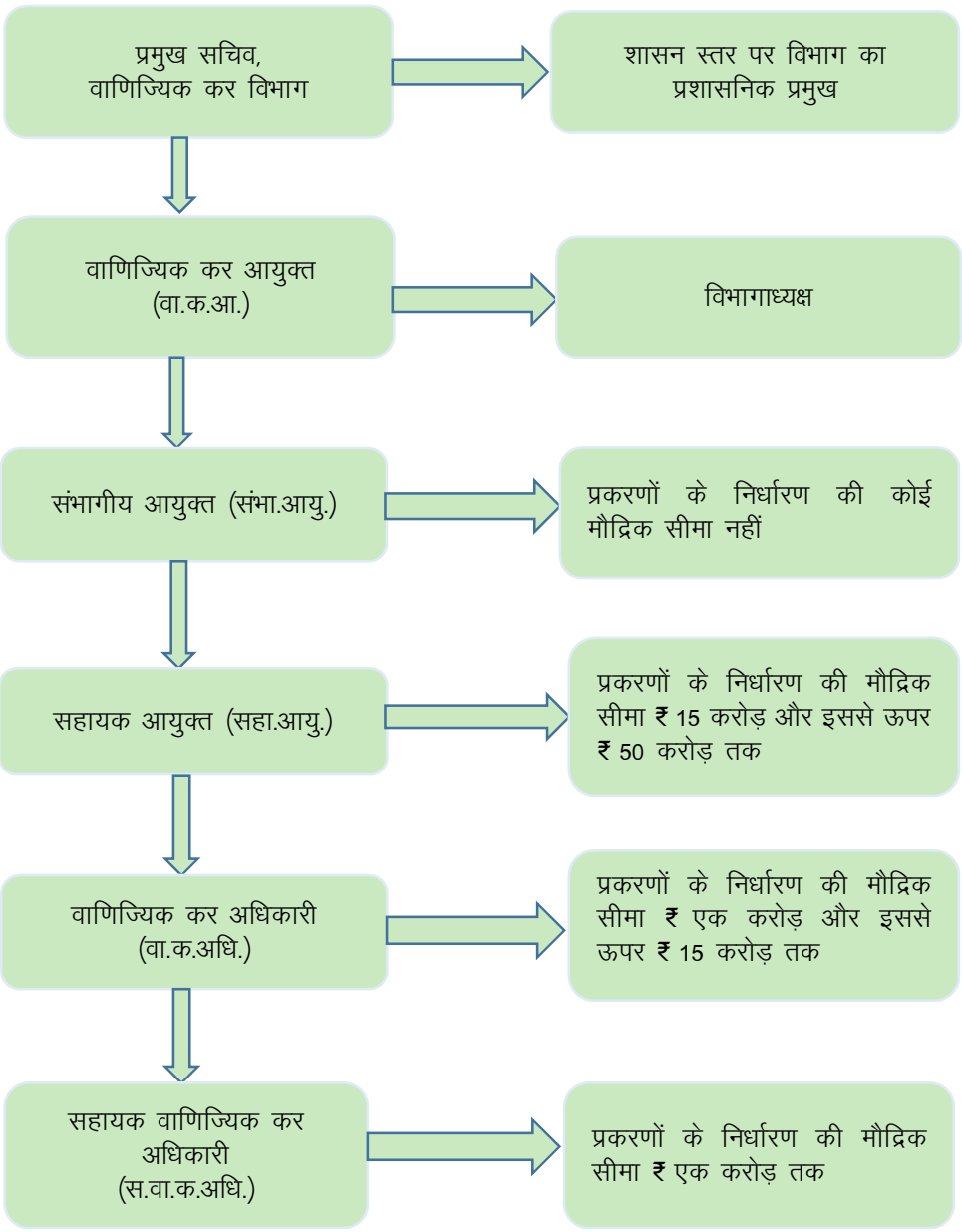

2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वाणिज्यिक कर विभाग के, विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, और राज्य माल एवं सेवाओं पर कर, से प्राप्तियों की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.2** में नीचे दिया गया है:

चार्ट 2.2: वाणिज्यिक कर से प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

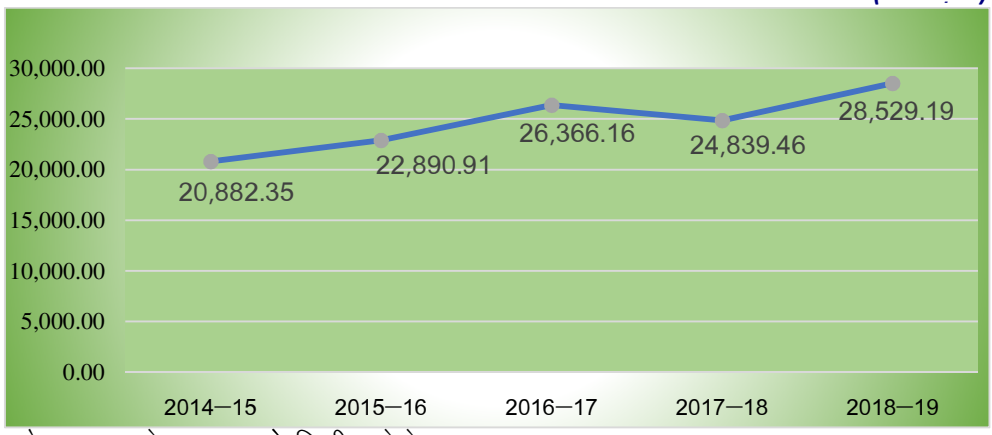

स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्तीय लेखे

उपरोक्त दिये गये चार्ट से यह देखा जा सकता है कि, राज्य के संपूर्ण राजस्व में वाणिज्यिक कर विभाग के राजस्व का पूर्व के वर्षों में काफी योगदान रहा है। पाँच वर्षों की अवधि 2014–19 के दौरान, वर्ष 2017–18 के दौरान 5.79 प्रतिशत की भारी गिरावट को छोड़कर, वाणिज्यिक कर का राजस्व गति पकड़ने के पहले पूर्व वर्षों की तुलना में वर्ष दर वर्ष बढ़ता रहा है और 2018–19 के दौरान 2017–18 से 14.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही, वर्ष 2016–17 को छोड़कर, विभाग की वास्तविक प्राप्ति किसी भी वर्ष में बजट अनुमान के बराबर नहीं थी। वास्तव में, वर्ष 2017–18 में जीएसटी लागू होने के बावजूद, वर्ष 2018–19 के दौरान इसके प्रभाव से कुल मिलाकर वाणिज्यिक कर प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है, वर्ष 2018–19 में विभाग की राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 9.44 प्रतिशत कम रही।

2.4 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

वाणिज्यिक कर विभाग की लेखापरीक्षा जून 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य की गई और 2016–17 से 2018–19 तक के तीन वर्ष की अवधि के निर्धारणों को सम्मिलित किया गया। 115[12] में से 32[13] कार्यालयों (03 संभागीय कार्यालयों, 18 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 11 वृत्त कार्यालयों) का लेखापरीक्षा के लिये चयन, जिनकी लेखापरीक्षा वर्ष 2018–19 में की जानी थी, उनके जोखिम बोध (रिस्क परसेप्शन)[14] के आधार पर, निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिये की गई कि, कर, संबंधित अधिनियमों[15], संहिताओं, तथा मैनुअल के अनुसार निर्धारित, आरोपित, संग्रहित एवं लेखांकित किये गये, और शासन के हितों की रक्षा की गयी **(परिशिष्ट I)**। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय से भी जानकारी एकत्रित की गई। चयनित किये गये कार्यालयों के निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) ने 53,373 नियमित (म.प्र.वैट अधिनियम की धारा 20(4) के अन्तर्गत निर्धारित) और डीम्ड निर्धारित प्रकरणों[16]

---

12 16 इकाईयाँ लेखापरीक्षा विषय से संबंधित नहीं थीं।

13 **उप.आयु.वा.क.** भोपाल 2, इन्दौर 2 और जबलपुर 2;
सहा.आयु.वा.क भोपाल 1, भोपाल 5, भोपाल 6, गुना, ग्वालियर 2, इन्दौर 1, इन्दौर 2, इन्दौर 3, इन्दौर 9, इन्दौर 10, जबलपुर 1, जबलपुर 2, कटनी, खण्डवा, मुरैना, पीथमपुर, सागर 1 और सतना 1 तथा
वा.क.अ. अशोक नगर, बैतुल, दमोह, ग्वालियर 4, इन्दौर 1, इन्दौर 8, नीमच, रीवा, सागर, सतना 2 और सीहोर।

14 निहित जोखिम (इनहेरेन्ट रिस्क), धोखाधडी/गबन/हानि के प्रतिवेदित प्रकरणों, आन्तरिक निर्धारण, राजस्व संग्रहण आदि।

15 म.प्र.वैट अधिनियम, 2002, प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (प्र.क. अधिनियम), और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम)।

16 विभाग द्वारा इन प्रकरणों की वार्षिक सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसलिए, कुल प्रकरणों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(म.प्र. वैट अधिनियम के धारा 20(ए) के अन्तर्गत निर्धारित) जिनका कर निर्धारण 2016–17 से 2018–19 की अवधि के मध्य किया गया था, को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया।

लेखापरीक्षा आपत्तियों की, मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002, प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (प्र.क. अधिनियम), और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (के.वि.क. अधिनियम) के प्रावधानों और नियमों एवं निर्देशों, राज्य शासन द्वारा जारी किये गये परिपत्रों/छूट की अधिसूचनाओं तथा न्यायालयों एवं अपीलीय प्राधिकरणों के निर्णयों के मानदंड से तुलना की गयी है।

2.5 लेखापरीक्षा परिणाम

चयनित इकाईयों के कुल 53,373 प्रकरणों में से 18,550 प्रकरणों (34.75 प्रतिशत) की नमूना जाँच में, कर संबंधित अधिनियमों/संहिताओं/मैनुअल्स से विचलन/अनुपालन नहीं करने के कारण, कर का कम आरोपण और अमान्य/अधिक आगत कर छूट एवं शास्ति सहित 801 प्रकरणों में शामिल राशि ₹ 42.65 करोड़ जैसे विविध कारणों के उदाहरण पाये गये, जैसा **तालिका 2.1** में वर्णित है:

तालिका 2.1 : राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणियाँ	लेखापरिक्षा आपत्तियों की संख्या	राशि
1	टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	96	10.42
2	कर की त्रुटिपूर्ण दर को लगाना	30	6.96
3	के.वि.क. अधिनियम के अन्तर्गत अनियमित छूट प्रदाय करना	13	1.83
4	प्रवेश कर का कम आरोपण या अनारोपण	59	3.07
5	बिना उचित सत्यापन के आगत कर छूट मान्य करना	184	6.27
6	अधिक आगत कर छूट मान्य करना	50	2.61
7	माल एवं सेवाकर अधिनियम (वापसियों एवं ट्रांजिशनल दावों) के अन्तर्गत आपत्तियॉ	369	11.49
	योग	**801**	**42.65**

वैट अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम या के.वि.क. अधिनियम के सात विस्तृत श्रेणियों और मा.से.क. अधिनियम के अन्तर्गत एक कंडिका व्यवसायियों के ट्रांजिशनल क्रेडिट के अलावा पंजीयन से संबधित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विस्तृत विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

विभाग की अन्य इकाईयों में समान अनियमिततायें, त्रुटियाँ अथवा चूक हो सकती हैं, जो, नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई हैं। अतः विभाग सभी इकाईयों की जाँच कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि करों का आरोपण, अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6 टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

म.प्र. वैट अधिनियम के धारा 2 (जेड) के अनुसार, किसी अवधि के टर्नओवर से तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में सामग्रियों के विक्रय, आपूर्ति अथवा वितरण से प्राप्त अथवा प्राप्य कुल विक्रय मूल्य है जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त सामग्री का वापसी मूल्य सम्मिलित नहीं है।

कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण हेतु, मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत कुल टर्नओवर में से कर चुका माल का विक्रय मूल्य एवं कर की राशि, यदि सकल विक्रय मूल्य में सम्मिलित है तो, कम की जायेगी। जैसा धारा 2 (एक्स) (तीन) के अन्तर्गत प्रावधान में निहित है, यहाँ, विक्रय के समय की छूट, जैसा बीजक से प्रमाणित होता है, विक्रय मूल्य से घटाया जायेगा, परन्तु, बाद में कार्योत्तर विधि से स्वीकार किये गये छूट, प्रोत्साहन या कमी या पुरस्कार को कम नहीं किया जायेगा। आगे, धारा 2 (दस) (तीन) के अन्तर्गत, संपूर्ण विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर की राशि को घटाने के बाद कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण किया जायेगा। यह भी प्रावधान है कि यदि संपूर्ण विक्रय मूल्य में कर की राशि सम्मिलित नही है तो घटाने की अनुमति नहीं है।

8,256 निर्धारित प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 96 प्रकरणों (73 नियमित निर्धारित और 23 डीम्ड निर्धारित) से प्रकट हुआ कि नि.प्रा. ने **तालिका 2.2** में दिये गये कारणों से राशि ₹ 32.69 करोड़ का कम टर्नओवर निर्धारित किया।

तालिका 2.2 : टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण का विवरण

क्र. स.	विवरण	प्रकरणों की संख्या
1	नि.प्रा. ने विक्रय मूल्य, लाभ और अन्य प्राप्तियों को लेखे में नहीं/कम सम्मिलित करने के कारण टर्नओवर का कम निर्धारण किया	46
2	टर्नओवर निर्धारित करते समय लेखापरीक्षित खातों के आंकड़ों को नहीं अपनाया गया	25
3	अतिरिक्त/त्रुटिपूर्ण कमी मान्य की गई	09
4	नि.प्रा. ने टर्नओवर निर्धारित करते समय क्रय के आंकड़ों पर विचार नहीं किया	10
5	व्यवसायी ने राज्य के बाहर से क्रय को लेखे में सम्मिलित नहीं किया	04
6	नि.प्रा. ने निर्धारित टर्नओवर एवं वैट विवरणियों के टर्नओवर के मध्य अन्तर के कारण को स्पष्ट नहीं किया	01
7	प्रारम्भिक स्टाक में हेरफेर करने के कारण व्यवसायी ने सकल टर्नओवर (जीटीओ) कम निर्धारित किया	01

उपरोक्त प्रकरणों में संबंधित नि.प्रा., निर्धारण के समय, सही कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने में असफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.99 करोड़ कर (₹ 2.46 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.53 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) का कम आरोपण हुआ और म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार निर्धारित कर की तीन गुना न्यूनतम शास्ति ₹ 7.43 करोड़ (₹ 5.87 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 1.56 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) का भी आरोपण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, 80 प्रकरणों में नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जायेगी। 15 प्रकरणों में नि.प्रा. द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए गए एवं एक प्रकरण में, नि.प्रा. ने आपत्ति को स्वीकार किया। विवरण, **परिशिष्ट II** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2020) के दौरान, आयुक्त वा.क.वि. ने बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण, त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण एवं अस्वीकार योग्य आगत कर छूट को मान्य करने से संबंधित सभी प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा एवं उन पर की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को नियत समय से अवगत करवाया जायेगा। तथापि, आयुक्त वा.क.वि.

लेखापरीक्षा में परिमाणित शास्ति की राशि से असहमति जताई और कहा कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है।

हालांकि यह सत्य है कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है, शासन प्रकरण को पुनः खोलकर और अधिनियम/नियमों/संहिताओं से गैर–अनुपालन/विचलन का परीक्षण कर शास्ति की राशि पर अभिमत व्यक्त करने में सक्षम होगा।

अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

2.7 त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

मप्र वैट अधिनियम, सह पठित के.वि.क. अधिनियम और उनके अन्तर्गत जारी किये गये अधिसूचनाओं में, भिन्न–भिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वैट की दर को स्पष्ट किया गया है।

एक संभागीय कार्यालय[17], 11 क्षेत्रीय कार्यालयों[18] और आठ वृत्त कार्यालयों[19] के अभिलेखों के 8,256 प्रकरणों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि, 30 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों (25 नियमित निर्धारित और पॉच डीम्ड निर्धारित) में, नि.प्रा. ने पीएससीसी पोल, सीमेंट, टायर, वाल पुट्टी, कास्मेटिक, केमिकल, कूलेंट, पेट्रोल, डीजल, वाहन, रॉक फासफेट, बोन सीमेंट पेवर ब्लाक, मुरम और प्लांट एवं मशीनरी, डीजी सेट, कोटा स्टोन और स्लीपर, आदि जो उच्च दरों से कर योग्य थे, पर त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाया गया।

इस प्रकार, नि.प्रा. ने, अधिनियमों, नियमों और विभागीय परिपत्रों के प्रावधानों का, वस्तुओं के सही वर्गीकरण करने और उचित दर से कर लगाने में अनुपालन नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ (₹ 2.70 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.49 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) वैट एवं उस पर म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार निर्धारित कर पर संभावित न्यूनतम शास्ति ₹ 3.77 करोड़ (₹ 2.28 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 1.49 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणं) का कम आरोपण किया गया।

प्रकरण वार लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण और संबंधित नि.प्रा. के उत्तर **परिशिष्ट III** में दिए गए हैं।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2020) के दौरान, आयुक्त वा.क.वि. ने बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण, त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण एवं अस्वीकार योग्य आगत कर छूट को मान्य करने से संबंधित सभी प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा एवं उन पर की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को नियत समय से अवगत करवाया जायेगा। तथापि, आयुक्त वा.क.वि. लेखापरीक्षा में परिमाणित शास्ति की राशि से असहमति जताई और कहा कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है।

हालांकि यह सत्य है कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है, शासन प्रकरण को पुनः खोलकर और अधिनियम/नियमों/संहिताओं से गैर–अनुपालन/विचलन का परीक्षण कर शास्ति की राशि पर अभिमत व्यक्त करने में सक्षम होगा।

अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

---

[17] **उप.आ.वा.क.** इन्दौर 2।

[18] **स.आ.वा.क.** भोपाल 6, गुना, ग्वालियर सभांग 2, इन्दौर 3, इन्दौर 9, जबलपुर 1, जबलपुर 2, कटनी 1, मुरैना, पीथमपुर और सागर।

[19] **वा.क.अ.** अशोकनगर, दमोह, इन्दौर 1, नीमच, रीवा, सागर, सतना 2 और सीहोर।

2.8 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/ अनियमित रूप से छूट मान्य करना

के.वि.क. अधिनियम उपबंधित करता है कि यदि, अन्तर्राज्यीय विक्रय (वह टर्नओवर का दो प्रतिशत के दर से कर भुगतान के लिए पात्र हो जाता है) पर कर का दावा करने वाला, व्यवसायी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित आवश्यक घोषणा प्रपत्र 'ग' प्रस्तुत करने में असफल होता है, वह संबंधित राज्य के अन्दर उस माल के विक्रय या क्रय पर लगने वाले दर से कर का भुगतान करने का दायी होगा, इसके अत्तिरिक्त, उस प्रकार निर्धारित कर पर शास्ति का भुगतान करेगा। निर्धारण पूर्ण करते समय, नि.प्रा. के लिए यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करें कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान, केवल जारी करने वाले राज्य के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये वास्तविक और वैधानिक प्रपत्र के आधार पर कर की दर में छूट मान्य करें। अन्यथा, इस प्रकार विक्रय किये गये माल पर म.प्र. वैट अधिनियम में निर्धारित आरोपणीय दर से कर लगेगा।

आगे, के.वि.क. अधिनियम के धारा 6–ए के अन्तर्गत, प्रेषण विक्रय (शाखा अन्तरण) पर वैधानिक प्रपत्र 'च' प्रस्तुत करने पर कर भुगतान से मुक्त होगा। वैधानिक प्रपत्र एवं सहायक अभिलेखों के अभाव में, इस माल पर कर अधिनियम में निर्धारित दर से आरोपणीय है।

इसी प्रकार, पारगमन बिक्री संबंध में, धारा 6(2) उपबंधित करता है कि, जहाँ किसी माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या तो ऐसे माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरण या एक राज्य से दूसरे में अंतरण के दौरान उस माल के मालिकाना अभिलेखों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावी, किसी पंजीकृत व्यवसायी को इस माल के अंतरण के दौरान उस माल के मालिकाना अभिलेखों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावी कोई बाद में विक्रय, के.वि.क. अधिनियम के अन्तर्गत कर से मुक्त होगा।

इसके अतिरिक्त, विक्रेता व्यवसायियों को कर भुगतान से मुक्ति के दावे के लिए, इस प्रकार के विक्रय के समर्थन में प्रपत्र 'ई–1', 'ई–2' और प्रपत्र 'ग' प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3,056 प्रकरणों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि, 13 प्रकरणों (12 नियमित निर्धारित और एक डीम्ड निर्धारित) में नि.प्रा. ने के.वि.क. अधिनियम के अंतर्गत अनियमित छूट प्रदान की, जैसा विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है:

तलिका 2.3 : कर का कम आरोपण/अनियमित छूट मान्य करने का विवरण

क्र. स.	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	प्रकरणों की संख्या
1	नि.प्रा. ने शाखा अन्तरण पर बिना समर्थित या अपूर्ण घोषणा प्रपत्र 'च' पर त्रुटिपूर्ण कटौती मान्य की	03
2	नि.प्रा. ने समर्थित घोषणा प्रपत्र 'ई–1' के बिना त्रुटिपूर्ण कटौती मान्य किया	01
3	नि.प्रा. ने प्रपत्र 'ई–1', व प्रपत्र 'ग' पर त्रुटिपूर्ण कटौती मान्य की जबकि संबंधित व्यवसायी ने प्रपत्र 'ग' पर माल का विक्रय किया था	02
4	नि.प्रा. ने निर्धारण के दौरान कर की अनियमित छूट मान्य की जबकि सकल विक्रय में कर सम्मिलित नहीं था	01
5	नि.प्रा. ने, धारा 10 (घ) के अन्तर्गत प्रपत्र 'ग' के दुरूपयोग पर शास्ति आरोपित नही की	01
6	नि.प्रा. ने 2015–16 के प्रकरण के विरूद्ध अनियमित कटौती मान्य की जबकि लेनदेन 2016–17 से संबंधित था	01
7	नि.प्रा. द्वारा कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाई गई	03
8	नि.प्रा. ने प्रत्यक्ष निर्यात के संबंध में समर्थित अभिलेखों के बिना कटौती मान्य की	01

इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.95 करोड़ (₹ 0.20 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.75 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) कर की कम वसूली एवं म.प्र.वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अतंर्गत ₹ 0.88 करोड़ की संभावित न्यूनतम शास्ति नियमित रूप से निर्धारित प्रकरणों पर आरोपित नहीं की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट IV** में विवरण दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2020) के दौरान, आयुक्त वा.क.वि. ने बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण, त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण एवं अस्वीकार योग्य आगत कर छूट को मान्य करने से संबधित सभी प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा एवं उन पर की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को नियत समय से अवगत करवाया जायेगा। तथापि, आयुक्त वा.क.वि. लेखापरीक्षा में परिमाणित शास्ति की राशि से असहमति जताई और कहा कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है।

हालांकि यह सत्य है कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है, शासन प्रकरण को पुनः खोलकर और अधिनियम/नियमों/संहिताओं से गैर–अनुपालन/विचलन का परीक्षण कर शास्ति की राशि पर अभिमत व्यक्त करने में सक्षम होगा।

अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1976 एवं नियम तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये परिपत्र, यह प्रावधानित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र के अन्दर उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश करने पर, निर्धारित दर से प्रवेश कर अरोपणीय होगा।

7,238 निर्धारित प्रकरणों, और संबंधित अभिलेखों जैसे अंकेक्षित लेखें, क्रय सूची आदि की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि, 59 प्रकरणों (55 नियमित निर्धारित और चार डीम्ड निर्धारित) में नि.प्रा. ने **तालिका 2.4** में दिये गये विवरण अनुसार लोहा एवं स्टील, इलेक्ट्रिकल आईटम, पैकिंग सामग्री, ट्रांसफार्मर, पाईप, केमिकल, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, सीमेंट सीट, लाईट डीजल ऑयल, विस्फोटक, टाईल्स, सेनिट्री, तेंदूपत्ता, बीड़ी, रेत, गिट्टी, कोयला, तारकोल, रेजिन, घुमावदार तार और स्टील पाईप आदि जैसी वस्तुओं पर उनके स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर या तो प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया अथवा त्रुटिपूर्ण दरों से आरोपित किया गया।

तालिका 2.4 : प्रवेश कर के कम अरोपण/अनारोपण का विवरण

क्र. स.	लेखापरीक्ष आपत्तियाँ	प्रकरणों की संख्या
1	नि.प्रा. ने कर की न्यून दर लगाई	23
2	नि.प्रा. ने अधिक और अनियमित कटौती मान्य की	18
3	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया	23
4	नि.प्रा. ने धारा 7 के अन्तर्गत प्रवेश कर एवं शास्ति नहीं लगाई	04
	योग	**68**[20]

अतः, इन सभी प्रकरणों में, संबंधित नि.प्रा. द्वारा कर की सही दर नहीं लगाई गई। परिणामस्वरूप, प्रवेश कर राशि ₹ 1.01 करोड़ (₹ 0.98 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.03 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) का कम आरोपण और म.प्र. वैट अधिनियम की

[20] यद्यपि 59 प्रकरणों की जाँच की गई और उन पर टिप्पणी दर्ज की गई, नौ प्रकरणों में विविध प्रकार की आपत्तियाँ सम्मिलित थी। अतः, यहाँ योग 59 से भिन्न है।

धारा 21(2) के अनुसार संभावित न्यूनतम शास्ति ₹ 2.06 करोड़ (₹ 1.97 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.09 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) का भी आरोपण नहीं हुआ।

इन्हें इंगित किये जाने पर, 52 प्रकरणों में नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी और शेष सात प्रकरणों में लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं संबंधित नि.प्रा. के उत्तर का विवरण **परिशिष्ट V** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2020) के दौरान, आयुक्त वा.क.वि. ने बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण, त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण एवं अस्वीकार योग्य आगत कर छूट को मान्य करने से संबंधित सभी प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा एवं उन पर की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को नियत समय से अवगत करवाया जायेगा। तथापि, आयुक्त वा.क.वि. लेखापरीक्षा में परिमाणित शास्ति की राशि से असहमति जताई और कहा कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है।

हालांकि यह सत्य है कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है, शासन प्रकरण को पुनः खोलकर और अधिनियम/नियमों/संहिताओं से गैर–अनुपालन/विचलन का परीक्षण कर शास्ति की राशि पर अभिमत व्यक्त करने में सक्षम होगा।

अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

2.10 अस्वीकार योग्य आगत कर छूट (आईटीआर) को मान्य करना

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, जब एक पंजीकृत व्यवसायी, ऐसे किसी अन्य व्यवसायी से आगत कर छूट के भुगतान के बाद मध्य प्रदेश राज्य के अन्दर अनुसूची दो में निर्धारित उस सूची के भाग तीन और भाग तीन क में निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त, कोई वस्तु क्रय करता है, वह ऐसे आगत कर छूट की धनराशि को ऐसे विधि से ऐसे अवधि के अन्दर जैसा निर्धारित किया गया है, का दावा कर सकता है या मान्य होगा।

म.प्र. वैट अधिनियम के नियम 9 के अन्तर्गत, यदि देयक, बीजक या नकद ज्ञापन में विक्रय करने वाले पंजीकृत व्यवसायी द्वारा संग्रहित कर की धनराशि को पृथक से नही दर्शाया है तो आगत कर छूट का ना तो दावा कर सकता है अथवा मान्य किया जायेगा।

आगे, म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 18, सहपठित नियम 21(9), प्रावधानित करता है कि, कोई बात इन नियमो के विपरीत निहित होने के बावजूद, कोई विवरणी पूर्ण नही होगी जब तक क्रय और विक्रय का विवरण, जैसा कि निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक था, प्रपत्र– 10, प्रपत्र 10.1 या प्रपत्र 10.2, जैसा प्रकरण हो, विवरणी में प्रस्तुत किया गया हो।

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(6–क) में प्रावधानित है कि, कोई बात इन धाराओं के विपरीत निहित होने के बावजूद, किसी प्रकरण में किसी क्रय पर आगत कर छूट की राशि, इस प्रकार के क्रय किये गये माल के संबंध में अधिनियम के अन्तर्गत वास्तव में शासकीय कोषालय में भुगतान किये गये कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयुक्त वाणिज्यिक कर ने, सभी वृत्त कार्यालयों को परिपत्र क्रमांक 147/2014–15/30/पन्द्रह/667 दिनांक 21 अगस्त 2014 द्वारा निर्देश भी जारी किये थे कि क्रेता व्यवसायी को आगत कर छूट मान्य करने के पूर्व राशि के अन्तर का समाधान कर लें।

2.10 (अ) उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट को मान्य करना

1,087 निर्धारित प्रकरणों एवं संबंधित अभिलेखों जैसे क्रय सूची, वेटिज सॉफ्टवेयर प्रतिवेदन 75–76[21] आदि के नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 184 प्रकरणों (101 नियमित निर्धारित और 83 डीम्ड निर्धारित) में, नि.प्रा. ने ₹ 6.27 करोड़ (₹ 3.55 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 2.72 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरण) अधिक आ.क.छूट बिना तथ्य पर विचार किये कि संबधित विक्रेता व्यवसायियों ने शासकीय लेखे मे निर्गत कर कम जमा किया, मान्य किया।

लेखापरीक्षा आपत्तियों और संबंधित नि.प्रा. के उत्तर का विवरण **परिशिष्ट VI** में दिया गया है।

विभाग ने उत्तर (अगस्त 2020) दिया कि आगत कर में छूट नि.प्रा. द्वारा क्रय देयकों, क्रय देयको में पृथक से चार्ज वैट, एम.आई.एस. मिसमेच प्रतिवेदन 75 एवं 76 के पूर्ण सत्यापन के पश्चात मान्य किया जाता है। अनेक अवसरों पर, व्यवसायी द्वारा टिन या फर्म के नाम के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या विक्रेता व्यवसायी द्वारा विक्रय के विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण, अन्तर की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे प्रकरणों में, संबंधित नि.प्रा. क्रय संबंधित सभी दस्तावेजों के सूक्ष्म सत्यापन के पश्चात आगत कर में छूट को मान्य करता है। क्रेता व्यवसायियों के पक्ष में अनेक न्यायिक निर्णय दिये गये हैं। अतः केवल एम.आई.एस. प्रतिवेदन 75 एवं 76 में अन्तर के आधार पर आगत कर में छूट मान्य नहीं किये जाने की आपत्ति उचित नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि संबंधित नि.प्रा. ने धारा 14 (6–अ) सहपठित नियम 9–अ के प्रावधानों और आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक 147/2014–15/30/पन्द्रह/667 दिनांक 21 अगस्त 2014 का अनुसरण नहीं किया, एवं नि.प्रा. ने संबंधित व्यवसायियों को आगत कर में छूट मान्य करते समय अन्तर के आँकड़ों का समाधान नहीं किया।

2.10 (ब) प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत जमा मान्य किया जाना

8,256 प्रकरणों के नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 50 निर्धारित प्रकरणों (43 नियमित निर्धारित और सात डीम्ड निर्धारित) में **तालिका 2.5** के अनुसार नि.प्रा. ने उच्च आगत कर छूट मान्य किया।

तालिका 2.5 : अधिक आगत जमा मान्य किये का विवरण

क्र. स.	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	प्रकरणों की संख्या
1	नि.प्रा. ने क्रय सूची एवं अंकेक्षित लेखे पर विचार किये बिना अधिक आगत कर छूट मान्य की	16
2	नि.प्रा. ने प्रावधान के विरूद्ध आगत कर छूट मान्य की	16
3	नि.प्रा. ने आगत कर छूट के नहीं/कम रिवर्सल और रिवर्सल राशि की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अधिक आगत कर छूट मान्य की	12
4	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय पर आगत कर छूट मान्य की	01
5	नि.प्रा. ने अनियमित बीजको पर आगत कर छूट मान्य की	03
6	नि.प्रा. ने ऐसे क्रय पर आगत कर छूट मान्य की, जिसके व्यवसायी अपंजीकृत थे	02

[21] विभागीय प्रयोगी प्रतिवेदन जिसमें मप्र वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान के अनुसार व्यवसायी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विवरणी के साथ में प्रस्तुत क्रय और विक्रय की सूची से क्रय एवं विक्रय का विश्लेषित एवं संग्रहित डाटा होता है।

अतः, उपरोक्त प्रकरणों में, नि.प्रा. सही आगत कर छूट निर्धारण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.11 करोड़ (₹ 1.03 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.08 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) अमान्य आगत कर छूट मान्य किया और म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21(2) के संभावित न्यूनतम शास्ति ₹ 1.50 (₹ 1.39 करोड़ नियमित निर्धारित एवं ₹ 0.11 करोड़ डीम्ड निर्धारित प्रकरणों) का आरोपण नही किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्तियों, संबंधित नि.प्रा. का उत्तर और उस पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का विवरण **परिशिष्ट VII** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2020) के दौरान, आयुक्त वा.क.वि. ने बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण, त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण एवं अस्वीकार योग्य आगत कर छूट को मान्य करने से संबधित सभी प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा एवं उन पर की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को नियत समय से अवगत करवाया जायेगा। तथापि, आयुक्त वा.क.वि. लेखापरीक्षा में परिमाणित शास्ति की राशि से असहमति जतायी और कहा कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है।

हालांकि यह सत्य है कि शास्ति चूक की प्रकृति पर निर्भर करती है, शासन प्रकरण को पुनः खोलकर और अधिनियम/नियमों/संहिताओं से गैर–अनुपालन/विचलन का परीक्षण कर शास्ति की राशि पर अभिमत व्यक्त करने में सक्षम होगा।

अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

2.11 माल एवं सेवा कर में परिवर्तन के लिए तैयारी

नए करदाताओं का पंजीयन

मध्य प्रदेश जीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 के अनुसार, जीएसटी के तहत नए व्यवसायियों का पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाना था। जीएसटी के तहत व्यवसायियों के नए पंजीकरण 31 मार्च 2020 की स्थिति **तालिका 2.6** में दी गई है:

तालिका 2.6 : नए करदाताओं का पंजीयन

31 मार्च 2020 तक प्राप्त आवेदन	निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या
3,24,916	60,487	2,59,979	4,450

स्रोत : राज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 18.62 प्रतिशत आवेदन निरस्त किए गए। यद्यपि, विभाग द्वारा आवेदन के निरस्तीकरण के कारण नहीं दिए गए। आवेदनों के लंबित होने के सबंध में, विभाग ने उत्तर (सितम्बर 2020) दिया कि पंजीकरण का जारी किया जाना, निरस्तीकरण और पंजीकरण का निरसन एक निरन्तर प्रक्रिया है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नये व्यवसायियों के पंजीयन में देरी हुई थी।

आगे, यह सूचित (अक्टूबर 2020) किया गया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, राज्य और केन्द्र के बीच नए करदाताओं का आवंटन, जीएसटीएन द्वारा स्वचालित रूप से सीबीआईसी द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में किया गया था।

2.12 आगत कर क्रेडिट का दावा एवं स्वीकृति

मध्य प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 140 के अनुसार, एक पंजीकृत करदाता 30 जून 2017 तक उसको उपलब्ध, वैट के क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए हकदार थे। इस प्रकार के कर क्रेडिट का पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा, म.प्र.जीएसटी नियमों के नियम 117 के तहत, निर्धारित फार्म ट्रान–1 में घोषणा दर्ज करके किया जा सकता है। इस घोषणा को दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2017 थी, जिसे मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। इसके पश्चात, कर निर्धारण अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह करदाता द्वारा ट्रान–1 में दावा की गई आगत कर केडिट राशि की यथार्थता का सत्यापन करे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30,773 करदाताओं ने ट्रान–1 दायर किया था और उसमें ₹ 3,893.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा, 15 कार्यालयों[22] के 3,969 प्रकरणों में से 1,366 प्रकरण की नमूना जाँच (जुलाई 2019 से मार्च 2020 के मध्य) की गई, जहाँ ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था एवं एसजीएसटी के रूप में अग्रेषित किया गया। करदाताओं द्वारा अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि के लिए जमा किए गए वैट रिटर्न (फार्म 10) मे दर्शाये गये आगत कर जमा से प्रतिसत्यापन करने पर प्रकट हुआ कि उसमें से 369 करदाताओं द्वारा अनियमित रूप से ट्रान में, वैट रिर्टन में दर्ज अग्रेषण से ₹ 11.49 करोड़ अधिक का ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया **(परिशिष्ट VIII)**।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2020) में आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा बताया गया कि जीएसटी लागू होने के पश्चात् जिन व्यवसायियों द्वारा ट्रान–1 प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें शासन द्वारा जारी की गई स्व–निर्धारण एवं डीम्ड योजना का लाभ नहीं दिया गया, अतः जिन व्यवसायियों द्वारा आगत जमा का दावा किया गया है उनका मिलान एवं सत्यापन वर्ष, 2017–18 के वैट के कर निर्धारण के समय किया जाएगा। वर्तमान में, वर्ष 2017–18 की प्रथम तिमाही के कर निर्धारण की प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। कर निर्धारण के समय ट्रान–1 में अग्रेषित राशि का सत्यापन किया जाएगा।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा यह भी बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा जिन 372 प्रकरणों में आपत्ति ली गई है उनके सत्यापन का कार्य संबंधित वृत्त द्वारा किया जा रहा है और वृत्त कार्यालयों से प्राप्त सूचना अनुसार, 88 प्रकरणों में सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई; अन्य प्रकरणों में वृत्त कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की जा रही थी। यद्यपि, इन 88 प्रकरणों का विवरण विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किया गया।

आयुक्त वाणिज्यिक कर के दावे के विपरीत, नि.प्रा. के उत्तर निम्न है–

1. व.क.अ, वृत्त बैतूल द्वारा 9 प्रकरणों में ₹ 25.69 लाख की वसूली सूचित (अगस्त 2020) की गई, एवं बताया कि 12 प्रकरण जिसमें ₹ 15.70 लाख आपत्ति की राशि सम्मिलित है, ₹ 7.13 लाख का जमा मान्य किया जाना सही पाया गया है, और शेष राशि हेतु कार्यवाही जारी थी।

2. स.आयु.वा.क. मुरैना द्वारा सूचित (अगस्त 2020) किया गया कि, 80 आपत्तियों के प्रकरण जिसमें राशि ₹ 1.68 करोड़ सम्मिलित है, में से 8 प्रकरणों की समीक्षा की गई एवं दो प्रकरणों में ₹ 5.98 लाख के माँग पत्र जारी किए गए। 12 प्रकरणों में कर निर्धारण की प्रक्रिया जारी थी। यद्यपि, उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख/साक्ष्य नहीं दिए गए।

---

[22] **क्षेत्रीय कार्यालय (4)** भोपाल 6, इन्दौर 10, मुरैना और रीवा।
वृत्त कार्यालय (11) अशोकनगर, बैतूल, दमोह, गुना, ग्वालियर 4, इन्दौर 1 इन्दौर 8, नीमच, सागर, सतना 2 और सीहोर।

3. वा.क.अ., सागर, गुना एवं ग्वालियर IV द्वारा सूचित (अगस्त एवं सितम्बर 2020) किया गया कि आपत्तिगत प्रकरणों का कर निर्धारण प्रकियाधीन/लंबित है और आगत कर छूट/जमा के अग्रेषण का परीक्षण नियमित कर निर्धारण के समय किया जाएगा।

4. स. आयु. वा.क. वृत्त VI भोपाल एवं वा.क.अ. वृत्त VIII इंदौर द्वारा सूचित (अगस्त एवं सितम्बर 2020) किया गया कि, करदाताओं के दावा किए गए आगत कर छूट राशि के सत्यापन के लिए अलग से दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।

5. स. आयु. वा.क वृत्त रीवा द्वारा सूचित (सितम्बर 2020) किया गया कि प्रकरणों की जाँच की गई एवं 4 प्रकरणों में ₹ 42.17 लाख के मांग पत्र जारी किए गए।

आगे, जैसा कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का तर्क था कि विभाग द्वारा 88 प्रकरणों में सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया था जहाँ कोई विसंगति नहीं पाई गई, यह निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त उत्तर और त्रूटिपूर्ण दावा के लिये माँग पत्र जारी होना और आगत कर जमा की स्वीकृति के संदर्भ में सही नहीं था, जैसा की ऊपर इंगित हैं।

लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए आगामी सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

2.13 लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रदाय नहीं किया जाना

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह के स्वचालन होने से, अभिलेखों के सत्यापन के, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए लेखापरीक्षा को नमूना जाँच से लेकर सभी लेन देन की व्यापक जाँच आवश्यक है। आंकड़ों की आवश्यक पहुँच अभी प्रदान किया जाना है। जीएसटी लेनेदेन से संबंधित आंकड़ों तक पहुँच नहीं होने से जीएसटी प्राप्तियों की व्यापक रूप से लेखापरीक्षा होने में बाधा आ रही है। इसलिये, केवल जीएसटी में परिवर्तन के लिए तैयारियों से संबंधित मुद्दों की लेखापरीक्षा में जाँच की गई।

अध्याय – III
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

मुख्य आकर्षण

सीएजी ने यह लेखापरीक्षा क्यों की

मध्य प्रदेश मे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से प्राप्तियाँ भारतीय मुद्रांक (भा.मु.) अधिनियम 1899, पंजीकरण अधिनियम 1908, मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 एवं राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचनाएं/आदेशों द्वारा विनियमित किया जाता है।

गैर–न्यायिक मुद्रांक के माध्यम से एकत्रित शुल्क अथवा फीस के अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची मे समाहित एक विषय है।

लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के दृष्टिकोण से की गई थी कि क्या मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार आरोपित, एकत्रित, लेखांकित किए गये एवं शासन के हितों की रक्षा हुई।

सीएजी को क्या मिला

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं 234 में से 33 उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया :

- *भूमि और भवनों के बाजार मूल्य के अवमूल्यांकन, एवं गलत दर से मुद्रांक शुल्क लगाये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति,*
- *भूमि के विकास से संबंधित अनुबंधों पर पंजीयन फीस की कम प्राप्ति,*
- *उचित शुल्क के निर्धारण के लिए सम्पदा साफ्टवेयर में अपर्याप्त नियन्त्रण के परिणामस्वरुप नगर पालिका शुल्क की कम प्राप्ति, एवं*
- *खनिज पट्टों के अन्तर्गत देय या परिदेय रायल्टी की संपूर्ण राशि को विचार में नहीं लाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति।*

इन कमियों मे कुल ₹ 9.94 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

3.1 परिचय

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक है। इसे दस्तावेजों के पंजीयन का काम सौपा गया है एवं सामान्य जनता द्वारा विभिन्न दस्तावेजों/विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के निर्धारण एवं एकत्रिकरण के लिए जिम्मेदार है। विभाग भारतीय मुद्रांक (भा.मु.) अधिनियम, 1899 और पंजीयन अधिनियम, 1908, जैसा समय–समय पर संशोधित किए गए हैं और इनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन को भी लागू करता है।

3.2 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.प.), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख हैं और जिनकी एक संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा सहायता की जाती है। विभाग की संगठनात्मक संरचना, विभिन्न स्तरों पर कार्यों के साथ, नीचे **चार्ट 3.1** में दशाई गई है:

चार्ट 3.1 : संगठनात्मक संरचना

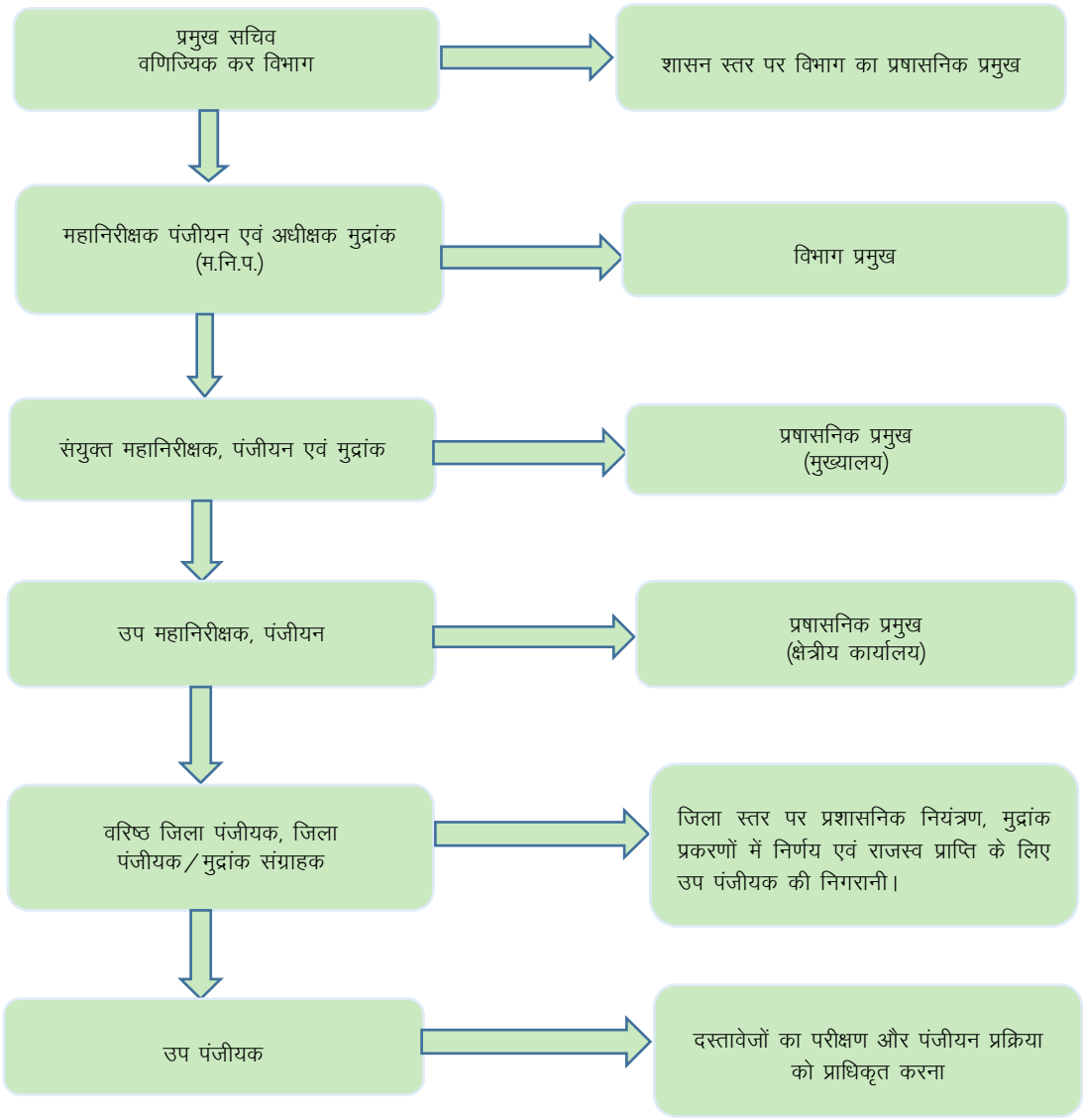

3.3 राजस्व की प्रवृति

अवधि 2015–16 से 2018–19 के दौरान मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) एवं पंजीयन फीस (पं.फी.) से वास्तविक प्राप्तियाँ, नीचे **चार्ट 3.2** में दी गई हैं :

चार्ट 3.2 : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

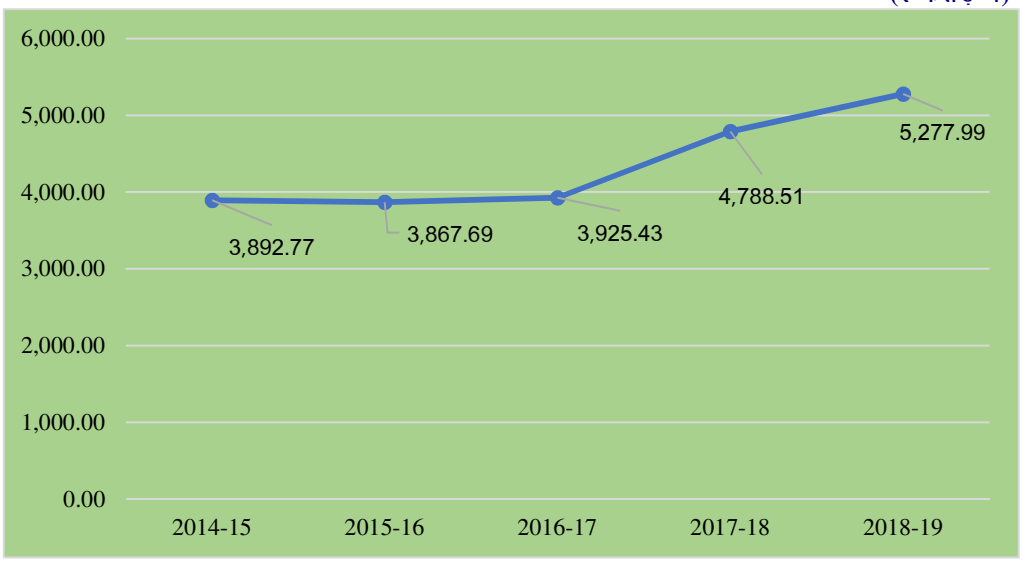

स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता हैं कि, मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) एवं पंजीयन फीस (पं.फी.) के माध्यम से राजस्व संग्रह 2015–16 से 2018–19 की अवधि के दौरान साल–दर–साल लगातार बढ़ा है, चार साल की अवधि में यह वृद्धि 36.46 प्रतिशत रही। यद्यपि, 2015–16 का राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष की तुलना में नाममात्र कम (0.64 प्रतिशत) हुआ। 2014–19 के दौरान वार्षिक वृद्धि के बावजूद, 2017–18 को छोड़कर, इस अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ किसी भी वर्ष में बजटीय अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती हैं। 2017–18 के दौरान, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से प्राप्तियाँ बजटीय अपेक्षाओं (**₹** 4,300 करोड़) से **₹** 488.51 करोड़ (**₹** 4,788.51 करोड़) से बढ़ीं हैं।

विभाग ने, 2017–18 के दौरान कर चोरी के प्रकरणों की पहचान पश्चात राजस्व की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि और ई–पंजीकरण सॉफ्टवेयर की निरंतर निगरानी, जिससे पंजीयन का समय कम हुआ एवं नगर पालिका शुल्क जनवरी 2018 में दो से तीन फीसदी वृद्धि को, जिम्मेदार बताया।

3.4 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

पंजीयन और मुद्रांक विभाग की लेखापरीक्षा अगस्त – दिसंबर 2019 के दौरान राज्य में 234 उप–पंजीयक कार्यालयों में से 33[23] (14.10 प्रतिशत) में संबंधित अभिलेख एवं लेनदेन के आँकडों के परीक्षण के माध्यम से यह आश्वासन पाने के लिए की गई थी, कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार आरोपित, एकत्रित और लेखांकन किया गया था एवं शासन के हितों की रक्षा हुई। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इन 33 इकाइयों मे विभाग के कुल राजस्व

[23] बदनावर (धार), बटियागढ, (दमोह), बेतूल, भिण्ड, भोपाल, देवास, धार, धरमपुरी (धार), गंजबासोदा (विदिशा), ग्वालियर 1, हरदा, इन्दौर 1, इन्दौर 2, इन्दौर 4, जबलपुर 2, केवलारी (सिवनी), खण्डवा, मुरैना, नागदा, निवाडी (टीकमगढ), ओबेदुल्लागंज (रायसेन), रघुराजनगर (सतना), राजनगर (छतरपुर), रतलाम, सागर, सौंसर (छिन्दवाडा), शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सिलवानी (रायसेन), सोहागपुर (शहडोल), सोनकच्छ (देवास) एवं विजयराघवगढ (कटनी)।

₹ 13,991.94 करोड़ में से ₹ 5,349.96 करोड़ (लगभग 38.23 *प्रतिशत*) का राजस्व लेखांकित था। इन इकाईयों का चयन जोखिम बोध (रिस्क परसेप्शन) के आधार पर चयनित किया गया था, जिसमें निहित जोखिम (इनहेरेन्ट रिस्क), राजस्व संग्रहण, हानि/ धोखाधड़ी/गबन प्रकरणों और आंतरिक मूल्यांकन आदि के मामले शामिल थे। इसके अतिरिक्त, खनन संसाधन विभाग के तहत कुल 52 जिला खनिज कार्यालयों में से 27[24] जिला खनिज कार्यालयों (डी.एम.ओ.) द्वारा निष्पादित खनन पट्टों के अनुबंधों की भी नमूना जाँच यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी कि खनन अनुबंधों को उप पंजीयकों द्वारा विधिवत पंजीकृत और मुद्रांकित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने तीन साल की अवधि 2016–2019 के दौरान विभाग के लेनदेन को अच्छादित किया। भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1899, पंजीकरण अधिनियम 1908, महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी बाजार मूल्य मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और समय–समय पर राज्य शासन/महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्र और आदेशों के मानदंडों के विरुद्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्धारित किया गया था।

3.5 लेखापरीक्षा परिणाम

अगस्त 2015 के बाद से एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली "सम्पदा" के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन और मुद्रांकन ऑनलाइन किया जा रहा है। राज्य में कहीं भी स्थित संपत्ति का मूल्यांकन, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना, और उप पंजीयक (उ.पं.) के कार्यालयों में स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाएँ सम्पदा प्रदान करता है।

पंजीकृत दस्तावेजों की लेखापरीक्षा सम्पदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई। यद्यपि, इकाई स्तर पर राजस्व के मानवीय संग्रहण से संबंधित बुनियादी दस्तावेज, जैसे कि कैश बुक, फीस बुक, चालान बुक, आदि का परीक्षण किया गया। चयनित इकाईयों में कुल 5,77,343 दस्तावेज पंजीकृत थे, जिनमें से 24,307 की नमूना जाँच पेशेवर निर्णय के आधार पर की गई थी।

लेखापरीक्षा के समापन पर, लेखापरीक्षा निष्कर्ष शासन को अग्रेषित किए गए थे (फरवरी 2020)। जबकि विभाग ने अगस्त 2020 में जवाब प्रेषित किया था, शासन स्तर पर निर्गम सम्मेलन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा, मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) और/अथवा पंजीयन फीस (प.फी.) के कम आरोपण के 220 प्रकरण प्रकाश में लाये गये, जिसमें ₹ 9.94 करोड़ की राशि शामिल है, विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है:

तलिका 3.1: मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा टिप्पणियों की श्रेणी	विचलन की संख्या	राशि
1	सम्पतियों का न्यून मूल्यांकन	113	3.93
2	त्रुटिपूर्ण दर से मुद्रांक शुल्क लगाया जाना	3	0.12
3	पंजीयन फीस का कम आरोपण	35	0.51

[24] अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाडा, दमोह, देवास, डिन्डोरी, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, कटनी, खरगौन, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, सीधी एवं उज्जैन।

4	संशोधित दर का लागू नहीं किया जाना	44	0.17
5	पट्टा अनुबंधों के तहत देय या परिदेय रायल्टी की सम्पूर्ण राशि पर शुल्क/फीस आरोपण नहीं करना	25	5.21
योग		**220**	**9.94**

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियों की पाँच व्यापक श्रेणियाँ जो ऊपर सूचीबद्ध हैं, की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई है। विभाग के अधीन अन्य इकाइयों में समान अनियमितताएँ, त्रुटियाँ/चूक हो सकती हैं, लेकिन नमूना जाँच मे शामिल नहीं की गई हैं। इसलिए, विभाग सभी इकाईयों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि कर अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर आरोपित किए गये हैं।

विभाग ने अपने उत्तर में 13 मामलों में शुल्क/फीस का कम आरोपण स्वीकार किया है और ₹ 57.59 लाख की वसूली की है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6 संपत्तियों के न्यून मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक (भा.मु.) अधिनियम, 1899 की धारा 47–ए के अन्तर्गत, यदि पंजीयन अधिकारी, किसी विलेख के पंजीयन के समय यह पाता है कि किसी सम्पति का निर्धारित बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य गाईडलाईन (बा.मु. गा.) मे दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक एवं संग्राहक को संदर्भित करना चाहिए।

33 उप पंजीयक कायालयों के 21,958 पंजीकृत विलेखों की नमूना जाँच में पाया कि, 29 उप पंजीयक कायालयों में पंजीकृत 113 विलेखों में, बाजार मूल्य गाईडलाईन के अनुसार सम्पत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 142.21 करोड़ था। यद्यपि, उप पंजीयकों के द्वारा इन विलेखों में सम्पत्तियों को बाजार मूल्य ₹ 98.13 करोड़ पर पंजीकृत किया गया। जिसके परिणामस्वरुप मुद्रांक शुल्क ₹ 3.59 करोड़ एवं पंजीयन शुल्क ₹ 0.34 करोड़ कुल ₹ 3.93 करोड़ का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट IX** मे दर्शाया है।

उप पंजीयकों ने इन सभी प्रकरणों मे विलेखों में उल्लिखित विभिन्न घटकों पर विचार नहीं किया जो संपत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं और इन विलेखों को संपत्तियों के सही मूल्यांकन एवं उन पर शुल्क के निर्धारण हेतु जिला पंजीयकों को संदर्भित नहीं किया।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि एक प्रकरण में ₹ 0.28 लाख की वसूली की गई थी और शेष प्रकरणों में निराकरण की कार्रवाई जारी थी।

3.7 मुद्रांक शुल्क की त्रुटिपूर्ण दर का लगाया जाना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ए के अनुच्छेद 36 के अनुसार, जब संपत्ति परिवार के सदस्य को उपहार में दी जाती है, तो मुद्रांक शुल्क उस संपत्ति के बाजार मूल्य का 2.5 प्रतिशत की दर से एवं अन्य सभी प्रकरणों में पाँच प्रतिशत की दर से आरोपणीय होता है। इस प्रयोजन के लिए, परिवार का तात्पर्य "माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, दादा और पोता" से है।

- नमूना जाँच से पाया कि तीन उप पंजीयक कार्यालयों के तहत, उपहार विलेखों के चार मामलों में, संपत्ति परिवार के सदस्य के अलावा अन्य को उपहार में दी गई थी, परन्तु पाँच प्रतिशत के बजाय 2.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क त्रुटिपूर्ण आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.03 करोड़ के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण हुआ।
- एक अन्य मामले में हस्तान्तरण पत्र का मुख्तारनामा के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण, ₹ 0.09 करोड़ का मुद्रांक शुल्क कम आरोपित किया गया।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि इन प्रकरणों में निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।

3.8 भूमि विकास से संबंधित अनुबंधों पर पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

07 जनवरी 2015 को जारी, भारतीय मुद्रांक (मध्य प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2014, की अनुसूची–एक के अनुच्छेद 6(डी)(एक) मे प्रावधान है कि, यदि भूमि विकास से संबंधित अनुबंध में यह उपबंध हो कि विकास के पश्चात ऐसी विकसित सम्पत्ति या उसका भाग स्वामी के साथ या तो पृथकतः या तो संयुक्ततः धारित/विक्रय किया जायेगा, तो इस लेन–देन को हस्तान्तरण[25] पत्र जैसा मानते हुए उसमें दी गई दरों पर शुल्क आरोपित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 01 के अनुसार, पंजीयन फीस की गणना उस रकम की 0.8 प्रतिशत[26] की दर से की जायेगी, जिस पर मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है।

06 उप पंजीयक कार्यालयों[27] के 2,349 विकास अनुबंधों की नमूना जाँच से पाया गया कि 35 अनुबंधों में, विकासकर्ता का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि के 50 प्रतिशत के बराबर या कम था। विभाग ने इन प्रकरणों में विकसित की जाने हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य पर 2.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपित किया है। यद्यपि, जिस राशि पर मुद्रांक शुल्क लगाया गया था, अर्थात विकसित की जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य पर 0.8 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस नहीं लगाई गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन अनुबंधों के तहत विकसित की जाने वाली संपूर्ण भूमि का बाजार मूल्य ₹ 126.86 करोड़ था, जिसके विरुद्ध 0.8 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभार्य थी। यद्यपि, उप पंजीयको ने सपूंर्ण भूमि के केवल 50 प्रतिशत मूल्य पर पंजीयन फीस आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 50.74 लाख के पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट X)**।

उप पंजीयक द्वारा "पंजीयन फीस के त्रुटिपूर्ण आरोपण" की समान आपत्ति, उन प्रकरणों में जहाँ विकासकर्ता का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत या कम था, को सीएजी की 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में भी इंगित किया गया था। विभाग ने पूर्व में (सितंबर 2016 में निर्गम सम्मेलन के दौरान) आपत्ति लिए प्रकरणों में अनियमितताओं को स्वीकार किया था और उचित कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया था। यद्यपि, अनियमितताएं लगातार पाई गई हैं। स्पष्ट है कि, विभाग ने अपने आश्वासनों पर काम नहीं किया और उप पंजीयकों द्वारा

---

[25] संपूर्ण भूमि के केवल उस हिस्से पर बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क लगाया जाएगा, जिसे विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित/विक्रीत की जाने वाली विकसित संपत्ति के अनुपात में हो, अथवा उस शुल्क का आधा शुल्क जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य पर 2.5 प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो।

[26] राज्य सरकार की अधिसूचना 15 अगस्त 2014 से लागू हुई।

[27] बदनावर, भोपाल 2, इन्दौर 1, जबलपुर 2, खंडवा और सोनकच्छ।

दूसरे स्तर के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र नहीं रखा, जैसा कि 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि तीन मामलों में ₹ 1.59 लाख की वसूली की गई और शेष 32 प्रकरणों में निराकरण की कार्रवाई जारी थी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

3.9 सॉफ्टवेयर में अपर्याप्त नियंत्रण

मध्य प्रदेश शासन के पंजीयन विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2018 द्वारा नगर निगम/नगर पालिका शुल्क (नगर पालिका शुल्क) को दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया गया था और इसे सम्पदा सॉफ्टवेयर में 18 और 19 जनवरी 2018 की मध्य रात्रि से प्रभावी किया गया था।

11 उप पंजीयक कार्यालयों[28] में हस्तांतरण पत्र से संबंधित 4,595 विलेखों की नमूना जाँच में पाया कि, नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्ति के 44 विलेखों को 19 जनवरी 2018 को या उसके बाद निष्पादित किया गया था। यद्यपि, सॉफ्टवेयर द्वारा नगर पालिका शुल्क की गणना संपत्ति के मूल्य पर तीन प्रतिशत के स्थान पर पुरानी दर दो प्रतिशत से की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप नगर पालिका शुल्क ₹ 16.85 लाख की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XI)**।

यह आपत्ति केवल नमूना जाँच किए गए विलेखों में ही पाई गई थी। इसलिए, विभाग अन्य सभी विलेखों की आंतरिक जाँच कर सकता है एवं समुचित व्यवसायिक तर्क के विकास और सम्पदा सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2020) कि छह प्रकरणों में ₹ 6.62 लाख की वसूली की गई, एक प्रकरण विधिवत मुद्रांकित पाया गया और शेष 37 प्रकरणों में, निराकरण की कार्रवाई जारी थी।

3.10 पट्टा अनुबंधों के तहत देय या परिदेय रॉयल्टी की सम्पूर्ण राशि पर शुल्क/फीस आरोपित नहीं किया जाना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (14 जनवरी 2016 को संशोधित) की अनुसूची एक–क के अनुच्छेद 38 (ब) मे प्रावधान है कि खनन पट्टों के तहत देय या परिदेय सम्पूर्ण राशि का 0.75 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। साथ ही, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 2 के अनुसार, खनन पट्टा पर मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन–चौथाई की दर से पंजीयन फीस की गणना की जाएगी।

10 जिला खनिज कार्यालयों (जि.ख.का.)[29] में पंजीकृत कुल 1973 खनिज पट्टा विलेखों मे से 502 पट्टों (25.44 प्रतिशत) की नमूना जाँच में पाया कि अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के बीच पंजीकृत 25 पट्टा विलेखों में, 10 उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का सही आरोपण नहीं किया गया।

25 पट्टा विलेखों में से, 24 प्रकरणों में, नौ उप पंजीयकों[30] ने पट्टों के तहत देय या परिदेय रॉयल्टी की सम्पूर्ण राशि पर विचार नहीं किया, जैसा कि मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के निर्धारण के लिए अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। एक अन्य प्रकरण में, उप पंजीयक खरगोन ने पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के दौरान देय रॉयल्टी के स्थान पर खनिज भूमि के बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया।

---

[28] भोपाल 2, धार, गंजबासोदा, ग्वालियर 1, इन्दौर 1, इन्दौर 2, इन्दौर 4, जबलपुर 2, ओबेदुल्लागंज, रतलाम और सागर 1।

[29] अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, इन्दौर, खरगौन, रीवा, सागर, सीधी और उज्जैन।

[30] अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, इन्दौर, रीवा, सागर, सीधी और उज्जैन।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 25 प्रकरणों में ₹ 10.40 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस आरोपणीय थी, किन्तु उप पंजीयकों ने केवल ₹ 5.19 करोड़ आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XII)**।

विभाग ने बताया (अगस्त 2020) कि तीन प्रकरणों में ₹ 49.10 लाख की वसूली की गई थी, तीन प्रकरणों में आर.आर.सी जारी की गई और शेष प्रकरणों में संबंधित जिला पंजीयकों को शीघ्र वसूली के लिए निर्देश दिए गए थे और, प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

3.11 निष्कर्ष

पंजीयन और मुद्रांक विभाग की लेखापरीक्षा में चयनित उप पंजीयकों और जिला खनिज कार्यालयों की नमूना जाँच में संपत्ति के मूल्यांकन, सम्पदा सॉफ्टवेयर में नियंत्रण, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार सही रॉयल्टी की निगरानी और गणना जैसी महत्वपूर्ण कमियां पाई, जैसा कि नीचे संक्षेप में प्रस्तुत हैं–

- विलेखों में उल्लिखित तथ्यों/सूचनाओं के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ;
- विभाग ने दर के सही आरोपण एवं शुल्क/फीस की गणना के लिए सम्पदा सॉफ्टवेयर पर पर्याप्त नियंत्रण के प्रावधान सुनिश्चित नहीं किए और विभिन्न स्तरों पर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क/फीस का कम आरोपण हुआ;
- पंजीयन प्राधिकारियों ने मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के निर्धारण के लिए पट्टों के तहत देय या परिदेय रॉयल्टी की पूरी राशि पर विचार नहीं किया, जैसा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित था, जिसके परिणामस्वरूप इनका कम आरोपण हुआ।

अध्याय – IV
भू–राजस्व

मुख्य आकर्षण

सीएजी ने यह लेखापरीक्षा क्यों की

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.भू.रा.सं.) के अनुसार, ''भू–राजस्व'' में शामिल है, धारित भूमि के लिए, राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें सम्मिलित है प्रीमियम, लगान अथवा पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन भावों का कोई अन्य संज्ञानात्मक रूपांतर।

जब कृषि भूमि को आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित किया जाता है, तो उप संभागीय अधिकारियों (एसडीओ) द्वारा भूमि के व्यपवर्तित उपयोग के लिए भू–राजस्व एवं प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। राज्य में स्थायी और अस्थायी पट्टे पर आवंटित नजूल/सरकारी भूमि पर भू–भाटक, प्रीमियम और ब्याज आरोपित किया जाता है। म.प्र.भू.रा.सं. 1959, राजस्व पुस्तक परिपत्र (रा.पु.प.) और समय–समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों के अंतर्गत जुर्माना, शास्ति, प्रक्रिया शुल्क और ब्याज भी आरोपित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में भू–राजस्व पर पंचायत उपकर (सेस) भी आरोपित किया जाता है।

यह लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गयी थी कि क्या भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित प्रकरणों का निर्धारण किया जा रहा है तथा प्रीमियम किराया और पंचायत उपकर को म.प्र.भू.रा.सं., 1959 के अनुसार एकत्र किया जा रहा है।

सीएजी को क्या मिला

प्रधान राजस्व आयुक्त (प्र.रा.आ.) के कार्यालय और 47 में से 28 कलेक्ट्रेट्स के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने प्रणाली में कमियाँ तथा अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना पाया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :

- *उपबंध और शासकीय अधिसूचनाओं के प्रावधानों का गैर–अनुपालन, जिसके परिणामस्वरूप व्यपवर्तन भाटक, प्रीमियम और पंचायत उपकर का कम निर्धारण किया गया,*
- *भू–राजस्व, प्रीमियम, पंचायत उपकर और शास्ति वसूल किए बिना व्यपवर्तन के आदेश जारी करने से भू–राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।*

इन कमियों का, कुल राजस्व प्रभाव ₹ 4.85 करोड़ है।

4.1 परिचय

राजस्व विभाग शासकीय भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और राज्य के भूमि अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है। यह भूमि के उपयोग के संदर्भ में भू–राजस्व के निर्धारण और प्राप्ति से संबंधित मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (म.प्र.भू.रा.सं.), 1959 के विभिन्न प्रावधानों को भी लागू करता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। प्रधान राजस्व आयुक्त (प्र.रा.आ.) विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख (आ.बं.भू.अ.) होता हैं। संभागीय आयुक्त (स.आ.) संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक जिले में, विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है तथा उसकी सहायता करने हेतु एक या अधिक उप–संभागीय अधिकारी, जो सहायक कलेक्टर/उप–कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर पद के होते हैं, पदस्थ रहते हैं। राजस्व अभिलेख और बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टरेट्स में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (एसएलआर/एएसएलआर) की पदस्थापना की जाती है। तहसीलदार/अपर तहसीलदार को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य में 10 राजस्व संभाग (प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है), 52 जिले (प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है) और 369 तहसीलें हैं। विभाग की संगठनात्मक संरचना को नीचे **चार्ट 4.1** में दिया गया है।

चार्ट 4.1 : संगठनात्मक संरचना

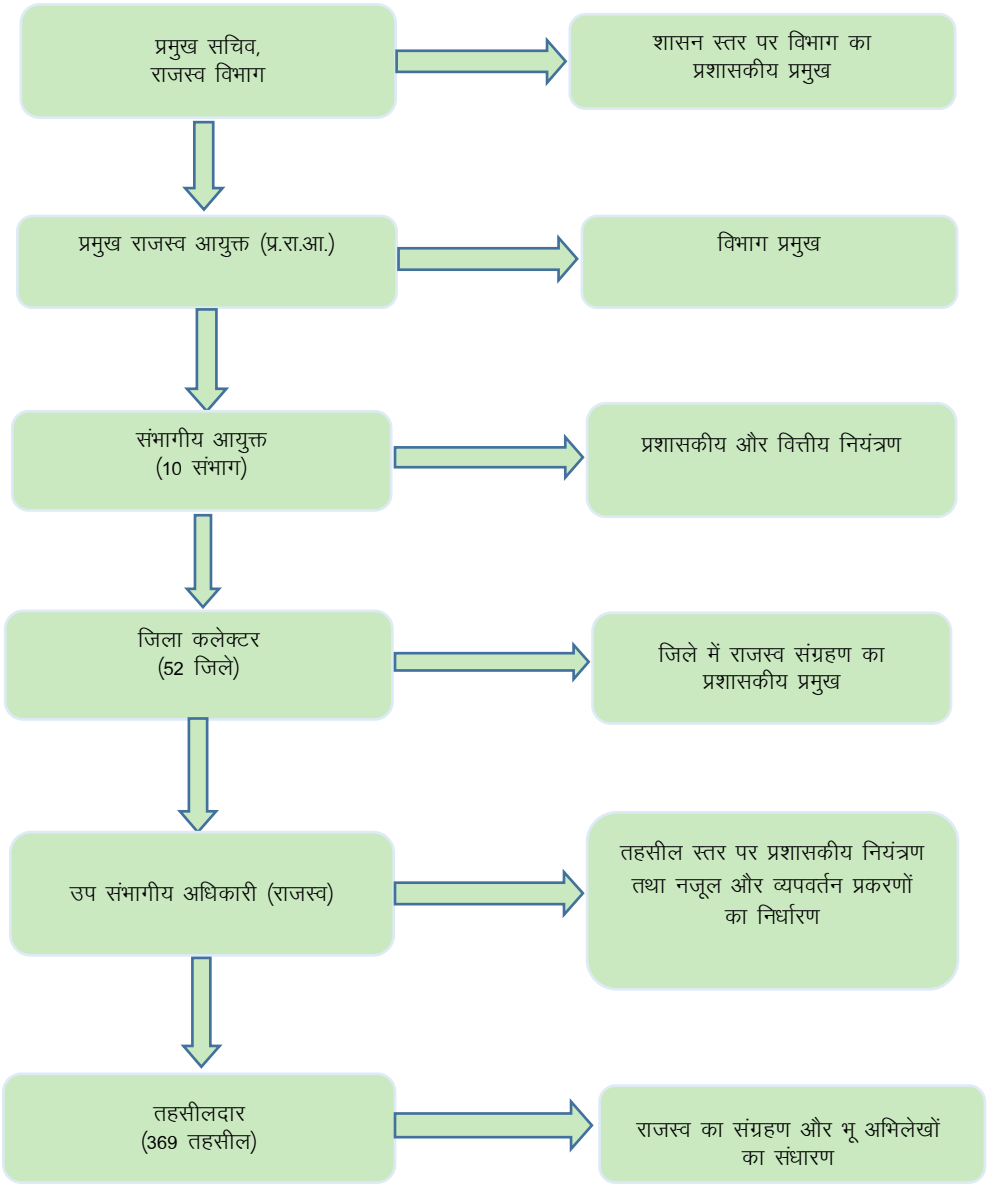

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

पाँच वर्ष की अवधि 2014–2019 में भू–राजस्व की प्राप्तियों की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 4.2** में दी गई है:

चार्ट 4.2 : भू–राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

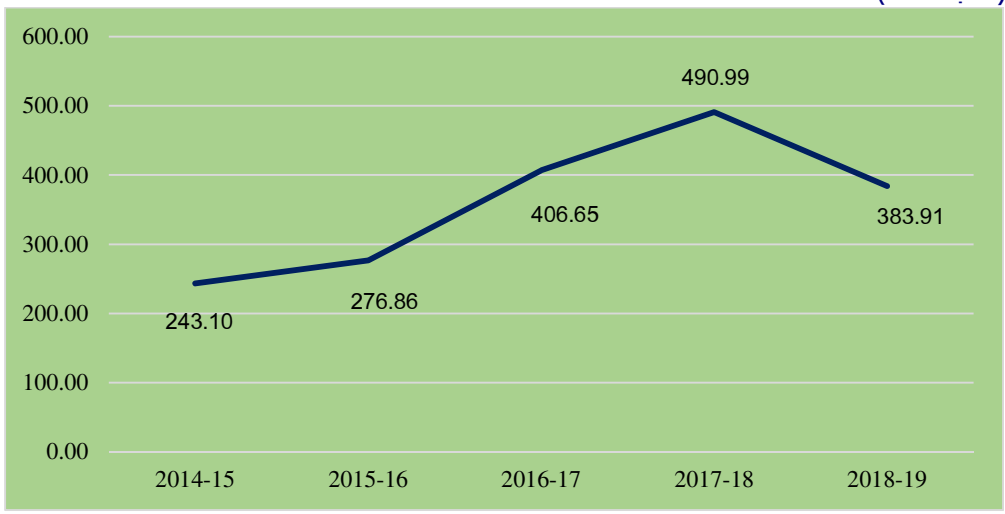

स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष 2014–2018 की अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष भू–राजस्व में वृद्धि हुई है। यद्यपि, 2018–19 के दौरान भू–राजस्व प्राप्तियों में 21.81 प्रतिशत की भारी गिरावट रही। साथ ही, 2014–18 के दौरान वार्षिक वृद्धि के बावजूद, इस अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ किसी भी वर्षों में बजटीय अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती हैं। वास्तव में, ₹ 383.91 करोड पर, 2018–19 के दौरान भू–राजस्व प्राप्तियाँ, बजटीय अपेक्षाओं से 68 प्रतिशत कम रही।

विभाग ने 2016–17 में भू–राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए बड़े बकायादारों को चिन्हित करके भू–राजस्व बकाया की वसूली को जिम्मेदार बताया। यह बताते हुए कि, वित्त विभाग द्वारा 2017–18 के लिए निर्धारित बजट लक्ष्य अधिक था, विभाग ने यह भी बताया गया कि वर्ष 2016–17 की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2017–18 की राजस्व प्राप्तियाँ 20.74 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियों की कमी के संबंध में विभाग ने इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी तथा अन्य शासकीय कार्यों में संलग्न होना बताया (नवंबर 2019)।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू–राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, व्यपवर्तन प्रकरणों में भू–राजस्व और प्रीमियम के निर्धारण एवं संग्रह से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से 28 कलेक्ट्रेट (47 में से) और 28 उप संभागीय अधिकारी कार्यालयों (व्यपवर्तन भाटक की अधिकतम प्राप्त राशि के आधार पर चयनित) में तीन साल की अवधि 2016–17 से 2018–19 के लिए, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई कि, करों का लगाया जाना, एकत्र किया जाना और उनका लेखांकन संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार किया गया तथा शासन के हितों की रक्षा की गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्र.रा.आ. कार्यालय और 10 संभागीय आयुक्तों के कार्यालयों[31] से भी जानकारी एकत्र की गई।

लेखापरीक्षा की समाप्ति पर, निष्कर्ष विभाग को टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं के लिए प्रेषित किए गए (जनवरी 2020), बार–बार अनुरोध (जून से अगस्त 2020 के मध्य) के बावजूद, निर्गम सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका।

[31] विभागीय निरीक्षण के संबंध में।

लेखापरीक्षा द्वारा, अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से विचलन/गैर–अनुपालन, एवं विभिन्न कारणों से 640 प्रकरणों में जिनमें ₹ 4.85 करोड़ की राशि शामिल थी, भूमि राजस्व प्राप्तियों की वसूली नहीं होना, के उदाहरण संज्ञान में लाए गए, जैसा विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणी	लेखापरीक्षा विचलनों की संख्या	राशि
1	व्यपवर्तन भाटक, प्रीमियम एवं पंचायत उपकर का न्यून आरोपण के कारण– (i) निर्धारण के लिए भूमि का बाजार मूल्य त्रुटिपूर्ण लिया जाना, (ii) दरों का त्रुटिपूर्ण लगाया जाना, एवं; (iii) पंचायत उपकर आदि का आरोपित न किया जाना।	527	2.94
2	व्यपवर्तित प्रकरणों में भू–राजस्व की अप्राप्ति	113	1.91
	योग	**640**	**4.85**

भू–राजस्व के अंतर्गत लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की व्यापक श्रेणियों की विस्तृत चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है। नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं की गई अन्य इकाईयों में भी, समान अनियमितताएं, त्रुटियाँ/चूक अस्तित्व में हो सकती हैं। अतः, विभाग, अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व का निर्धारण, आरोपण और संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाईयों की जाँच कर सकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

म.प्र.भू.रा.सं., रा.पु.प. और समय–समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, जब कृषि भूमि को आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित किया जाता है तब भूमि के व्यपवर्तन किए गए उद्देश्य के लिए भाटक और प्रीमियम का निर्धारण एसडीओ द्वारा किया जाता है। राज्य में स्थायी और अस्थायी पट्टे पर आवंटित नजूल[32]/सरकारी भूमि पर जमीन का भाटक, प्रीमियम और ब्याज लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत उपकर (सेस) भी पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में भू–राजस्व पर लगाया जाता है।

4.4 भू–राजस्व एवं प्रीमियम का न्यून आरोपण

म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 के अनुसार, यदि किसी उद्देश्य के लिए निर्धारण की गई भूमि किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित की जाती है, तो ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व एवं प्रीमियम को उस उद्देश्य के अनुसार जिसके लिए इसे व्यपवर्तित किया गया, संशोधित और निर्धारित किया जाएगा। व्यपवर्तन किए गए उपयोग के लिए भू–राजस्व और प्रीमियम की दरें, नियमों[33] में निर्धारित दरों पर भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी। साथ ही, भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए, अध्यक्ष, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड और महानिरीक्षक, पंजीयन, ने (अप्रैल 2015) बाजार मूल्य के दिशा–निर्देशों के लिए उपबंध (प्रावधान) जारी किये हैं।

---

[32] नजूल भूमि सरकारी भूमि है जिसका उपयोग निर्माण या सार्वजनिक उपयोगिता जैसे बाजार या मनोरंजन के स्थान के लिए किया जाता है।

[33] म.प्र.भू.रा.स., 1959 की धारा 258 और धारा 59 के तहत बनाए गए नियम।

लेखापरीक्षा ने 28 चयनित कलेक्टरेट्स में एसडीओ द्वारा अप्रैल 2015 और मार्च 2019 के बीच निर्धारण किये गये 42,408 प्रकरणों में से 8,313 (लगभग 19.60 प्रतिशत) व्यपवर्तन प्रकरण नमूना जांच किये (जून 2019 और दिसंबर 2019 के मध्य), और 26 इकाईयों में 527 प्रकरणों में व्यपवर्तन भाटक और प्रीमियम आरोपण हेतु भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में नियमों का गैर अनुपालन/विचलन पाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ का भू–राजस्व एवं प्रीमियम का कम आरोपण, इसके अतिरिक्त, ₹ 0.05 करोड़ का पंचायत उपकर का अनारोपण हुआ, सकल ₹ 2.94 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ **(परिशिष्ट XIII)**।

विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि जिलों से अनुपालन मांगा जा रहा है।

इन 527 मामलों के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण इस प्रकार है:

4.4.1 भूमि का त्रुटिपूर्ण बाजार मूल्य लिया जाना

(अ) बाजार मूल्य दिशानिर्देश 2015 के उपबंध की कंडिका 4 के अनुसार, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर नगर निगम की सीमा में, अन्य शहरों के नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में और नगरपरिषद/विशिष्ट ग्राम की सीमा में या निर्दिष्ट निवेश क्षेत्रों में स्थित भूमि का निर्धारण क्रमशः पहले 1000 वर्गमीटर, 500 वर्गमीटर, और 300 वर्गमीटर के लिए क्रमशः विकसित भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया जाना था, जैसा कि उपबंध में निर्दिष्ट है और शेष भूमि का निर्धारण कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया जाना था।

436 प्रकरणों (24 कलेक्टर[34]) में, भूमि के निर्दिष्ट क्षेत्र का निर्धारण उपबंध के अनुसार विकसित भूमि के रूप में नहीं किया गया। एसडीओ ने सम्पूर्ण भूमि का निर्धारण केवल कृषि भूमि के लिए लागू दरों के आधार पर किया, जिसके परिणामस्वरूप भाटक, प्रीमियम और भाटक पर पंचायत उपकार की राशि ₹ 2.58 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(ब) उपबंध की कंडिका 1 के अनुसार, गांवों/क्षेत्र में, जहां सड़कों के पास[35] स्थित भूमि के लिए पृथक से दरें निर्धारित नहीं हैं, भूमि का मूल्य, राष्ट्रीय राजमार्ग और इसके उपमार्ग, राज्य राजमार्ग और इसके उपमार्ग तथा जिला मार्ग के लिए क्रमशः बाजार मूल्य से 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया जायेगा।

24 प्रकरणों (छः कलेक्टर[36]) में, उपबंध की कंडिका 1 के अनुसार उच्च दरें लागू नहीं की गई थीं, यद्यपि भूमि सड़क के पास स्थित थी। इसके परिणामस्वरूप भाटक, प्रीमियम और पंचायत उपकर राशि ₹ 6.08 लाख का कम आरोपण हुआ।

4.4.2 भू–राजस्व के निर्धारण के लिए त्रुटिपूर्ण दरों का लगाया जाना

शासन ने 28 सितंबर 2018 की अधिसूचना (25 सितंबर 2018 से लागू) से, भू–राजस्व और प्रीमियम का आंकलन करने की पद्धति को संशोधित किया। नई पद्धति के अतंर्गत, भूमि के उपयोग के विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्धारित प्रति वर्ग मीटर दरों के आधार पर भू–राजस्व की गणना की जानी थी। पूर्व में, बाजार मूल्य दिशा निर्देशों के अनुसार पहले भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता था और उसके बाद, निर्धारित किए गए बाजार मूल्य पर व्यपवर्तन भाटक और प्रीमियम की दरें लागू की जाती थीं।

---

[34] आगर मालवा (35), अलीराजपुर (01), छतरपुर (01), दमोह (05), देवास (02), गुना (02), ग्वालियर (51), इंदौर (36), कटनी (20), खरगोन (05), मंडला (02), मंदसौर (31), मुरैना (05), पन्ना (05), रतलाम (30), रीवा (10), सागर (14), सतना (28), सीहोर (18), शहडोल (57), श्योपुर (58), उज्जैन (10), उमरिया (08) और विदिशा (02)।

[35] सड़क से 20 मीटर की सीमा के अंदर।

[36] आगर मालवा (15), अलीराजपुर (02), छिन्दवाड़ा (02), मंदसौर (02), सागर (02) और उज्जैन (01)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 22 प्रकरणों (आठ कलेक्टर[37]) में, भू–राजस्व और प्रीमियम की गणना के लिए, शासन की अधिसूचना दिनांक 28 सितंबर 2018 के अनुसार सही दरों को लागू नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप भू–राजस्व, प्रीमियम और पंचायत उपकर राशि ₹ 23.47 लाख का कम आरोपण हुआ।

4.4.3 पंचायत उपकर आरोपित न किया जाना

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 74(1) के अनुसार, प्रत्येक भूमिधारक और शासकीय पट्टेदार इस अधिनियम के उद्देश्य से प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए उनके द्वारा ग्रामसभा में धारित भूमि के संबंध में उपकर (पंचायत उपकर) ऐसी भूमि पर आकलित भाटक या भू–राजस्व के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 45 प्रकरणों (छः कलेक्टर[38]) में, पंचायत उपकर आरोपित नहीं किया गया था, यद्यपि भूमि ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित थी। इसके परिणामस्वरूप उपकर राशि ₹ 2.72 लाख का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, इन 45 में से 16 प्रकरणों में, भाटक और प्रीमियम राशि ₹ 3.77 लाख के कम आरोपण के उदाहरण भी देखे गये।

4.5 व्यपवर्तित प्रकरणों में भू–राजस्व की वसूली न होना

म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 के साथ सह पठित धारा 172 के अनुसार, जहाँ एक उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई भूमि को दूसरे उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित किया गया है, तो उस भूमि पर एसडीओ द्वारा प्रीमियम और व्यपवर्तन भाटक का पुनः निर्धारण किया जाएगा। प्रीमियम एक ही बार किया जाने वाला भुगतान है, जबकि भाटक अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित की गयी भूमि पर वार्षिक शुल्क है। म.प्र.भू.रा.सं. में भू स्वामी को व्यपवर्तन आदेश जारी करने से पहले निर्धारित किये गए भाटक और प्रीमियम के अग्रिम प्रेषण के बारे में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। इसके फलस्वरूप, भाटक और प्रीमियम की बड़ी राशि बकाया रहीं। विभाग ने बकाया के पूर्व भुगतान के लिए जून 2019 में प्रक्रियात्मक नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए थे।

अभिलेखों[39] की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2019 से दिसंबर 2019 तक) से प्रकट हुआ कि चार कलेक्टर[40] ने दिसंबर 2014 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 7,768 प्रकरणों में व्यपवर्तन आदेश जारी किए। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गए 1,255 प्रकरणों में से 113 प्रकरणों में, भूमि के व्यपवर्तित उपयोग के आदेश भाटक ₹ 22.54 लाख, प्रीमियम ₹ 35.91 लाख, पंचायत उपकर ₹ 1.86 लाख और शास्ति ₹ 130.83 लाख वसूल किए बिना जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लेखापरीक्षा में इंगित गैर–अनुपालन/विचलन के प्रकरणों में भी कलेक्टर द्वारा वसूली के लिए कार्यवाही भी नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, **परिशिष्ट XIV** में दिखाए गए विवरण के अनुसार, इन कलेक्टोरेट्स में ₹ 1.91 करोड़ की राशि वसूली के लिए अभी भी लंबित थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि तहसीलदारों को बकाया राजस्व वसूलने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

शासन ने उत्तर (अगस्त 2020) दिया कि वर्तमान में व्यपवर्तन की म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 172 को रद्द कर दिया गया था और म.प्र.भू.रा.सं 1959 की धारा 59 और 60 के तहत भू–राजस्व के निर्धारण नियम को 28 सितंबर 2018 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया

---

37 भोपाल (02), दमोह (04), गुना (01), मंदसौर (06), मुरैना (02), पन्ना (02), रतलाम (03) और श्योपुर (02)।

38 अलीराजपुर (03), मंडला (01), मंदसौर (15), पन्ना (01), शहडोल (10) और श्योपुर (15)।

39 वसूली की लंबित राशि और राजस्व निरीक्षकों तथा अ.वि.अ. के अभिलेखों से सम्बन्धित आवर्ती विवरणियां तहसीलदार द्वारा कलेक्टर्स को भेजी जाती हैं।

40 गुना, सागर, सतना और विदिशा।

था और निर्धारित किये गए भाटक और प्रीमियम के अग्रिम प्रेषण के लिए प्रक्रियात्मक नियम 07 जून 2019 को जारी किए गए थे।

यद्यपि विभाग ने प्रासंगिक नियम और प्रक्रिया जून 2019 में संशोधित किये थे, पुराने प्रकरणों में, जहाँ व्यपवर्तन आदेश पूर्व में ही पारित हो चुके हैं, निर्धारित भाटक और प्रीमियम की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही की आवश्यकता है।

4.6 विभागीय निरीक्षण

राजस्व पुस्तक परिपत्र (रा.पु.प.) की कंडिका 34 की धारा II (1) के प्रावधानों के अनुसार, सं.आ. को वर्ष में एक बार अपने प्रशासनिक नियंत्रण में प्रत्येक जिले का विस्तृत निरीक्षण करना चाहिए। हालांकि, यदि जिलों की संख्या पाँच से अधिक है, तो निरीक्षण की योजना ऐसी होनी चाहिए कि सभी कलेक्टर कार्यालयों का निरीक्षण दो साल की अवधि में एक बार हो जाए। सं.आ को तहसीलों का निरीक्षण भी इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक तहसील का तीन साल की अवधि में कम से कम एक बार निरीक्षण हो जाए। 10 सं.आ. कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 2016–17 से 2018–19 के दौरान निरीक्षण में कमी रहीं। विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: सं.आ. द्वारा योजना और किए गए निरीक्षण का विवरण

वर्ष	रा.पु.प.के अनुसार आवश्यक निरीक्षण		रोस्टर के योजना अनुसार निरीक्षण		किए गए वास्तविक निरीक्षण	
	कलेक्ट्रेट	तहसील	कलेक्ट्रेट	तहसील	कलेक्ट्रेट	तहसील
2016–17	43	369	19	171	7 (63.16)	49 (71.34)
2017–18	43		22	103	8 (63.64)	35 (66.02)
2018–19	43		28	155	12 (57.14)	74 (52.25)
योग	**129**	**369**	**69**	**429**	**27 (60.86)**	**158 (63.17)**

स्रोत : संभागीय आयुक्त कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।
नोट : कोष्ठक में आंकड़े योजना अनुसार निरीक्षण से कमी का प्रतिशत है।

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है, रा.पु.प. में निर्धारित निरीक्षण के मापदंडों के विरूद्ध कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों के निरीक्षण में क्रमशः 79 प्रतिशत (औसत) और 57 प्रतिशत (औसत) की, एवं नियोजित निरीक्षण के संबंध में, कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों के निरीक्षण में क्रमशः 61 प्रतिशत (औसत) और 63 प्रतिशत (औसत) निरीक्षण की कमी थी।

इस प्रकार, सं.आ. द्वारा कलेक्टरों और तहसील कार्यालयों के निरीक्षण न केवल रा.पु.प. के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरे नहीं किए गए, बल्कि रोस्टर द्वारा योजना अनुसार निरीक्षण के लक्ष्य, जो कि रा.पु.प. से बहुत कम थे, को भी पूरा नहीं कर पाए, जो निर्धारित प्रक्रिया के साथ कलेक्टर और तहसील कार्यालयों के निगरानी अनुपालन पर अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है।

आगे, केवल 25 कलेक्टरों और 147 तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाना पाया गया था एवं जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में से, केवल दो कलेक्टर कार्यालयों से संबंधित पाँच निरीक्षण प्रतिवेदन एवं तहसील कार्यालयों[41] के 28 निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन सं.आ. कार्यालयों में प्राप्त हुआ था।

[41] शहडोल के दो तहसील कार्यालयों और उज्जैन के 26 तहसील कार्यालयों।

शासन ने उत्तर (अगस्त 2020) दिया कि प्र.रा.आ. कार्यालय, वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था और निरीक्षण का कार्य कार्यालय की स्थापना में शामिल नहीं है। जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के कार्यालय स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए थे एवं एसडीओ और तहसील कार्यालयों के निरीक्षण की जिम्मेदारी संभागीय कार्यालयों को सौंपी गई है। शासन ने आगे बताया कि उपरोक्त कंडिका के परिपेक्ष में सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया जा रहा है।

4.7 निष्कर्ष

जैसा कि ऊपर कंडिकाओं में बताया गया है, 28 कलेक्टर कार्यालयों के संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से भू–राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि एसडीओ द्वारा भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए उपबंध और सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 527 प्रकरणों में भूमि के बाजार मूल्य का कम निर्धारण किया गया, जिससे ₹ 2.43 करोड़ के प्रीमियम की कम राशि आरोपित हुई, ₹ 0.46 करोड़ व्यपवर्तन किराया तथा इसके अतिरिक्त ₹ 0.05 करोड़ के पंचायत उपकर का कम/अनारोपण हुआ।

साथ ही, चार कलेक्टर द्वारा व्यपवर्तन के आदेश जारी करने से पहले प्रीमियम, व्यपवर्तन किराया और पंचायत उपकर से संबंधित 113 प्रकरणों में ₹ 1.91 करोड़ की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट्स और तहसील कार्यालयों की कार्यपद्धति पर आंतरिक निगरानी और उनके द्वारा स्थापित संहिता/अधिनियम/नियम आदि का अनुपालन अपर्याप्त था।

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांकः 05 मार्च 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चन्द्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 09 मार्च 2021

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(कंडिका 2.4 में संदर्भित)

इकाईयों एवं अवधि का विवरण जिनके निर्धारित प्रकरण प्रस्तुत किए गए

क्र. सं.	इकाई	इन वर्षों में निर्धारित प्रकरणों जो प्रस्तुत किया गया	वर्षों का योग
1	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, भोपाल 01	2018–19	1
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, भोपाल 01	2018–19	1
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, भोपाल 05	2018–19	1
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, भोपाल 06	2018–19	1
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर 01	2018–19	1
6	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, गुना	2018–19	1
7	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर 03	2018–19	1
8	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, ग्वालियर 02	2018–19	1
9	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर 09	2018–19	1
10	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर–10	2018–19	1
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी, इन्दौर 01	2018–19	1
12	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर 02	2018–19	1
13	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर 01	2018–19	1
14	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर 02	2018–19	1
15	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, मुरैना	2018–19	1
16	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, सागर 01	2018–19	1
17	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, सतना 01	2018–19	1
18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	2018–19	1
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी,बैतूल	2018–19	1
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी, दमोह	2018–19	1
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी, ग्वालियर 04	2018–19	1
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी, इन्दौर 08	2018–19	1
23	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नीमच	2018–19	1
24	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रीवा	2018–19	1
25	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सतना 02	2018–19	1
26	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर 02	2017–19	2
27	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, खंडवा	2017–19	2
28	वाणिज्यिक कर अधिकारी, अशोकनगर	2017–19	2
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीहोर	2017–19	2
30	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर 02	2016–19	3
31	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, कटनी 01	2016–19	3
32	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सागर	2016–19	3

2016–19	03 इकाई
2017–19	04 इकाई
2018–19	25 इकाई

परिशिष्ट II

(कंडिका 2.6 में संदर्भित)

टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट II (अ)
नियमित निर्धारित प्रकरणों में टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई व्यवसायी	निर्धारण अवधी	लेखे / अभि लेखों के अनुसार स्कल टर्नओवर / मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित स्कल टर्नओवर / मात्रा	कम निर्धारित टीटीओ / मात्रा	लगाये जाने योग्य कर का दर (प्रतिशत या प्रति घनमीटर)	कम वसूली की राशि / शास्ति / योग	लेखापरीक्षा आपत्ति	नि.प्रा. का उत्तर / लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स जयसी टेले सर्विस टिन–23594005935 प्र. क्र.– सीएस00000000975839	2015–16	11,22,99,820	11,12,74,753	10,25,073	5	48,813 शास्ति 1,46,439 **1,95,252**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के विरूद्ध सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स समीर मयुजिक सेन्टर टिन–23894001211 प्र. क्र.– सीएस00000000975106	2015–16	4,34,68,211	4,31,98,211	2,70,000	1.5	4,050 शास्ति 12,150 **16,200**	नि.प्रा. द्वारा पुराने कार के विक्रय मूल्य ₹ 2,70,000 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स मोहित हेल्थ केयर टिन–23174007233 प्र. क्र.– सीएस00000000971382	2015–16	3,59,99,888	3,25,84,887	34,15,001	5	1,62,620 शास्ति 4,87,860 **6,50,480**	नि.प्रा. ने व्यवसायी के सत्यापित विवरणी के ₹ 3,58,37,268 टर्नओवर के विरूद्ध ₹ 3,25,84,887 सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि लेखे के अनुसार सकल टर्नओवर निर्धारित किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार उसने ₹ 18,69,144 कर वसूल किया है लेकिन नि.प्रा. ने बिना उचित कारण बताये एवं अन्तर का भी समाधान किए बिना ₹ 17,06,524 कर निर्धारित किया है।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. टिन–23631204068 प्र. क्र.– 417 / 2016	2015–16	2,06,71,498	64,50,676	1,42,20,822	14	19,90,915 शास्ति 59,72,745 **79,63,660**	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और विक्रय की तुलना में क्रय अधिक है। नि.प्रा. ने वैट प्रकरण में ₹ 64,45,676 कासकल टर्नओवर निर्धारित किया लेकिन वास्तव में यह क्रय अभिलेखों के अनुसार ₹ 2,06,71,498 संगणित होता है।	नि.प्रा. कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स मेट्रो बिलडर्स एवं डेवलपर्स टिन–23649065745 प्र. क्र.– 448 / 2016	2015–16	1,63,26,117	1,49,11,744	14,14,373	5 (10,38,822) 14 (3,75,551)	1,04,518 शास्ति 3,13,554 **4,18,072**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय मूल्य में में 21 प्रतिशत के स्थान पर आठ प्रतिशत लाभ जोड़ा है। अतः कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) कम निर्धारित किया गया है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
6	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स विराशा इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23149003909 प्र. क्र.– 306 / 2016	2015–16	3,23,64,203	3,09,06,266	14,57,937	5 (7,52,780) और 14 (7,05,157)	1,36,361 शास्ति 4,09,083 **5,45,444**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय मूल्य में 16.99 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लाभ जोड़ा है। अतः कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) कम निर्धारित किया गया है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
7	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स कृष्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23889077749 प्र. क्र.– 657 / 2016	2015–16	1,27,32,397	1,20,39,859	6,92,538	5 (4,81,647) 14 (2,10,891)	53,607 शास्ति 1,60,821 **2,14,428**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय मूल्य में 15.85 प्रतिशत के स्थान पर आठ प्रतिशत लाभ जोड़ा है। अतः कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) कम निर्धारित किया गया हैं।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
8	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स चावला एसोसिएट टिन–23889154864 प्र. क्र. –सीएस000000011101201	2015–16	1,61,86,317	1,23,09,163	38,77,154	5 (26,91,013) और 14 (11,86,141)	3,00,610 शास्ति 9,01,830 **12,02,440**	नि.प्रा. ने प्रकरण में सत्यापित क्रय मूल्य के विरूद्ध निर्माण कार्य में अन्तरित सामग्री का विक्रय मूल्य कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
9	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स अशोक कुमार रायजादा टिन–23843803989 प्र. क्र.– 80 / 2016	2015–16	2,84,63,034	2,59,85,811	24,77,223	5	1,23,861 शास्ति 3,71,583 **4,95,444**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे से सत्यापित ट्रांसपोर्टेशन के खर्च के विरूद्ध अधिक छूट मान्य कर टीटीओ कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
10	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स अलायंस इण्टरप्राईजेज टिन–23610904834 प्र. क्र.– सीएस00000977773	2015–16	14,32,26,584	10,68,32,041	3,63,94,543	5	18,19,727	वेटिज प्रतिवेदन के अनुसार व्यवसायी ने राशि ₹ 13,93,52,660 का माल राज्य के बाहर से क्रय किया लेकिन अंकेक्षित लेखे में क्रय राशि ₹ 10,43,30,967 का पाया गया। अतः 3.92 प्रतिशत लाभ जोड़कर सकल टर्नओवर ₹ 14,32,26,584 होना चाहिए।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
11	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स आर.व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23530904199 प्र. क्र. –सीएस000000090702	2015–16	2,35,79,611	2,17,52,839	18,26,772	5	91,339	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित माल के मूल्य के विरूद्ध निमाण कार्य में अन्तरित माल का कम विक्रय मूल्य निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			2,400 घनमीटर	874 घनमीटर	1,560 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	53,410	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित रायल्टी के विरूद्ध गिट्टी की कम मात्रा निर्धारित की।	

12	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स बंसल पाईप इण्डस्ट्रीज टिन–23179011181 प्र. क्र. –सीएस00000009129 69	2015–16	3,95,95,022	3,82,20,749	13,74,273	14	1,92,398 शास्ति 5,77,194 **7,69,592**	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
13	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स राजरतन ग्लोबल वायर लि. टिन–23571001468 प्र. क्र.–123/2016	2015–16	2,37,00,89,331	2,36,47,14,090	53,75,241	14	7,52,533	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य ₹ 53,75,241 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
14	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग इन्दौर 02 मेसर्स लाईफ स्टार फार्मा लि. टिन–23981103917 प्र. क्र. –सीएस00000008138 10	2015–16	2,63,52,24,400	2,63,46,21,109	6,03,291	5	30,165 शास्ति 90,495 **1,20,660**	नि.प्रा. ने विक्रय वापसी की अधिक धनराशि घटाई।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि विक्रय वापसी जो आगामी वर्ष 2016–17 में छः माह के अन्दर वापस आई,की राशि 2015–16 के विक्रय में सम्मिलित है। उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि विक्रय वापसी के संबंध में कोई अभिलेख प्रमाण के रूप में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया, जबकि अंकेक्षित लेखे में दर्शाये आंकड़ो एवं वास्तविकता के विरूद्ध अधिक छूट मान्य की गई है।
15	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स देवीदयाल हरिकिशन लि. टिन–23870501753 प्र. क्र.– सीएस00000001067031	2016–17	128,00,64,452	127,99,88,669	75,783	1.5	1,137 शास्ति 3,411 **4,548**	नि.प्रा. ने पुराने कार के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में नहीं जोड़ने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
16	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स अवंतिका गैस लि. टिन–23661104190 प्र. क्र.– सीएस00000008138 69	2015–16	1,41,98,79,663	1,41,61,28,628	37,51,035	5	1,87,551 शास्ति 5,62,653 **7,50,204**	नि.प्रा. ने निविदा शुल्क, अतिरिक्त पाईप चार्जेस और लिक्विडीटी डैमेज को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
17	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स सिमप्लेक्स इंजीनियरिंग कोर्पोरेशन टिन–23395800933 प्र. क्र.– सीएस00000001023216	2015–16	2,73,40,579	2,51,56,929	21,83,650	5	1,09,183 शास्ति 3,27,549 **4,36,732**	नि.प्रा. ने लेबर की अधिक छूट मान्य करने के कारण जी.टी.ओ. कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि श्रम व्यय के संबंध में 40 प्रतिशत छूट कानून के अनुसार करदाता के दस्तावेज के सत्यापन के बाद मान्य किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित लेखे के अनुसार, श्रम व्यय

									₹ 53,17,525 (₹ 8,89,684 + ₹ 44,27,841) सत्यापित होता है और कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर के साथ श्रम व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।
18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स के 3 ऑटोमोबाइल्स टिन–23759074852 प्र. क्र.– सीएस000000806358	2015–16	13,53,82,768	13,40,94,149	12,88,619	15	1,93,293 शास्ति 5,79,879 **7,73,172**	नि.प्रा. ने बढ़ी हुई वॉरण्टी/एएमसी के विक्रय ₹ 12,88,619 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
19	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स इलेक्ट्रो मिनरल्स इण्डिया टिन–23696207198 प्र. क्र.– सीएस00000000806375	2015–16	10,49,50,855	10,43,50,855	6,00,000	1.5	9,000 शास्ति 27,000 **36,000**	नि.प्रा. ने पुराने कार के विक्रय मूल्य ₹ 6,00,000 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
20	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स अतुल कुरलीया ठेकेदार टिन–23437004778 प्र. क्र.– सीएस00000000855213	2015–16	4,70,03,248	4,51,05,645	18,97,603	14 (7,78,972) और 5 (11,18,631)	1,64,988	नि.प्रा. ने स्थाई संपत्तियों (जेनेरेटर, मशीन, मिक्सर मशीन सेंटरींग प्लेट्स और वेल्डींग मशीन) के विक्रय मूल्य ₹ 18,97,603 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा ने सकल प्राप्ति के आधार पर सकल टर्नओवर की गणना की है, जबकि माल का विक्रय मूल्य एवं श्रम दोनों सकल प्राप्ति में सम्मिलित है। व्यवसायी ने माल के उपभोग के आधार पर डीम्ड विक्रय मूल्य में लाभ सम्मिलित किया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित लेखे में माल एवं श्रम के लाभ का अनुपात अलग–अलग इंगित नहीं किया गया है।
			1,19,73,583	1,11,36,107	8,37,476	14 (6,14,656) और 5 (2,22,820)	86,094	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय मूल्य में 16.12 प्रतिशत के स्थान पर 7.99 प्रतिशत सकल लाभ जोड़ा है। अतः कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) कम निर्धारित किया गया है।	
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 02 मेसर्स गौरव होजरी टिन–23519142000 प्र. क्र.– सीएस00000000949661	2015–16	1,46,86,358	1,20,28,861	26,57,497	5	1,32,875 शास्ति 3,98,625 **5,31,500**	नि.प्रा. ने वर्ष 2015–16 के लिए अंकेक्षित लेखे में प्रारंभिक स्कंद को अनुचित रूप से मान्य कर कम निर्धारित किया। ₹ 26,02,510 को सकल टर्नओवर में और सम्मिलित किया जाना चाहिए।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 02 मेसर्स एस.एन.बी.2000 टिन–23757102378 प्र. क्र.– सीएस00000000949293	2015–16	6,80,60,592	6,45,31,543	35,29,049	5(30,58,537) और 14 (4,70,512)	2,18,799	नि.प्रा. ने धारा 2(एक्स)(तीन) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण छूट कमी मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

23	वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 02 मेसर्स योगेन्द्र शुक्ला ठेकेदार टिन–23037103938 प्र. क्र.– सीएस0000000953499	2015–16	5,14,76,352	4,82,85,534	31,90,818	5	1,59,541 शास्ति 4,78,623 **6,38,164**	नि.प्रा. ने अपंजीकृत उपठेकेदार के संबंध में त्रुटिपूर्ण कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
24	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स शरद कंस्ट्रक्सन सेज प्रा.लि. टिन–23911604621 प्र. क्र.– सीएस0000001136462	2016–17	2,33,09,240	2,10,28,994	22,80,246	5	1,14,012 शास्ति 3,42,036 **4,56,048**	नि.प्रा. ने क्रय में लाभ जोड़कर सकल टर्नओवर की गणना नहीं की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
25	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स नीता बिल्डर्स टिन–23391603840 प्र. क्र.– सीएस0000000872258	2015–16	3,95,90,879	3,36,91,278	58,99,601	5	2,94,980 शास्ति 8,84,940 **11,79,920**	नि.प्रा. ने व्यवसायी के विवरणियों के साथ प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार सकल टर्नओवर की गणना नहीं की।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि प्रारम्भिक स्कंद का मूल्य विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं है और विक्रय मूल्य निर्धारित करने की गणना में कोई त्रुटि नहीं की गई है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि विक्रय मूल्य उचित रूप से निर्धारित नहीं किया गया है।
26	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स रैनोल ल्यूब्रीकेन्टस प्रा.लि. टिन–23899092104 प्र. क्र.– सीएस0000000892445	2015–16	74,44,628	65,15,689	9,28,939	14	1,30,051 शास्ति 3,90,153 **5,20,204**	नि.प्रा. ने धारा 2(एक्स)(तीन) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
27	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स रेवोल टेक ऑटो प्रा. लि. टिन–23751604709 प्र. क्र.– सीएस0000000879898	2015–16	42,62,34,285	42,50,49,090	11,85,195	14	1,65,927 शास्ति 4,97,781, **6,63,708**	नि.प्रा. ने स्थाई संपत्ति के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में ₹ 11,85,195 सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निधारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
28	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स कृपानिधि कंस्ट्रक्शन धामनोद टिन–23111704680 प्र. क्र.– सीएस00000095120999	2015–16	13,627.84	0	13,627.84	₹ 35 प्रति घनमीटर	4,76,974 शास्ति 14,30,922 **19,07,896**	नि.प्रा. ने कर चुके गिट्टी के विक्रय के संबंध में त्रुटिपूर्ण छूट मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			10,25,75,993	10,24,53,493	1,22,500	5	6,125 शास्ति 18,375 **24,500**	नि.प्रा. ने खाली सीमेंट के बैग के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया।	

29	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर 04 मेसर्स एन.एस. फ्यूल स्टेशन टिन–23385405130 प्र. क्र.– सीएस00000001038131	2015–16	6,12,98,711	6,0946,581	3,52,130	27 (1,70,227) और 31 (1,81,904)	1,02,351 शास्ति 3,07053 **4,09,404**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार सकल टर्नओवर की गणना नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स वर्धमान एजेन्सीज टिन–23105004286 प्र. क्र.– सीएस00000001100204	2016–17	1,32,36,655	1,14,55,695	17,80,960	5 (32,936) और 14 (17,48,024)	2,16,238	नि.प्रा. ने ₹ 16,10,221 कर लगाये जाने के स्थान ₹ 13,93,983 कर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
31	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स लालचन्द अशोककुमार टिन–23915000688 प्र. क्र.– सीएस00000001126816	2016–17	3,50,42,879	3,44,45,211	5,97,668	14 (2,08,492) और 5 (3,89,176 +39,999)	84,135 शास्ति 2,52,405 3,36,540	नि.प्रा. ने निर्धारण आदेश में धारा 2(एक्स)(तीन)के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण ₹ 44,136 और गणना में गलती के कारण ₹ 39,999 कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
32	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स सेठ ट्रेक्टर्स टिन–23585003440 प्र. क्र.– सीएस00000000919007	2015–16	7,87,81,557	7,78,48,953	9,32,604	5	46,630 शास्ति 1,39,890 **1,86,520**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार वॉरण्टी दावे की राशि को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
33	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स कार्तिक ट्रेडिंग कम्पनी टिन–23879105298 प्र. क्र.– सीएस00000000918344	2015–16	1,18,88,547	1,15,84,654	3,03,893	1.5	4,558 शास्ति 13,674 **18,232**	नि.प्रा. ने पुराने वाहन के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में नहीं सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
34	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स राजेन्द्र सिंह चन्द्रावत टिन–23833302068 प्र. क्र.– सीएस00000001111715	2015–16	6,790 घनमीटर	447 घनमीटर	6,343 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	2,22,013 शास्ति 6,66,039 **8,88,052**	नि.प्रा. ने त्रूटिपूर्ण कर चुके क्रय के रूप में कमी मान्य की, जबकि प्रतिवेदन क्रमांक 75 के अनुसार विक्रेता व्यवसायी ने क्रेता व्यवसायी को गिट्टी का विक्रय नहीं दर्शाया है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
35	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स पायरोटेक वर्क स्पेस टिन–23909074837	2016–17	92,95,770	29,07,915	63,87,855	05	3,19,392 शास्ति 9,58,178 **12,77,570**	नि.प्रा. ने ₹ 94,30,617 सकल टर्नओवर निर्धारित किया जबकि दो प्रतिशत टीडीएस की राशि ₹ 3,09,859 के आधार पर सकल टर्नओवर	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

	प्र. क्र.– सीएस00000000993154							₹ 1,54,92,950 होना चाहिए और 40 प्रतिशत श्रम की राशि घटाने के पश्चात कर योग्य टर्नओवर ₹ 92,95,770 संगणित होता है।	
36	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स वर्धमान इण्डिया टिन–23709083005 प्र. क्र.– सीएस00000000993159	2016–17	1,89,75,280	1,84,00,000	5,75,280	1.5	8,629 शास्ति 25,887 **34,516**	नि.प्रा. ने फर्निचर के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
37	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स पंकज सिंह एण्ड कम्पनी टिन–23356904912 प्र. क्र.– सीएस00000000847893	2015–16	2,38,45,303	1,41,22,275	97,23,028	14	13,61,224	नि.प्रा. द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का विक्रय मूल्य सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
38	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स के.डी.एस. कंस्ट्रक्शन टिन–23646905771 प्र. क्र.– सीएस00000001007655	2015–16	2,61,98,264	2,00,00,000	61,98,264	–––	2,42,863	नि.प्रा. ने व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं करने और प्राप्ति विवरण के अनुसार सकल प्राप्ति ₹ 2,61,98,264 होने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया। अतः सकल टर्नओवर ₹ 2,61,98,264 होना चाहिए और ₹ 7,14,000 के स्थान पर ₹ 9,56,863 वैट संगणित होता है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी
39	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स स्नेह होमस टिन–23829072905 प्र. क्र.– सीएस00000001068849	2015–16	47,53,120	32,31,451	15,21,669 (2,263)	₹ 35 प्रति घनमीटर	79,205	नि.प्रा. ने प्रस्तावित रेत/गिट्टी विक्रय को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति का आधार गलत है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि प्रस्ताव/गणना पत्रक के अनुसार नि.प्रा. ने रेत/गिट्टी के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया है।
40	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स विनोद कुमार टिन–231847020087 प्र. क्र.– सीएस00000001106885	2015–16	1,14,29,407	91,79,407	22,50,000	5	1,12,500 शास्ति 3,37,500 **4,50,000**	नि.प्रा. द्वारा हाईड्रोलिक एक्सवैटर के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			9,376 घनमीटर	2,535 घनमीटर	6,841 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	2,39,435 शास्ति 7,18,305 **9,57,740**	नि.प्रा. ने ₹ 100 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी राशि ₹ 9,37,582 के भुगतान के विरूद्ध रेत एवं गिट्टी की कम मात्रा का विक्रय निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि अंकेक्षित लेखे के अनुसार रायल्टी की राशि शासकीय विभाग द्वारा सड़क के किनारे की मिट्टी जो व्यवसायी द्वारा निर्माण के दौरान उपयोग किया गया है के विरूद्ध अग्रिम के रूप में काटी गई है। निर्माण

									ठेके के पूर्ण होने के पश्चात रायल्टी की राशि विभाग द्वारा वापस कर दी जाएगी। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की राशि निर्माण कार्य में उपयोग किये गये रेत एवं गिट्टी के मात्रा के विरूद्ध काटी गयी है।
41	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स एल.पी.नायक मेडीकल एजेन्सी टिन–23264705535 प्र. क्र.– सीएस00000001106879	2015–16	2,99,20,723	2,86,98,264	12,22,459	5	58,212 शास्ति 1,74,636 **2,32,848**	नि.प्रा. ने धारा 2(एक्स)(तीन) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कमी मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
42	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स नाथुराम अग्रवाल टिन–23454701696 प्र. क्र.– सीएस0000000986729	2015–16	1,55,56,790	1,49,91,790	5,65,000	14	79,100 शास्ति 2,37,300 **3,16,400**	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी का विक्रय मूल्य सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी
43	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स ललित कुमार अग्रवाल टिन–23184703542 प्र. क्र.– सीएस0000000988078	2015–16	4,526 घनमीटर	346 घनमीटर	4,180 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	1,46,300 शास्ति 4,38,900 **5,85,200**	नि.प्रा. ने ₹ 100 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी राशि ₹ 4,52,607 के भुगतान के विरूद्ध रेत एवं गिट्टी की कम मात्रा का विक्रय निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि अंकेक्षित लेखे के अनुसार रायल्टी की राशि शासकीय विभाग द्वारा सड़क के किनारे की मिट्टी जो व्यवसायी द्वारा निर्माण के दौरान उपयोग की गई है, के विरूद्ध अग्रिम के रूप में काटी गई है निर्माण ठेके के पूर्ण होने के पश्चात रायल्टी की राशि विभाग द्वारा वापस कर दी जाएगी। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की राशि निर्माण कार्य में उपयोग किये गये रेत एवं गिट्टी के मात्रा के विरूद्ध काटी गयी है।
44	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स अशोक कुमार अग्रवाल टिन–23104702131 प्र. क्र.– सीएस0000000987672	2015–16	4,349 घनमीटर	1,890, घनमीटर	2,459 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	86,065 शास्ति 2,58,195 **3,44,260**	नि.प्रा. ने ₹ 100 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी राशि ₹ 4,34,991 के भुगतान के विरूद्ध रेत एवं गिट्टी की कम मात्रा का विक्रय निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि अंकेक्षित लेखे के अनुसार रायल्टी की राशि शासकीय विभाग द्वारा सड़क के किनारे की मिट्टी जो व्यवसायी द्वारा निर्माण के दौरान उपयोग किया गया है के विरूद्ध अग्रिम के रूप में काटी गई है। निर्माण ठेके के पूर्ण होने के पश्चात रायल्टी की राशि विभाग द्वारा वापस कर दी जाएगी। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है

									क्योंकि रायल्टी की राशि निर्माण कार्य में उपयोग किये गये रेत एवं गिट्टी के मात्रा के विरूद्ध काटी गयी है।
45	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स विशाल इण्टरप्राईजेज टिन–23534704077 प्र. क्र.– सीएस0000000110559	2015–16	3,03,31,689	3,01,44,841	1,86,848	14	22,946 शास्ति 68,838 **91,784**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
46	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स उपकार पालिमर्स टिन–23779049339 प्र. क्र.– सीएस0000000722382	2014–15	1,13,96,093	1,09,58,353	4,37,740	13	56,906 शास्ति 1,70,718 **2,27,624**	नि.प्रा. द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी
47	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स उपकार पालिमर्स टिन–23779049339 प्र. क्र.– सीएस00000001045314	2015–16	2,05,50,712	1,96,30,656	9,20,056	14	1,28,808 शास्ति 3,86,424 **5,15,232**	नि.प्रा. द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
48	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स व्ही.व्ही.सी. रीयलइन्फ्रा प्रा.लि. टिन–23825006412 प्र. क्र.– सीएस0000000839761	2015–16	47,08,91,090	46,02,53,510	1,06,37,580	14 (90,40,911) और 1.5 (15,96,669)	12,89,677 शास्ति 38,69,031 **51,58,708**	नि.प्रा. द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
49	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स फेयरडील ट्रांसफारमर्स एण्ड स्वीचगियर्स प्रा. लि. टिन–23545002783 प्र. क्र.– सीएस0000000838738	2015–16	11,91,51,412	11,88,39,400	3,12,012	1.5	4,680 शास्ति 14,040 **18,720**	नि.प्रा. द्वारा वाहन के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
50	वाणिज्यिक कर अधिकारी दमोह मेसर्स समृद्धि फिलिगं स्टेशन टिन–23569018805 प्र. क्र.– 311/2016	2015–16	3,70,33,357	3,46,97,363	23,35,994	5	1,16,800 शास्ति 3,50,400 **4,67,200**	नि.प्रा. द्वारा जेसीबी के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

51	वाणिज्यिक कर अधिकारी दमोह मेसर्स अमित ट्रेडर्स टिन–23507603860 प्र. क्र.– सीएस00000001003214	2015–16	7,66,56,363	7,61,56,363	5,00,000	1.5	7,500 शास्ति 22,500 **30,000**	नि.प्रा. द्वारा वाहन के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
52	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्समालवा इन्फ्राकान प्रा. लि. टिन–23659158670 प्र. क्र.– सीएस00000001037532	2015–16	3,80,76,822	3,13,68,531	67,08,291	5	3,35,414 शास्ति 10,06,242 **13,41,656**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
53	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स टिन–23370601453 प्र. क्र.– सीएस000000096139	2015–16	9,53,00,316	9,34,93,046	18,07,270	15 (14,108)14 (7,61,363) और 5 (10,31,799)	1,60,297 शास्ति 4,80,891 **6,41,188**	नि.प्रा. ने क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे के अनुसार 12.90 प्रतिशत सकल लाभ जोड़ने के स्थान पर 10 प्रतिशत लाभ जोड़ा। अतः टीटीओ कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			48,444 घनमीटर	15,919 घनमीटर (14,303 कर चूका +1,616 यूआरडी)	32,525 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	11,38,375 शास्ति 34,15,125 **45,53,500**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित रायल्टी की राशि के विरूद्ध गिट्टी की कम मात्रा निर्धारित करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
54	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स गोवर्धन ट्रेडर्स टिन–23470203795 प्र. क्र.– सीएस00000001089893	2015–16	1,38,02,119	1,12,13,519	25,88,600	5	1,29,430 शास्ति 3,88,290 **5,17,720**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
55	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स डी.आर. अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. टिन–23159009825 प्र. क्र.– सीएस0000000782662	2015–16	7,21,49,837	7,10,23,117	11,26,720	5	56,336 शास्ति 1,69,008 **2,25,344**	नि.प्रा. ने व्यवसायी के गणना पत्रक के विरूद्ध कर चुके विक्रय के संबंध में अधिक छूट मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
56	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स दीप ज्योति ट्रेडर्स टिन–23941104715 प्र. क्र.– सीएस00000001093006	2015–16	1,28,82,055	1,21,54,405	7,27,650	5	34,650 शास्ति 1,03,950 **1,38,600**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

57	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स सुभम रीयल इन्फ्रा. प्रा.लि. टिन–23179078790 प्र. क्र.– सीएस00000001024208	2015–16	2,68,19,807	2,60,60,500	7,59,307	5	37,965 शास्ति 1,13,895 **1,51,860**	नि.प्रा. ने अतिरिक्त कार्य के धनराशि को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
58	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स पवन इन्फ्रा. एण्ड साई मेगा आईएनसीटिन–23169037178 प्र. क्र.– सीएस00000001076456	2015–16	1,63,01,251	1,44,03,806	18,97,445	1.5	28,461 शास्ति 85,383 **1,13,844**	नि.प्रा. ने टीपर के विक्रय मूल्य को स्कल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
59	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स टिन–23679131411 प्र. क्र.– सीएस00000001093438	2015–16	1,36,52,496	1,35,16,036	1,36,460	14	19,104 शास्ति 57,312 **76,416**	नि.प्रा. ने ₹ 1,19,92,632 के स्थान पर ₹ 1,18,56,172 पर 14 प्रतिशत वैट लगाया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
60	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स वेलकीन बिल्डर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टिन–23719065447 प्र. क्र.– सीएस00000001026732	2015–16	23,870 घनमीटर	19,412 घनमीटर	4,458 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	1,56,030 शास्ति 4,68,090 **6,24,120**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित रायल्टी के विरूद्ध गिट्टी एवं रेत की कम मात्रा निर्धारित की।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि गिट्टी के संबंध में क्रय देयको में रायल्टी की राशि सम्मिलित थी और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जो खनिज विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं के प्रस्तुत किये जाने पर रायल्टी की राशि वापस कर दी जाती है। आगे, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के प्राधिकारी द्वारा आगामी वर्ष में रायल्टी की राशि वापस कर दिया गया। रायल्टी की राशि क्रय देयकों में पूर्व से ही सम्मिलित थी, अतः पुनः कर आरोपित किया जाना प्रावधान के विरूद्ध था। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि क्रय, रायल्टी के भुगतान एवं वापसी के राशि का विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं करवाया गया।
61	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स राजेन्द्र सिंह बग्गा	2016–17	25,032 घनमीटर	6,301 घनमीटर	18,731 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	6,55,585 शास्ति 19,66,755 **26,22,340**	नि.प्रा. ने संबंधित विभाग के प्राधिकारी द्वारा सत्यापित रायल्टी के विरूद्ध गिट्टी एवं रेत का कम मात्रा निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि सिविल निर्माण एवं श्रम ठेके के संबंध में भुगतान के दौरान संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न

	टिन–23487603095 प्र. क्र.– सीएस00000001063435								प्रकार के कटौती किया जाता है। रायल्टी के संबंध में न्यायालय के अनेक निर्णय हैं– सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हरियाणा वर्सेज गुजरात के अम्बुजा (2005) 6 एससीसी 499/142 एसटीसी 1 एससी प्रकरण में प्रवेश कर का भुगतान लागत मूल्य में सम्मिलित होता है जबकि रायल्टी जो क्रय मूल्य का भाग नहीं होने के कारण यह सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पुनः बताया गया कि अन्य व्यय के समान रायल्टी एक व्यय है जो समायोजन के उद्देश्य से लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। रायल्टी का क्रय एवं विक्रय के साथ सीधा संबंध नहीं है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ती का संबंध रायल्टी राशि जो क्रय मूल्य के लागत में सम्मिलित है से संबंधित नहीं है। लेखापरीक्षा आपत्ति म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 9 (क) के अनुसार निर्माण कार्य में उपयोग किये गये रेत एवं गिट्टी जो कर योग्य है, पर आधारित है।
62	<u>सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर</u> मेसर्स राजेन्द्र सिंह बग्गा टिन–23487603095 प्र. क्र.– सीएस00000001063435	04/2017 –06/2017	4,078 घनमीटर	0 घनमीटर	4,078 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	1,42,730 शास्ति 4,28,190 **5,70,920**	नि.प्रा. ने निर्धारण के दौरान संबंधित विभाग के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रायल्टी के विरूद्ध गिट्टी एवं रेत की कम मात्रा निर्धारित किया। नि.प्रा. ने कर चुके गिट्टी एवं रेत के विक्रय मूल्य के संबंधत त्रुटिपूर्ण कमी मान्य किया जबकि 75–76 प्रतिवेदन के अनुसार व्यवसायी ने अपंजीकृत व्यवसायी से रेत एवं गिट्टी का क्रय किया था।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि सिविल निर्माण एवं श्रम ठेके के संबंध में भुगतान के दौरान संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की कटौती की जाती है। रायल्टी के संबंध में न्यायालय के अनेक निर्णय हैं–सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हरियाणा वर्सेज गुजरात के अम्बुजा (2005) 6 एससीसी 499/142 एसटीसी 1 एससी प्रकरण में प्रवेश कर का भुगतान लागत मूल्य में सम्मिलित होता है जबकि रायल्टी जो क्रय मूल्य का भाग नहीं होने के कारण यह सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पुनः बताया गया कि अन्य व्यय के समान रायल्टी एक व्यय है जो समायोजन के उद्देश्य से लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। रायल्टी का क्रय एवं विक्रय के साथ सीधा संबंध नहीं है।

									नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ती का संबंध रायल्टी राशि जो क्रय मूल्य के लागत में सम्मिलित है से संबंधित नहीं है। लेखापरीक्षा आपत्ति मप्रवैट अधिनियम की धारा 9 (क) के अनुसार निर्माण कार्य में उपयोग किये गये रेत एवं गिट्टी जो कर योग्य है, पर आधारित है।
63	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स ग्लोबल इंजीनिरिगं एण्ड कंस्ट्रक्शन टिन–23617602199 प्र. क्र.– 200 / 2016	2015–16	71,793 घनमीटर	14,762 घनमीटर	57,031 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	19,96,085 शास्ति 59,88,255 **79,84,340**	नि.प्रा. ने निर्धारण के दौरान सबंधित विभाग के नि.प्रा. द्वारा सत्यापित रायल्टी के विरूद्ध गिट्टी एवं रेत की कम मात्रा निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि सिविल निर्माण एवं श्रम ठेके के संबंध में भुगतान के दौरान संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की कटौती की जाती है । रायल्टी के संबंध में न्यायालय के अनेक निर्णय हैं– सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हरियाणा वर्सेज गुजरात के अम्बुजा (2005) 6 एससीसी 499 / 142 एसटीसी 1 एससी प्रकरण में प्रवेश कर का भुगतान लागत मूल्य में सम्मिलित होता है जबकि रायल्टी जो क्रय मूल्य का भाग नहीं होने के कारण यह सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पुनः बताया गया कि अन्य व्यय के समान रायल्टी एक व्यय है जो समायोजन के उद्देश्य से लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। रायल्टी का क्रय एवं विक्रय के साथ सीधा संबंध नहीं है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ती का संबंध रायल्टी राशि जो क्रय मूल्य के लागत में सम्मिलित है से संबंधित नहीं है। लेखापरीक्षा आपत्ति म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 9 (क) के अनुसार निर्माण कार्य में उपयोग किये गये रेत एवं गिट्टी जो कर योग्य है, पर आधारित है।
64	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स के.एल.डी. क्रिएसन इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23439141717 प्र. क्र.– 74 / 2016	2015–16	20,76,97,035	15,62,06,976	3,44,98,339	5	17,24,916 शास्ति 51,74,748 68,99,664	नि.प्रा. ने आगामी वर्ष के सौदे के संबंध में त्रुटिपूर्ण कमी मान्य करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया। अतः कर निर्धारण आदेश के अनुसार श्रम के संबंध में 33 प्रतिशत कमी मान्य कर पाँच प्रतिशत दर से वैट लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि संबंधित चार्टेड एकाउण्टेंट एवं टी.डी.एस. के अनुसार अगले वर्ष 2016–17 में कर निरूपित किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के आधार

									पर श्रम के संबंध में 33 प्रतिशत कमी मान्य किया है।
65	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स श्री कृष्णासंस टिन–23159050565 प्र. क्र.– सीएस00000001063223	2016–17	7,19,59,054	7,15,65,418	3,93,636	27	83,686 शास्ति 2,51,058 **3,34,744**	नि.प्रा. ने तीन क्रय देयकों के क्रय मूल्य को अंकेक्षित लेखे के अनुसार कुल क्रय में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया। अतः उपरोक्त तीनों क्रय देयकों के लागत मूल्य में प्रवेश कर एवं लाभ की राशि जोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा सकल टर्नओवर निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
66	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स सुदर्शन गोयल टिन–23355003130 प्र. क्र.– सीएस0000000873745	2015–16	3,06,62,862	1,75,91,786	1,30,71,076	5	6,53,554 शास्ति 19,60,661 26,14,215	नि.प्रा. ने क्रय राशि में लाभ जोड़ने के आधार पर सकल टर्नओवर निर्धारित किया था लेकिन अंकेक्षित लेखे के अनुसार उप ठेकेदार के व्यय ₹ 2,17,85,127 के प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारत किया। अतः श्रम के संबंध में 40 प्रतिशत कमी के बाद पाँच प्रतिशत के दर से वैट निरूपित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
67	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स आर.के. इण्ट्रप्राईजेज टिन–23675004509 प्र. क्र.– सीएस0000000728795	2014–15	61,12,053	58,07,643	3,04,410	13	39,573 शास्ति 1,18,719 **1,58,292**	नि.प्रा. ने निर्धारण आदेश में कर योग्य धनराशि कम दर्शाये जाने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया अतः क्रय मूल्य में सकल लाभ जोड़ने के बाद 13 प्रतिशत वैट निरूपित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
68	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स देवेन्द्र सिहं रघुवंशी टिन–23355004197 प्र. क्र.– सीएस0000000868781	2015–16	1,98,39,887	1,86,17,621	12,22,266	14 (3,40,035) 5 (8,82,231)	91,717 शास्ति 2,75,151 **3,66,868**	नि.प्रा. ने क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे के अनुसार 27.82 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लाभ जोड़ा, अतः कर योग्य टर्नओवर कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
69	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स आकृति टेकनिमोन्ट लि. टिन–23619018897 प्र. क्र.– सीएस00000001009562	2015–16	16,71,55,042	15,26,64,149	1,44,90,893	5	7,24,544 शास्ति 21,73,632 **28,98,176**	नि.प्रा. ने प्रपत्र 49 के अनुसार राज्य के बाहर से क्रय की कम धनराशि सकल टर्नओवर में सम्मिलित करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
70	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स यादव कंस्ट्रक्सन कम्पनी	2015–16	69,81,771	46,73,427	23,08,344	14 (6,43,835) 5 (16,64,509)	1,73,362 शास्ति 5,20,086 **6,93,448**	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर में राज्य के बाहर से क्रय किये गये बिटूमन के मूल्य को सम्मिलित नहीं करने एवं सीमेंट का विक्रय मूल्य कम सम्मिलित	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

	टिन–23185604381 प्र. क्र.– सीएस00000001095567							करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	
71	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक इन्दौर 01 मेसर्स सी.के. असाटी टिन–23741401645 प्र. क्र.– सीएस00000001072588	2016–17	15,29,36,807	14,87,96,630	41,40,177	5 (24,39,296) 14 (17,00,001) 15 (880)	3,60,096 शास्ति 10,80,288 **14,40,384**	नि.प्रा. ने क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे के अनुसार 13.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लाभ जोड़ा। अतः कर योग्य टर्नओवर कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि ठेके प्राप्ति में श्रम चार्ज सम्मिलित है और श्रम के संबंध में सकल लाभ का अनुपात माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। पुनः बताया गया कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्रय मूल्य में 10 प्रतिशत सकल लाभ जोड़ा गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित लेखे के अनुसार सकल लाभ क्रय राशि में जोड़ा जाना चाहिये।
72	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 01 मेसर्स सी.के. असाटी टिन–23741401645 प्र. क्र.– सीएस0000000941511	2015–16	10,51,72,501	10,35,06,766	16,65,735	5 (10,65,123) 14 (6,00,612)	1,37,342 शास्ति 4,12,026 **5,49,368**	नि.प्रा. ने क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे के अनुसार 11.84 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लाभ जोड़ा, अतः कर योग्य टर्नओवर कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि ठेके प्राप्ति में श्रम चार्ज सम्मिलित है और श्रम के संबंध में सकल लाभ का अनुपात माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। पुनः बताया गया कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्रय मूल्य में 10 प्रतिशत सकल लाभ जोड़ा गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित लेखे के अनुसार सकल लाभ क्रय राशि में जोड़ा जाना चाहिये।
73	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 02 मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड लि. टिन–23827200940 प्र. क्र.– सीएस0000000604050	2014–15	12,60,70,81,613	12,58,84,27,640	1,86,53,973	13	24,25,016 शास्ति 72,75,048 **97,00,064**	नि.प्रा. ने स्कल टर्नओवर में प्लाण्ट एवं मशीनरी का कम विक्रय मूल्य सम्मिलित करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
		योग			**26,18,50,944 और 1,54,096.80 घ.मी.**	**कर शास्ति योग**	**2,46,55,884 5,87,08,417 8,33,64,301**		

परिशिष्ट II (ब)
डीम्ड प्रकरणों में टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स हरी ओम एजेन्सीज टिन– 23023903768 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	3,32,61,898	2,73,79,124	58,82,774	14	7,22,446 शास्ति 21,67,338 **28,89,784**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के विरूद्ध सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स भारत एसोसिएट टिन– 23379142693 प्र. क्र. डीम्ड	2016–17	1,92,16,126	1,42,99,185	49,16,941	5	2,34,140 शास्ति 7,02,420 **9,36,560**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के विरूद्ध सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स मार्केट मेनथ्टन– 23589037524 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	4,53,54,861	4,12,42,281	41,12,580	5	1,95,837 शास्ति 5,87,511 **7,83,348**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के विरूद्ध सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स डी के इंसुलेशन इण्डस्ट्रीज टिन–23093600168 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	3,41,26,937	3,28,19,775	13,07,162	14	1,83,003 शास्ति 5,49,009 **7,32,012**	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स तनिश्का इलेक्ट्रीकलस टिन–23639170700 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	4,85,53,564	3,25,30,893	1,60,22,671	14	19,67,696 शास्ति 59,03,088 **78,70,784**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के विरूद्ध सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
6	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स बालाजी मोटर्स टिन–23244502816 प्र. क्र.– डीम्ड	2015–16	5,47,34,730	5,17,00,777	30,33,953	1.5	45,509 शास्ति 1,36,527 **1,82,036**	नि.प्रा. ने पुराने मोटर कार के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
7	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक करइन्दौर 09 मेसर्स स्पॉट ग्राफिक्स टिन–23180905701 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	1,62,53,611	1,37,42,371	25,11,240	5	1,25,562 शास्ति 3,76,686 **5,02,248**	नि.प्रा. ने जॉब वर्क के विक्रय को टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया अंकेक्षित लेखे में सत्यापित संगद्वित कर की राशि से कम कर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मेसर्स कृष्णा बैरिंग हाउस टिन–23890802927 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	3,55,34,625	3,45,32,833	10,01,792	5	47,704 शास्ति 1,47,112 **1,94,816**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर से कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

9	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मेसर्स चेमिला सेल्स टिन–23810801031 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	1,54,00,666	1,48,19,666	5,81,000	1.5	8,715 शास्ति 26,145 **34,860**	नि.प्रा. ने पुराने कार के विक्रय मूल्य ₹ 5,81,000 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मेसर्स इन्दौर इलेक्ट्रीक कम्पनी टिन–23300800196 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	7,39,44,038	7,35,51,235	3,92,803	1.5	5,892 शास्ति 17,676 **23,568**	नि.प्रा. ने पुराने कार के विक्रय मूल्य ₹ 3,92,803 को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स वर्धमान एजेन्सीज टिन–23105004286 प्र. क्र.–डीम्ड	2015–16	1,12,01,826	1,07,65,273	4,36,553	14(5,45,997) और 5 ((–)1,09,444)	61,840	नि.प्रा. ने ₹ 13,04,520 कर लगाये जाने के स्थान पर ₹ 12,42,680 कर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स रोहीत ट्रेडर्स टिन–23705002986 प्र. क्र.–डीम्ड	2015–16	10,23,81,822	10,21,71,549	2,10,273	1.5	3,154 शास्ति 9,462 **12,616**	नि.प्रा. ने पुराने वाहन के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में नहीं सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स शिव ट्रेडर्स टिन–23515005661 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	2,21,63,662	2,19,48,662	2,15,000	1.5	3,225 शास्ति 9,675 **12,900**	नि.प्रा. ने पुराने वाहन के विक्रय मूल्य को सकल टर्नओवर में नहीं सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स कन्हैया हजारीमल टिन–23953300159 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	4,84,52,320	4,54,52,640	29,99,680	05	1,49,984 शास्ति 4,49,952 **5,99,936**	नि.प्रा. ने धारा 2(एक्स)(तीन) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स हरीओम एजेन्सीज टिन–23413302008 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	2,98,68,534	2,86,12,797	12,55,737	05	62,786 शास्ति 1,88,358 **2,51,144**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

16	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स मंगलम एग्रीजेक टिन–23513303408 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	20,826 घनमीटर	20,154 घनमीटर	672 घनमीटर	₹ 35 प्रति घनमीटर	23,520 शास्ति 70,560 **94,080**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार विक्रय किये गये धातु की कम मात्रा में निर्धारित करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
17	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स बालाजी सुपर बाजार टिन–23819173398 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	2,50,60,205	2,45,50,205	5,10,000	5 (25,000) और 14 (4,85,000)	69,150 शास्ति 2,07,450 **2,76,600**	नि.प्रा. ने ₹ 13,03,184 कर स्थान पर ₹ 12,34,034 कर निर्धारित कियां।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स मालवा हार्डवेयर टिन–23944700117 प्र. क्र.–डीम्ड	2016–17	4,86,07,675	3,69,17,338	1,16,90,337	5	5,84,516 शास्ति 17,53,548 **23,38,064**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स ओम स्टोन क्रशर टिन–23927505562 प्र. क्र.–डीम्ड	2014–15	2,69,92,838	2,58,92,838	11,00,000	13	1,43,000 शास्ति 4,29,000 5,72,000	नि.प्रा. द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को स्कल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स श्री देव गोपालजी ट्रेडींग कम्पनी टिन–23167502779 प्र. क्र.– डीम्ड	2014–15	2,57,52,608	2,42,70,880	14,81,728	13	1,92,625 शास्ति 5,77,875 **7,70,500**	नि.प्रा. द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को स्कल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
21	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स देव इण्डस्ट्रीज टिन–23735006510 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	2,00,00,000	1,83,45,143	16,84,358	14	2,35,810 शास्ति 7,07,431 9,43,241	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी का विक्रय मूल्य ₹ 16,84,358 सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
22	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स सिद्धार्थ ट्रैक्टर्स एण्ड मोटर्स टिन–23609046834 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	13,47,45,122	13,18,00,399	29,44,723	5	1,47,236 शास्ति 4,41,708 5,88,944	नि.प्रा. ने डाउनलोड किये गये प्रपत्र 49 के विरूद्ध कम क्रय राशि अंकेक्षित लेखे में दर्शाए जाने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया, अतः क्रय मूल्य में सकल लाभ जोड़ने के बाद पाँच प्रतिशत वैट निरूपित किया गया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

23	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स विकास एग्रो इण्डस्ट्री टिन–23975004050 प्र. क्र.– डीम्ड	2016–17	2,78,34,155	2,70,39,585	7,94,570	5	37,837 शास्ति 1,13,511 **1,51,348**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में सत्यापित टर्नओवर के विरूद्ध कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
योग					**6,50,85,875 और 672 घ.मी.**	**कर शास्ति योग**	**52,51,195 1,55,72,042 2,08,23,237**		
महायोग (अ) + (ब)					**32,69,36,819 और 1,54,768.80 घ.मी.**	**कर शास्ति योग**	**2,99,07,079 7,42,80,459 10,41,87,530**		

परिशिष्ट III

(कंडिका 2.7 में संदर्भित)

त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट III (अ)
नियमित निर्धारण प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	वस्तु का नाम /कर योग्य टर्नओवर जिस पर त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाया गया	लगने योग्य कर की दर लगाये गये कर की दर (प्रतिशत)	कर/शास्ती की कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा आपत्ति	नि.प्रा. का उत्तर
1	सहायक आयुक्त वा.कर भोपाल 06 मेसर्स मनचुकोन्डा प्रकाशम इण्डस्ट्रीज इन्डिया प्रा.लि. टिन–23289041337 प्रकरण क्रंमांक 395/2016	2015–16	पी.ए.सी.सी. पोल्स/ 3,84,17,687	14 5	34,57,592 शास्ति 1,03,72,776 **1,38,30,368**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
2	सहायक आयुक्त वा.कर भोपाल 06 मेसर्स अनवर खान, कंट्रैक्टर टिन–23643706420 प्रकरण क्रंमांक– सीएस0000000865271	2015–16	वॉल पुटटी/ 3,36,490	14 13	3,365 शास्ति 10,095 **13,460**	नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
3	सहायक आयुक्त वा.कर इन्दौर 09 मेसर्स रतन आयुर्वेदिक संस्थान प्रा. लि. टिन–23710904391 प्रकरण क्रंमांक 368/2016	2015–16	कॉस्मेटिक्स/ 1,02,26,461	14 0	14,31,705 शास्ति 42,95,115 **57,26, 820**	नि.प्रा. ने स्टॉक अन्तरण एवं केन्द्रीय विक्रय की अधिक छूट मान्य की ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
4	उपयुक्त वा.कर इन्दौर 02 मेसर्स सिमट्रेड ओवरसीज प्रा.लि. टिन–23121004383 प्रकरण क्रंमांक 175/2016	2015–16	केमिकल्स/ 2,35,000	14 5	21,150	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
5	सहायक आयुक्त वा.कर जबलपुर 01 मेसर्स ट्रायम्फ देवकान एण्ड ट्रेडिंग प्रा.लि. टिन–23499156746 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000001308037	2016–17	प्लान्ट एण्ड मशीनरी/ 44,12,281	14 1.5	5,51,535 शास्ति 16,54,605 **22,06,140**	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी पर डेढ़ प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

6	सहायक आयुक्त वा.कर कटनी 01 मेसर्स आर.के. मोटर्स टिन–23179052115 प्रकरण क्रंमांक– सीएस0000000806938	2015–16	थ्री व्हीलर्स / 49,30,044	15 14	49,300 शास्ति 1,47,900 **1,97,200**	नि.प्रा.ने 14 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 15 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
7	सहायक आयुक्त वा.कर पीथमपुर मेसर्स प्रीमियम प्लास्ट प्रा. लि. टिन.–23819053506 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000088092	2015–16	ऑटो पार्टस / 22,18,480	14 13	22,185 शास्ति 66,555 **88,740**	नि.प्रा. ने 13 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
8	सहायक आयुक्त वा.कर पीथमपुर मेसर्स रानोल लुबरीकेन्ट्स प्रा. लि. टिन–23899092104 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000089245	2015–16	कूलेन्टस / 17,79,676	14 5	1,60,171	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
9	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स दीप ओम बिल्डर्स टिन–23089026710 प्रकरण क्रंमांक–418 / 2016	2014–15	मुर्रम 28,39,306	5 20 क्यू.मी.	1,23,793 शास्ति 3,71,379 **4,95,172**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 20 प्रति घनमिटर दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स राजेश कुमार जैन टिन–23525007062 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000000918162	2015–16	सीमेन्ट,पावर ब्लाक / 25,02,221	14 5	2,25,200	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
11	सहायक आयुक्त वा.कर जबलपुर–02 मेसर्स जयश्री ऑटोमोबाईल्स टिन–23737201426 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000001077785	2015–16	पेट्रोल, डीजल / –	-	71,691	नि.प्रा. ने ₹ 13,74,083 के स्थान पर ₹ 13,02,392 कर आरोपित किया।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स जितेन्द्र गोयल एण्ड कम्पनी टिन–23393203079 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000000983952	2015–16	– / 22,00,000	14 05	1,98,000 शास्ति 5,94,000 **7,92,000**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स अनमोल ऑटो ऐजेन्सीज टिन–23646904510 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000000847601	2015–16	टू व्हीलर्स 1,14,88,429	15 14	1,14,884 शास्ति 3,44,652 **4,59,536**	नि.प्रा. ने 14 प्रतिशत दर से कर की आरोपित किया, जबकि यह 15 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

14	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स सतनाम कमर्शियल प्रा.लि. टिन–23759001132 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000000225003	2015–16	थ्री व्हीलर्स 25,49,148	15 14	25,491 शास्ति 76,473 **1,01,964**	नि.प्रा. ने 14 प्रतिशत दर से कर की आरोपित किया, जबकि यह 15 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स थरमेक्स केमिकल टिन ने–23306901205 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000000844451	2015–16	वाटर टेन्कर/ 21,69,720	14 05	1,95,275	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
16	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स सागर बोन मिल्स टिन–23167500160 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000000733625	2014–15	बोन/ 12,56,669	13 05	1,00,534 शास्ति 3,01,602 **4,02,136**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 13 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
17	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स डायमण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज टिन–23787504766 प्रकरण क्रंमांक– सीएस000000001093179	2015–16	रॉक फॉस्फेट/ 2,70,000	14 05	24,300 शास्ति 72,900 **97,200**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 2 मेसर्स वी.वी.सी. रीयल इन्फ्रा प्रा.लि. टिन–23825006412 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000000839761	2015–16	सीमेन्ट/ 46,77,758	14 05	4,20,998 शास्ति 12,62,994 **16,83,992**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी दमोह मेसर्स सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी टिन–23479002033 प्रकरण क्रंमांक–295/2016	2015–16	सीमेन्ट/ 6,94,341	14 05	62,491 शास्ति 1,87,473 **2,49,964**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
20	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स मालवा कंन्सट्रक्शन कम्पनी टिन–23089079478 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000001076699	2015–16	–/ 66,06,177	14 05	5,94,556 शास्ति 17,83,668 **23,78,224**	नि.प्रा. ने पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
21	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स हरगोविन्द गुप्ता टिन–23087702352 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000001045662	2016–17	–/ 45,45,29,398	5 1	1,81,81,176	म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 11(ए) उपधारा (2) सहपठित नियम 8–ए(4) के अन्तर्गत प्रावधान है, कम्पोजिशन के रूप में विशिष्ट दर से निर्धारित "एकमुश्त राशि का भुगतान करना आवश्यक है।" अंकेक्षित लेखे के अनुसार, व्यवसायी ने राशि ₹ 22,93,27,935 के माल का उपयोग निर्माण कार्य	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

						में किया था जबकि प्रपत्र 4बी के विवरण के अनुसार व्यवसायी ने राज्य अन्दर क्रय निरंक दर्शाया था। अतः वैट प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए।	
22	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स अनुराग इन्टरप्राईजेज टिन–23799063402 प्रकरण क्रंमांक– सीएस0000000742739	2014–15	डीजी सेट कोटा स्टोन और ग्लॉस/ 48,70,587	13 5	3,89,647 शास्ति 11,68,941 **15,58,588**	नि.प्रा. ने डीजी सेट, कोटा स्टोन एवं कॉच पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 13 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
23	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्सलोडा स्पन पाईप टिनं–23059110618 प्रकरण क्रंमांक– सीएस00000001038380	2015–16	आरसीसी पोल्स/2,17,800	14 5	19,602 शास्ति 58,806 **78,408**	नि.प्रा. ने आरसीसी पोल पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
24	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स इन्जीप्रेस ईण्डस्ट्रीज लि. टिन–23475501159 प्रकरण क्रंमांक– सीएस0000000834038	2015–16	स्लीपर/ 29,15,703	14 13	29,158 शास्ति 87,474 **1,16,632**	नि.प्रा. ने स्लीपर पर 13 प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
25	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स चश्मिता इन्जीनियर प्रा.लि. टिन–23449152871 प्रकरण क्रंमांक– सीएस0000000807562	2015–16	इलेक्ट्रिकल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 55,12,980	14 5	4,96,168	नि.प्रा. ने इलेक्ट्रिक पैनल एवं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
	योग			**कर** **शास्ति** **योग**	**2,69,69,966** **2,28,57,407** **4,98,27,373**		
	परिशिष्ट III (ब) **डीम्ड निर्धारित प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना**						
1	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स महिन्द्रा टायर्स टिन– 23749090761 प्रकरण क्रंमांक–डीम्ड	2015–16	टायर्स/ 42,03,008	15 5	3,48,075 शास्ति 10,44,225 **13,92,300**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, लेकिन सामग्री 15 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स मुकेश कुमार वर्मा कान्ट्रेक्टर टिन– 23864503251 प्रकरण क्रंमांक–डीम्ड	2016–17	सीमेन्ट/ 1,03,11,316	14 5	9,28,018 शास्ति 27,84,054 **37,12,072**	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स धीरज इलेक्ट्रिक कंपनी टिनं– 23389020181 प्रकरण क्रंमांक–डीम्ड	2016–17	पीएससीसी पोल/ 1,47,24,470	14 5	13,25,202 शास्ति 39,75,607 **53,00,809**	नि.प्रा. ने पीएससीसी पोल पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स श्री बजरंग पोल मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी टिन– 23129022244 प्रकरण क्रंमांक–डीम्ड	2016–17	आर सी सी पोल/ 1,35,08,820	14 5	12,15,794 शास्ति 36,47,382 **48,63,176**	नि.प्रा. ने पीसीसी पोल पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स श्री बालाजी पोल फैक्टरी टिन– 23405006255 प्रकरण क्रंमांक–डीम्ड	2016–17	आर सी सी पोल्स/ 1,26,41,231	14 5	11,37,711 शास्ति 34,13,133 **45,50,844**	नि.प्रा. ने आरसीसी पोल पर पाँच प्रतिशत दर से कर आरोपित किया, जबकि यह 14 प्रतिशत दर से कर अरोपणीय था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
योग				**कर** **शास्ति** **योग**	**49,54,800** **1,48,64,401** **1,98,19,201**		
महायोग (अ)+(ब)				**कर** **शास्ति** **योग**	**3,19,24,766** **3,77,21,808** **6,96,46,574**		

परिशिष्ट IV

(कंडिका क्रमांक 2.8 में संदर्भित)

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट IV (अ)

नियमित निर्धारित प्रकरणों में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई व्यवसायी का नाम	निर्धारण अवधि	वस्तु का नाम टर्नओवर (₹)	लगने योग्य कर की दर लगाये गये कर की दर (प्रतिशत)	कम वसूली की राशि/शास्ति / योग	लेखापरीक्षा आपत्ति	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स कामर्सियल मोटर सेल्स प्रा. लि. टिन– 23109005368 प्र.क्र. – सीएस00000001096458	2015–16	मोटर व्हीकल्स 66,13,374	14 एवं 15 0	9,32,559 शास्ति 27,97,677 **37,30,236**	नि.प्रा. ने सादा प्रपत्र 'च' को स्वीकार कर ₹ 66,13,374 के स्टाक अन्तरण की कमी को मान्य किया। इसके परिणाम स्वरुप ₹ 59,44,690 पर 14 प्रतिशत दर से और ₹ 6,68,684 पर 15 प्रतिशत दर से कर आरोपित नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि प्रपत्र के मुख भाग पर आवश्यक जानकारी के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण, संबंधित व्यवसायी द्वारा प्रपत्र के पिछले हिस्से में आवश्यक जानकारी भरा गया था। सीएसटी अधिनियम की धारा 8 सीएसटी (आर एण्ड टी) के सहपठित नियम 12 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर स्वीकार्य नहीं है। संबंधित व्यवसायी का प्रपत्र 'च' पर और उसके अनुलग्नक पर भी हस्ताक्षर आवश्यक था।
2	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. टिन– 23211001763 प्र.क्र. – सीएस00000001046376	2016–17	ब्रास 7,60,104	2 0	15,202 शास्ति 45,606 **60,808**	नि.प्रा. ने कर के गणना के दौरान कर की अनियमित कमी को मान्य किया, जो विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स ललित इन्टरप्राईसेस टिन– 23210904084 प्र.क्र. – सीएस00000000926156	2015–16	इलेक्ट्रिकल गुडस 33,22,140	2 0	66,443 शास्ति 1,99,329 **2,65,772**	नि.प्रा. ने सीएसटी अधिनियम के धारा 6(2) अन्तर्गत प्रपत्र 'ई1' और 'ग' के संबंध में छूट मान्य की। यद्यपि, व्यवसायी ने इस विक्रय पर केन्द्रीय कर संग्रहित किया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स रचना टेक्सटाईल इंडिया लि. टिन– 23980900023 प्र.क्र. – सीएस00000000919445	2015–16	यार्न 33,14,364	2 0	66,287 शास्ति 1,98,861 **2,65,148**	नि.प्रा. ने प्रपत्र 'ई1' और 'ग' विक्रय के संबंध में अधिक छूट मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

5	वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 02 मेसर्स पटेरिया एक्सप्लोसिव टिन– 23749068160 प्र.क्र. – सीएस0000000973573	2015–16	विस्फोटक 1,27,09,157	14 0	26,68,923	कर नि.प्रा. ने धारा 10(घ) के विरूद्ध प्रपत्र 'ग' जारी करने पर डेढ़ प्रतिशत दर से शास्ति आरोपित नहीं की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
6	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लि. टिन– 23081603671 प्र.क्र. – सीएस0000000879856	2015–16	मेडिसिन और स्किन क्रीम 49,47,921	5 0	2,47,396 शास्ति 7,42,188 **9,89,584**	नि.प्रा. ने 2015–16 के दौरान विक्रय के संबंध में कमी मान्य की, जबकि ट्रांजेक्शन 2016–17 के अवधि से संबंधित था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स शारदा इन्टरप्राईसेस टिन– 23907400425 प्र.क्र. – सीएस00000001041014	2015–16	तेन्दूपत्ता 17,99,615	2 0	35,992 शास्ति 1,07,976 **1,43,968**	नि.प्रा. ने सीएसटी अधिनियम के धारा 6(2) अन्तर्गत प्रपत्र 'ई1' और 'ग' के संबंध में छूट मान्य किया। यद्यपि, व्यवसायी ने इस विक्रय पर केन्द्रीय कर संग्रहित किया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स सागर बोन मिल्स टिन– 23167500160 प्र.क्र. – सीएस0000000733626	2014–15	बोन 2,75,491	13 5	22,039 शास्ति 66,117 **88,156**	नि.प्रा. ने बिना प्रपत्र 'ग' समर्थित अन्तरराज्यीय विक्रय पर 13 प्रतिशत दर से कर योग्य के स्थान पर पाँच प्रतिशत दर से सीएसटी आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
9	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स डायमण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज टिन– 23787504766 प्र.क्र. – सीएस00000001093180	2015–16	रॉक फॉस्फेट 26,17,381	14 5	2,35,564 शास्ति 7,06,692 **9,42,256**	नि.प्रा. ने बिना प्रपत्र 'ग' समर्थित अन्तरराज्यीय विक्रय पर 14 प्रतिशत दर से कर योग्य के स्थान पर पाँच प्रतिशत दर से सीएसटी आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
10	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स राखी ट्रेडर्स टिन– 23765604062 प्र.क्र. – सीएस00000001014945	2015–16	सीरियल्स, तिलहन और दालें 24,53,275	5 0	1,22,664 शास्ति 3,67,991 **4,90,655**	नि.प्रा. ने बिना साक्ष्य के (प्रपत्र 'एच', बिल ऑफ लेडिगं, आपूर्ति आदेश, इनवाईस और शिपिंग बिल आदि) निर्यात के संबंध में कमी मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
11	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 01 मेसर्स जैना मार्केटिंग टिन– 23430104489 प्र.क्र. – सीएस00000001054868	2015–16	मोबाइल हैंडसेट, ऐसेसरीज और सॉफ्टवेयर 16,50,318	14 0	2,31,045 शास्ति 6,93,135 **9,24,180**	नि.प्रा. ने बिना प्रपत्र 'च' समर्थित घोशणा पत्र के स्टॉक अन्तरण की कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

12	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 01 मेसर्स निलेश कुमार सुरेश चन्द्रा टिन– 3471401066 प्र.क्र. – सीएस0000000882338	2015–16	बरदाना 21,12,394	5 2	63,372 शास्ति 1,90,116 **2,53,488**	नि.प्रा. ने बिना प्रपत्र 'ग' समर्थित अन्तरराज्यीय विक्रय पर पाँच प्रतिशत दर से कर योग्य के स्थान पर दो प्रतिशत दर से सीएसटी आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			योग	**कर** **शास्ति** **योग**	**20,38,563** **87,84,611** **1,08,23,174**		
परिशिष्ट IV (ब) **डीम्ड निर्धारित प्रकरणों में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित रूप से छूट मान्य करना**							
1	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स होशियार सिंह वीर सिंह टिन– 23374500853 प्र.क्र. –डीम्ड	2016–17	ऑईल और केमिकल्स 14,95,42,833	5 0	74,77,142	नि.प्रा. ने बिना प्रपत्र 'च' समर्थित घोषणा पत्र के स्टॉक अन्तरण की कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			योग	**कर** **योग**	**74,77,142** **74,77,142**		
			महायोग (अ)+(ब)	**कर** **शास्ती** **योग**	**95,15,705** **87,84,611** **1,83,00,316**		

परिशिष्ट V

(कंडिका 2.9 पर संदर्भित)

प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट V (अ)
नियमित निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	वस्तु का नाम /कर योग्य टर्नओवर (₹)	लगने योग्य कर की दर लगाये गये कर की दर (प्रतिशत)	कम वसूली की राशि/ शास्ति/ योग	लेखापरीक्षा आपत्ति	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल मेसर्स अन्दीप स्टील टिन– 23963600805 प्र.क्र.– सीएस0000000898764	2015–16	आयरन और स्टील/ 2,16,73,740	2 1	2,16,737 शास्ति 6,50,211 **8,66,948**	नि.प्रा. ने लोहे एवं स्टील के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर निरूपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल मेसर्स रोहित स्टील एण्ड प्रोफाईल इण्डस्ट्रीज टिन–23033602626 प्र.क्र.–35/2016	2015–16	आयरन और स्टील/ 3,40,360	2 0	6,807 शास्ति 20,421 **27,228**	नि.प्रा. ने लोहे एवं स्टील पर प्रवेश कर निरूपित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स जी टी एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. टिन–23631204068 प्र.क्र.–417/2016	2015–16	विद्युत सामग्री/ 10,04,139	2 0	20,083 शास्ति 60,249 **80,332**	नि.प्रा. ने वेटिज डाटा से सत्यापित राज्य के बाहर से क्रय के विरूद्ध कम टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी ने राशि ₹ 2,37,43,540 का प्रपत्र 49 निरस्त कर दिया था। नि.प्रा. का उत्तर नहीं मान्य योग्य नहीं क्योंकि राज्य के बाहर का क्रय, जैसा लेखापरीक्षा आपत्ती में बताया गया था, वर्तमान वेटिज डाटा पर आधारित है।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स पी.के. ग्लोबल पावर प्रा. लि. टिन–23603602749 प्र.क्र.– सीएस0000000941229	2015–16	ट्रांसफार्मर/ 19,25,22,949	1 0	19,25,229 शास्ति 38,50,458 **57,75,687**	प्रवेश कर अधिनियम के धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी जो निर्माता है, किसी स्थानीय क्षेत्र के माल को किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय करता है, उसे देयक पर "भोपाल के लिए स्थानीय माल, प्रवेश कर का भुगतान नहीं हुआ" प्रवेश कर अधिनियम की धारा 7(5) के अनुसार कथन अवश्य अंकित कर जारी करेगा। यदि पंजीकृत व्यवसायी उपरोक्त कथन अंकित करने में	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

						असफल होता है, तो यह माना जायेगा कि उसने प्रवेश कर के चोरी में सहायता की है, एवं जब तक उसके द्वारा इसके विरूद्ध प्रमाणित नहीं कर दिया, वह भुगतान किये जाने वाले कर की राशि का न्यूनतम दोगुना शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। यह पाया गया कि व्यवसायी ट्रान्सफार्मर का निर्माता है और उसने विक्रय बीजक पर उपरोक्त वाक्य अंकित किये बिना जारी किया। अतः, इस प्रकार स्थानीय माल के विक्रय पर प्रवेश कर के चोरी में सहायता की गई हैं। नि.प्रा. ने उपरोक्त वास्तविकताओं के सत्यापन के बिना प्रवेश कर आरोपित किया।	
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स सुप्रिमो टयूब्स प्रा. लि. टिन–23190905647 प्र.क्र.– सीएस0000000798510 एवं सीएस00000001065669	2015–16 2016–17	पाईप/ 15,25,00,140 एवं 11,42,10,607	1 0	26,67,107 शास्ति 53,34,214 **80,01,321**	प्रवेश कर अधिनियम के धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी जो निर्माता है किसी स्थानीय क्षेत्र के माल को किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय करता है, उसे देयक पर "इन्दौर के लिए स्थानीय माल, प्रवेश कर नहीं चूका" प्रवेश कर अधिनियम की धारा 7(5) के अनुसार कथन अवश्य अंकित कर जारी करेगा, यदि पंजीकृत व्यवसायी उपरोक्त कथन अंकित करने में असफल होता है, तो यह माना जायेगा कि उसने प्रवेश कर के चोरी में सहायता की है, एवं जब तक उसके द्वारा इसके विरूद्ध प्रमाणित नहीं कर दिया ,वह भुगतान किये जाने वाले कर की राशि का न्यूनतम दोगुना शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। यह पाया गया कि व्यवसायी पाईप का निर्माता है और उसने विक्रय बीजक पर उपरोक्त वाक्य अंकित किये बिना जारी किया। अतः इस प्रकार स्थानीय माल के विक्रय पर प्रवेश कर के चोरी में सहायता की गई हैं। नि. प्रा. ने उपरोक्त वास्तविकताओं के सत्यापन के बिना प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
6	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स सीम ट्रेड ओवरसीज प्रा. लि. टिन–23121004383 प्र.क्र.– सीएस00000001023479	2015–16	केमिकल्स, ऐसिड और प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स/ 55,21,725	1 0	55,217 शास्ति 1,65,651 **2,20,868**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार सत्यापित डॉक एवं ड्यूटी संबंधित चार्जेज को व्यय में सम्मिलित नहीं करने के कारण टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
7	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स देवीदयाल हरिकिशन टिन–23870501753 प्र.क्र.– सीएस00000001067035	2016–17	ऑयरन और स्टील/ 22,60,601	2 0	45,212 शास्ति 1,35,636 **1,80,848**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार सत्यापित डॉक एवं हम्माली, भाड़े एवं उतराई संबंधित चार्जेस को व्यय में सम्मिलित नहीं करने के कारण टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी ने विक्रेता व्यवसायी से सभी माल गोदाम सुपुर्दगी पर क्रय किया। अतः प्रत्यक्ष व्यय,क्रय का भाग नहीं है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि

							उपरोक्त सभी व्यय को लेखापरीक्षक ने प्रत्यक्ष व्यय के रूप में सत्यापित किया है और यह क्रय का भाग है। इसके अतिरिक्त नि.प्रा. ने उत्तर के पुष्टि के लिए अन्य सहायक दस्तावेज जैसे देयक, बिल्टी आदि उपलब्ध नहीं करवाया।
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स टेक्निक इण्डिया टिन–23384503612 प्र.क्र.– सीएस0000000944584	2015–16	इलेक्ट्रोनिक गुडस / 1,12,83,295	2 1	1,12,853 शास्ति 2,25,706 **3,38,559**	नि.प्रा. ने इलेक्ट्रानिक माल के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर निरूपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
9	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स अलॉयड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. टिन–23856203812 प्र.क्र.– सीएस0000000621703	2014–15	कोयला / 6,79,61,104	3 2	6,79,611	नि.प्रा. ने कोयले के क्रय पर तीन प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
10	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स अलॉयड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. टिन–23856203812 प्र.क्र.– सीएस0000000830966	2015–16	कोयला / 2,94,66,953	3 2	2,94,670	नि.प्रा. ने कोयले के क्रय पर तीन प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
11	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स श्री कमल लाईम इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. टिन–23716204277 प्र.क्र.– सीएस0000000806311	2015–16	लाईमस्टोन / 82,08,922	2.5 1	1,23,134 शास्ति 3,69,402 **4,92,536**	कर निर्धारण अधिकारी ने चूना पत्थर की खरीद पर ढाई प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से कर लगाया, जिसका उपयोग चूने के उत्पादन में किया गया और कर योग्य खरीद भी कम निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			लाईमस्टोन / 8,16,014	2.5 0	20,400 शास्ति 61,200 **81,600**		
12	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स श्री कमल लाईम इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. टिन–23716204277 प्र.क्र.– सीएस0000000597257	2014–15	लाईमस्टोन / 36,68,695	2.5 1	55,031 शास्ति 1,65,093 **2,20,124**	नि.प्रा. ने चूना पत्थर जो चूने के उत्पादन में उपयोग किया गया के क्रय पर ढाई प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
13	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स डाबर इण्डिया लि. टिन–23306203678 प्र.क्र.– सीएस0000000621686	2014–15	फॉयर फाईटिंग / 7,60,557	2 0	15,211 शास्ति 45,633 **60,844**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय राशि को सकल क्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			मेम्ब्रेन वॉटर वाल्स / 5,30,400	2 0	10,608 शास्ति 31,824 **42,432**		
			लाईमस्टोन / 1,42,626	10 0	14,263 शास्ति 42,789 **57,052**		
			वूवन सेक / 2,17,023	5 0	10,851 शास्ति 32,553 **43,404**		
14	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स अरूण सिंह टिन–23097002540 प्र.क्र.– सीएस0000000898462	2015–16	प्लांन्ट एण्ड मशीनरी / 37,83,436	2 0	75,669 शास्ति 2,27,007 **3,02,676**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय किए गये प्लाण्ट एवं मशीनरी की राशि को सकल क्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

15	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी टिन–23057005181 प्र.क्र.– सीएस00000001247774	2016–17	पीवीसी पाईप / 56,94,854	1 0	56,949 शास्ति 1,70,847 **2,27,796**	नि.प्रा. ने प्रवेश कर भुगतान की कमी मान्य की, जबकि क्रय बीजकों के अनुसार क्रय कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
16	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स एस.आर.बी.एच. इन्जीनियरिंग टिन–81909000115 प्र.क्र.–1534 / 2016	2015–16	ऐलिवैट र / 30,30,034	2 1	30,300 शास्ति 90,900 **1,21,200**	नि.प्रा. ने ऐलिवेटरके क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			ट्रांसफॉर्मर / 21,57,535	1 0	21,575 शास्ति 64,725 **86,300**	नि.प्रा. ने प्रवेश कर भुगतान की कमी मान्य की, जबकि क्रय बीजकों के अनुसार क्रय कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
17	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स रॉजर पॉवर टेक्नॉलाजी प्रा.लि. टिन ने–23039034572 प्र.क्र.– सीएस0000000907416	2015–16	पीपी बैग्स / 52,45,689	1 0	52,456	नि.प्रा. ने कच्चे माल के संबंध में अधिक कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी ने अपने मुख्यालय से कच्चा माल प्राप्त करने और बैग्स के उत्तपाद करने के बाद विक्रय किया। वह कच्चे माल के विरूद्ध छूट प्राप्त करने के लिए पात्र है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि उसने कच्चे माल के स्थान पर पीपी बैग्स प्राप्त किया था।
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 02 मेसर्स वनकल्या इन्जीनियरिंग एसोसिएटस टिन–23839118300 प्र.क्र.– सीएस0000000967864	2015–16	प्लान्ट एण्ड मशीनरी / 15,03,786	2 1	15,038 शास्ति 45,114 **60,152**	नि.प्रा. ने प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			प्लान्ट एण्ड मशीनरी / 7,27,260	2 0	14,545 शास्ति 43,635 **58,180**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय राशि को सकल क्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स गिरराज कन्सट्रक्शन टिन–23915005441 प्र.क्र.–462 / 2016	2015–16	ऑयरन एण्ड स्टील / 80,00,000	2 0	1,60,000 शास्ति 4,80,000 **6,40,000**	नि.प्रा. ने अनियमित रूप से कर चुके खरीद की कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स बागुल्या सॉरटेक्स टिन–23509087681 प्र.क्र.–433 / 2016	2015–16	सॉरटेक्स मशीन / 91,15,768	2 1	91,157 शास्ति 27,471 **3,64,628**	नि.प्रा. ने सोरटैक्स मशीन के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स जितेंद्र गोयल एंड क. टिन–23393203079 प्र.क्र.–915 / 2016	2015–16	सीमेन्ट / 54,78,561	2 0	1,09,571 शास्ति 3,28,713 4,38,284	नि.प्रा. ने कर भुगतान किए खरीद की कमी मान्य की, जबकि क्रय बीजकों के अनुसार क्रय कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स राजेन्द्र सिंह चन्द्रावत टिन–23833302068 प्र.क्र.– सीएस00000001111715	2015–16	गिट्टी / 58,49,695	1 0	58,497 शास्ति 1,75,491 **2,33,988**	नि.प्रा. ने कर भुगतान की कमी मान्य की, जबकि प्रतिवेदन क्रमांक 75 के अनुसार विक्रेता व्यवसायी ने क्रेता व्यवसायी को विक्रय नहीं दर्शाया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

23	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स पायरोटेक वर्क स्पेस टिन–23909074837 प्र.क्र.– सीएस0000000993154	2015–16	विद्युत सामग्री / 63,87,853	1 0	63,878 शास्ति 1,91,634 **2,55,512**	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर ₹ 17,00,000 निर्धारित किया जबकि स्त्रोत पर कर(टीडीएस) की सत्यापित कटौती के अनुसार सकल टर्नओवर ₹ 63,87,855 होना चाहिए।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
24	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स दुर्गा आईल मील टिन–23253300350 प्र.क्र.–1388 / 2016	2015–16	खाद्य तेल / 2,04,12,990	1 0	2,04,129 शास्ति 6,12,387 **8,16,516**	नि.प्रा. ने कर भुगतान की ₹ 2,45,93,000 की कमी मान्य की जबकि प्रतिवेदन क्रमांक 75 के अनुसार व्यवसायी ने मध्य प्रदेश के पंजीकृत व्यवसाईयों से केवल ₹ 41,80,018 क्रय किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि कर भुगतान की सूची, बीजकों एवं लेखा पुस्तकों के सत्यापन के बाद कमी मान्य की गई है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन क्रमांक 75 के अनुसार व्यवसायी ने पंजीकृत व्यवसाईयों से केवल ₹ 41,80,018 का क्रय किया।
25	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स चेतक क्रशर टिन–23053203363 प्र.क्र.– सीएस0000000993124	2015–16	गिट्टी / 1,16,12,807	1 0	1,16,128 शास्ति 2,32,256 **3,48,384**	प्रवेश कर अधिनियम के धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी जो निर्माता है, किसी स्थानीय क्षेत्र के माल को किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय करता है, उसे देयक पर "निमच के लिए स्थानीय माल प्रवेश कर का भुगतान नहीं हुवा" प्रवेश कर अधिनियम की धारा 7(5) के अनुसार कथन अवश्य अंकित कर जारी करेगा, यदि पंजीकृत व्यवसायी उपरोक्त कथन अंकित करने में असफल होता है, तो यह माना जायेगा कि उसने प्रवेश कर के चोरी में सहायता की है, जब तक कि उसने द्वारा इसके विरूद्ध प्रमाणित नहीं किया जाता, वह भुगतान किये जाने वाले कर की राशि का न्यूनतम दो गुना शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। यह पाया गया कि व्यवसायी गिट्टी का निर्माता है और उसने विक्रय बीजक पर उपरोक्त कथन अंकित किये बिना जारी किया। अतः, इस प्रकार स्थानीय माल के विक्रय पर प्रवेश कर के चोरी में सहायता करवाई गयी। नि.प्रा. ने उपरोक्त वास्तविकताओं के सत्यापन के बिना प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
26	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स विनायक ट्रेडर्स टिन–23979094133 प्र.क्र.– सीएस0000000941615	2015–16	लिग्नाईट कोल / 2,46,63,451	3 1	4,95,711 शास्ति 14,87,133 **19,82,844**	नि.प्रा. ने कोयले के क्रय पर तीन प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर निरूपित किया और नि.प्रा. ने प्रत्यक्ष व्यय की राशि ₹ 2,44,193 को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि क्रय की गई सामग्री लिग्नाईट एक प्रतिशत दर से कर योग्य है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि क्रय की गई सामग्री कोयला थी निर्धारित प्रकरण नस्ती में संलग्न प्रपत्र 49 से सत्यापित होता है।

27	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स राज एण्ड कम्पनी टिन–23933300946 प्र.क्र.– सीएस00000001103510	2015–16	तिलहन और जडी बूटी / 12,28,000	1 0	12,280 शास्ति 36,840 **49,120**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर विक्रय के संबंध में राशि ₹ 1,12,28,000 की कमी मान्य की जबकि वैट एवं केन्द्रीय प्रकरण नस्ती से यह सत्यापित होता है कि राज्य के बाहर केवल ₹ 1,00,00,000 का विक्रय किया गया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
28	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मेसर्स पंकज सिंह एण्ड कम्पनी टिन–23356904912 प्र.क्र.– सीएस0000000847894	2015–16	विस्फोटक / 23,45,878	2 1	23,459	नि.प्रा. ने विस्फोटक के क्रय एवं उपभोग पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया और नि.प्रा. ने मशीनरी की क्रय राशि को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर भी कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			मशीनरी / 1,04,75,508	1 0	1,04,755	नि.प्रा. ने क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी की राशि सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स व्हाय– श्री निवास रॉव टिन–23024705667 प्र.क्र.– सीएस00000001106665	2015–16	बिटुमिन, रेत और गिट्टी / 20,13,616	1 0	20,136 शास्ति 60,408 **80,544**	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर में डामर, रेत एवं गिट्टी के क्रय राशि को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स डायमण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज टिन–23787504766 प्र.क्र.– सीएस00000001093181	2015–16	रॉक फास्फेट / 24,28,284	1 0	24,283 शास्ति 72,849 **97,132**	नि.प्रा. ने अन्तर्राज्यीय विक्रय के विरूद्ध कमी मान्य की जबकि व्यवसायी ने उत्पादन के बाद तैयार माल का विक्रय किया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
31	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स व्ही.व्ही.सी. रियल इन्फ्रा प्रा.लि. टिन–23825006412 प्र.क्र.– सीएस0000000839761	2015–16	रेत एवं मिश्रण / 92,49,306	1 0	92,493 2,77,479 **3,69,972**	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर में इमल्शन, रेत एवं गिट्टी के क्रय राशि को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
32	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स गगन मोटर्स टिन–23795003179 प्र.क्र.– सीएस0000000839735	2015–16	टू व्हीलर्स और ऑटो पार्टस / 45,88,696	2 0	91,774 शास्ति 2,75,322 **3,67,096**	नि.प्रा. ने क्रय के संबंध में प्रत्यक्ष व्यय को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल टर्नओवर कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि क्रय सुपुर्दगी आधार पर किया था। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है व्यापार खाते में भाड़ा एवं बीमा चार्जेज को प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दर्शाया गया है।
33	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स महेन्द्रा ट्रेडर्स टिन–23694802056 प्र.क्र.–168 / 2017	2016–17	स्टील ट्यूब / 7,79,379	2 1	77,937	नि.प्रा. ने स्टील ट्यूब के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर निरूपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
34	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स सहयाद्री इण्डस्ट्रीज लि. टिन–23021101729 प्र.क्र.– सीएस0000000961587	2015–16	सीमेन्ट शीट / 2,01,80,911	2 1	2,01,809 शास्ति 6,05,427 **8,07,236**	नि.प्रा. ने सीमेंट शीट के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

35	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स रचना इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23709019276 प्र.क्र.– सीएस00000001026750	2015–16	एल.डी.ओ./ 15,14,100	10 2	1,21,128 शास्ति 3,63,384 **4,84,512**	नि.प्रा. ने एलडीओ के क्रय पर 10 प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
		2015–16	विस्फोटक/ 10,01,246	2 0	20,025 शास्ति 60,075 **80,100**	नि.प्रा. ने विस्फोटक के संबंध में कर भुगतान की छूट मान्य की, जो प्रावधान के विरूद्ध है क्योंकि प्रावधान के अनुसार अन्तिम उपभोक्ता प्रवेश कर के भुगतान लिए उत्तरदायी होता है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
36	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स गोवर्धन ट्रेडर्स टिन–23470203795 प्र.क्र.– सीएस00000001089893	2015–16	टाईल्स और सेनिटरी/ 16,43,300	1 0	16,433 शास्ति 49,299 **65,732**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के अनुसार सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
37	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स प्रभाकर अर्थ मूविंग टिन–23719038093 प्र.क्र.– सीएस0000000961601	2015–16	–/ 42,04,027	1 0	42,040 शास्ति 1,26,120 **1,68,160**	नि.प्रा. ने सत्यापित अंकेक्षित लेखे के अनुसार सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
38	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स अतरीवाल कन्सट्रक्शन टिन–23469077306 प्र.क्र.– सीएस00000001028828	2015–16	लोडिंग अनलोडिंग व्यय/ 3,14,800	1 0	3,148 शास्ति 9,444 **12,592**	नि.प्रा. ने सकल क्रय में चढ़ाई एवं उतराई व्यय सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
39	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट टिन–23690602247 प्र.क्र.– सीएस00000001040116	2016–17	एच.डी.पी.पी. बैग्स/ 1,16,85,041	2 1	1,16,850	नि.प्रा. ने पैकिंग सामग्री एच.डी.पी.ई/पीपी बैग्स के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
40	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स एक्यूरेटर सेल्स ऐजेन्सीज टिन–23280400664 प्र.क्र.– सीएस0000000853733	2015–16	कार्डबोर्ड और पेपर/ 55,27,873	1 0	55,278 शास्ति 1,65,834 **2,21,112**	नि.प्रा. ने स्थानीय माल के संबंध में अनियमित कमी मान्य की जबकि क्रय किया गया माल जिले के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करवाया गया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
41	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सागर मेसर्स राजेन्द्र सिंह बग्गा टिन–23487603095 प्र.क्र.– सीएस00000001052018	04/2017 से 06/2017	गिट्टी/ 28,54,600	1 0	28,546 शास्ति 85,638 **1,14,184**	नि.प्रा. ने रेत एवं गिट्टी के अपंजीयित क्रय पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
42	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स आर.के. इन्टरप्राईसेज टिन–23675004506 प्र.क्र.– सीएस0000000728796	2014–15	–/ 5,31,655	2 0	10,633 शास्ति 31,899 **42,532**	नि.प्रा. ने प्रपत्र 49 के लेखे में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
43	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स तिलक मार्केटिंग टिन–23775005615 प्र.क्र.– सीएस0000000732381	2014–15	तेन्दूपत्ता/ 11,55,625	2 0	23,113 शास्ति 69,339 **92,452**	नि.प्रा. ने तेन्दूपत्ते के संबंध में कर भुगतान की अनियमित कमी मान्य की।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			बीड़ी/ 9,39,432	2.5 0	23,486 शास्ति 70,458 **93,944**	नि.प्रा. ने लेखे के अनुसार बीड़ी के कर भुगतान बिक्री का सकल क्रय कम निर्धारित किया।	

44	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स लोढा स्टील पाईप टिन–23059110618 प्र.क्र.– सीएस00000001038381	2015–16	प्लान्ट और मशीनरी / 4,87,000	1 0	4,870 शास्ति 14,610 **19,480**	नि.प्रा. ने राज्य बाहर से क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी की राशि सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
45	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स आकृति टेक्नीमोन्ट लि. टिन–2361901897 प्र.क्र.– सीएस00000001009563	2014–15	../ 1,22,19,322	1 0	1,22,193 शास्ति 3,66,579 **4,88,772**	नि.प्रा. ने प्रपत्र 49 में दर्शाये राशि के विरूद्ध कम क्रय की राशि सम्मिलित करने के कारण सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
46	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स आर.एस.के. कॉन्ट्रैक्ट्स टिन–2339028819 प्र.क्र.– सीएस00000001009543	2015–16	प्लान्ट और मशीनरी / 36,62,100	2 0	73,242 शास्ति 2,19,726 **2,92,968**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी को सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			सीमेन्ट / 2,90,160	1 0	2,902 शास्ति 8,706 **11,602**	नि.प्रा. ने सीमेंट के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।	
47	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स सिद्धि विनायक पॉलीपेक प्रा.लि. टिन–23309058213 प्र.क्र.– सीएस00000001109067	2016–17	रेजीन / 2,49,59,665	1 0	2,49,597 शास्ति 7,48,791 **9,98,388**	नि.प्रा. ने छूट प्रमाण पत्र के आधार पर छूट मान्य की, जबकि व्यवसायी ने ऐसे माल का क्रय किया जो छूट योग्य नहीं था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
48	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स मेग्नम स्टील लि. टिन–23335501721 प्र.क्र.– सीएस0000000834067	2015–16	कोयला / 6,49,780	3 1	12,996 शास्ति 38,988 **51,984**	नि.प्रा. ने कोयले पर तीन प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर निरूपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
49	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स यादव कन्स्ट्रक्शन कं. टिन–23185604381 प्र.क्र.– सीएस00000001095574	2015–16	बिटुमिन / 15,13,190	1 0	15,132 शास्ति 45,396 **60,528**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से बिटुमिन की राशि को सकल क्रय में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
50	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स ओमेगा मैन्यूफेक्चरिंग कं. प्रा.लि. टिन–23941003738 प्र.क्र.– सीएस00000001145369	2016–17	बाईन्डिंग वायर और स्टील ट्यूब / 50,75,180	2 0	1,01,504	नि.प्रा. ने कर भुगतान की छूट मान्य किया जबकि क्रय बीजकों के अनुसार क्रय कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
51	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स महालक्ष्मी इलैक्ट्रिकल्स टिन–23031303435 प्र.क्र.– सीएस0000000840652	2015–16	इलेक्ट्रिकल्स गुडस / 77,67,471	1 0	77,675	नि.प्रा. ने कर चूके का छूट मान्य की, जबकि क्रय बीजकों के अनुसार क्रय कर योग्य था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
52	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स चश्मिता इन्जिनिरिंग प्रा.लि. टिन–23449152871 प्र.क्र.– सीएस0000000807562	2015–16	इलेक्ट्रिकल्स गुडस / 47,75,711	2 1	47,757	नि.प्रा. ने इलेक्ट्रिकल माल (फ्लेम प्रूफ / वेदर प्रूफ ईलेक्ट्रिकल्स फिटिंग्स, जनता को सम्बोधित करने का यंत्र) पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
53	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स विलियम इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. टिन–23570105285 प्र.क्र.– सीएस00000001043070	2015–16	पी.पी. बैग्स / 20,67,443	5 1	82,698 शास्ति 2,48,094 **3,30,792**	नि.प्रा. ने पीपी बैग्स पर पॉच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

54	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स लॉयड इन्सूलेशन्स इण्डिया प्रा.लि. टिन–23050101400 प्र.क्र.– सीएस00000001038200	2015–16	एच.डी.पी.ई. बैग्स/ 11,41,299	5 1	45,652 शास्ति 1,36,956 **1,82,608**	नि.प्रा.ने एच.डी.पी.ई. बैग्स पर पॉच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
55	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स एम.पी. बाम्बे पेट्रो पाईन्ट टिन–23839151280 प्र.क्र.– सीएस00000001038760	2015–16	जनरेटर और टेन्कर/ 19,20,000	2 0	38,400 शास्ति 1,15,200 **1,53,600**	नि.प्रा. ने जेनेरेटर और टैंकर की क्रय राशि को सकल क्रय में सम्मिलित नहीं करने के कारण सकल क्रय कम निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			योग	**कर** **शास्ति** **योग**	**98,22,851** **1,96,71,214** **2,94,94,065**		

परिशिष्ट V (ब)
डीम्ड निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स ग्रीन सर्फर प्रा. लि. टिन –23989159995 प्र.क्र.–डीम्ड	2016–17	इलैक्ट्रिकल आईटम और पैकिंग सामग्री/ 2,08,26,036	1 0	2,08,260 शास्ति 6,24,780 **833,040**	नि.प्रा. ने अनियमित छूट प्रमाण पत्र के आधार पर इलेक्ट्रिकल आईटम एवं पैकिंग सामग्री के क्रय पर छूट मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 02 मेसर्स सन इन्टरप्राईसेज टिन–230277101963 प्र.क्र.–डीम्ड	2016–17	इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री/ 16,54,505	2 1	16,545 शास्ति 49,362 **65,816**	नि.प्रा. ने इलेक्ट्रॉनिक्स माल के क्रय पर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा मेसर्स नयन एग्रो लि. टिन–23812004607 प्र.क्र.–डीम्ड	2016–17	एचडीपीपी बैग्स/ 11,35,818	5 1	45,433 शास्ति 1,36,299 **1,81,732**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय किये गये पैकिंग सामग्री एचडीपीई/पीपी बैग्स पर पाँच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा मेसर्स नयन एग्रो लि. टिन–23812004607 प्र.क्र.–डीम्ड	2014–15	एचडीपीपी बैग्स/ 13,76,527	5 2	41,295 शास्ति 1,23,885 **1,65,180**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय किये गये पैकिंग सामग्री एचडीपीई/पीपी बैग्स पर पाँच प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			योग	**कर** **शास्ति** **योग**	**3,11,533** **9,34,326** **12,45,759**		
			महायोग (अ)+(ब)	**कर** **शास्ति** **योग**	**1,01,34,384** **2,06,05,540** **3,07,39,924**		

परिशिष्ट VI

(कंडिका 2.10 (अ) में संदर्भित)

उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट को मान्य करना

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट VI (अ)
नियमित निर्धारण प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट को मान्य करना

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	नि.प्रा. द्वारा मान्य किया गया आईटीआर प्रतिवेदन 75 के अनुसार आईटीआर की राशि	आईटीआर की अधिक स्वीकृत राशि	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स मारुति सेल्स एवं सर्विसेस टिन–23503602513 प्रकरण संख्या–33/2015–16	2015–16	3,95,572 2,77,088	1,18,484	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त 2018 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नहीं थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने के आधार पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा और नि.प्रा. ने उत्तर में यह भी बताया कि मेसर्स एराईज इण्डिया लि. बनाम आयुक्त व्यापार एवं कर, दिल्ली डबल्यूपी (सी) 21062/2015 दिनांक 26.10.2017 के प्रकरण के निर्णय के अनुसार यदि विक्रेता के पक्ष में कोई त्रुटि पायी जाती है तो कर की राशि संबंधित व्यवसायी से वसूली की जानी चाहिए और विक्रेता की किसी त्रुटि के आधार पर क्रेता व्यवसायी का क्रेडिट अमान्य नहीं किया जाना चाहिये। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के अनुसार विक्रेता व्यवसायी से कर की राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग कं. टिन–23353602256 प्रकरण संख्या– सीएस0000000917569	2015–16	20,25,350 19,39,559	85,791	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स ओमला इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23749088045 प्रकरण संख्या– सीएस0000000931304	2015–16	12,35,722 2,42,648	9,93,074	14 में से 12 प्रकरणों के लिए नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी और शेष दो प्रकरणों के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09	2015–16	14,44,115 14,34,570	9,545	

	मेसर्स विजय एजेन्सीज टिन–23300900494 प्रकरण संख्या– सीएस0000000904397				
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स आर.व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रा.लि. टिन–23530904199 प्रकरण संख्या– सीएस0000000907052	2015–16	9,30,904 4,47,110	4,83,794	
6	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स युनिक ड्रग्स हाउस टिन–23890900412 प्रकरण संख्या– सीएस0000000916122	2015–16	2,73,850 2,26,676	47,174	
7	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स इंडियन ट्रेडर्स टिन–23080902264 प्रकरण संख्या– सीएस0000000916128	2015–16	46,33,267 45,29,347	1,03,920	
8	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स एम.पी. फॉर्मा टिन–23770901739 प्रकरण संख्या– सीएस0000000914958	2015–16	2,54,239 2,16,580	37,659	
9	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स पंजाब ज्वेलर्स टिन–23740400023 प्रकरण संख्या– सीएस0000000808896	2015–16	88,58,014 47,52,090	41,05,924	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि क्रय खाता, देयक और विक्रेता को भुगतान के सत्यापन के बाद आईटीआर मान्य किया गया। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और परिपत्र क्रमांक 147/2014–15/30/पन्द्रह/667 दिनांक 21 अगस्त 2014 के अनुसार संबंधित नि.प्रा. ने उचित कार्यवाही के बिना आईटीआर मान्य किया।
10	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स सिल्वर गोल्ड प्वाइंट टिन–23650400994 प्रकरण संख्या–178/2017	2016–17	6,14,94,382 6,13,12,084	1,82,298	
11	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स एम.एम. पाटनवाला टिन–23980500577 प्रकरण संख्या–177/2017	2016–17	2,41,24,963 2,38,24,359	3,00,604	
12	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स सुपरटोन इलेक्ट्रोनिक्स टिन–23211004091 प्रकरण संख्या–198/2016	2016–17	76,65,409 60,81,356	15,84,053	

13	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स व्ही.एच.डी. डिस्ट्रीब्यूटर्स टिन–23579075743 प्रकरण संख्या–177/2016	2016–17	2,53,86,615 2,50,10,872	3,75,743	
14	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स एन.आर.के. आयरन एण्ड स्टील टिन–23720203706 प्रकरण संख्या– सीएस0000000808449	2015–16	2,92,41,040 2,89,38,335	3,02,705	
15	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स सोम्या व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड टिन–23899196185 प्रकरण संख्या– सीएस00000001058762	2016–17	9,88,88,439 9,74,08,637	14,79,802	
16	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स एड मेनम पैकेजिंग टिन–23411001459 प्रकरण संख्या–126/2016	2015–16	88,60,604 87,54,829	1,05,775	
17	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स परफेक्ट पावर सिस्टम टिन–23464002369 प्रकरण संख्या–249/2016	2015–16	18,73,063 15,42,593	3,30,470	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स मेट्रो बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स टिन–23649065745 प्रकरण संख्या–448/2016	2015–16	7,83,691 5,32,386	2,51,305	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
19	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स साधना स्टील टिन–23883704154 प्रकरण संख्या–17/2017	2016–17	84,92,736 80,56,123	4,36,613	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
20	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स विराशा इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23149003909 प्रकरण संख्या–306/2016	2015–16	16,76,253 12,50,900	4,25,353	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
21	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स श्रीकृष्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23889077749 प्रकरण संख्या–657/2016	2015–16	5,53,783 3,02,371	2,51,412	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

22	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स सी.आर. कार्पोरेशन इंडिया प्रा.लि. टिन–23544005623 प्रकरण संख्या–239 / 2016	2015–16	21,60,336 9,96,338	11,63,998	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
23	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स सामी ट्रेडर्स टिन–23233705627 प्रकरण संख्या–51 / 2016	2015–16	67,24,842 67,00,408	24,434	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
24	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स कृति कंस्ट्रक्शन टिन–23129024378 प्रकरण संख्या–249 / 2016	2015–16	2,69,500 2,36,735	32,765	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
25	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स विनोद कुमार गुप्ता टिन–23843601938 प्रकरण संख्या– सीएस00000009774434	2015–16	2,64,303 1,51,620	1,12,683	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
26	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स अशोक कुमार रेजादा टिन–23843803989 प्रकरण संख्या–80 / 2016	2015–16	16,87,827 12,69,507	4,18,320	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
27	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स उदेनिया मेटल एण्ड कंस्ट्रक्शन टिन–23829067570 प्रकरण संख्या– सीएस00000001005140	2015–16	4,55,887 2,30,926	2,24,961	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
28	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स न्यूटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23949070759 प्रकरण संख्या–480 / 2016	2015–16	99,395 9,960	89,435	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
29	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स आर. पटेरिया टिन–23665804034 प्रकरण संख्या– सीएस00000001025126	2015–16	21,24,866 20,44,553	80,313	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

30	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स सिमप्लेक्स इन्जीनियरिंग टिन–23395800933 प्रकरण संख्या– सीएस00000001023216	2015–16	7,91,894 6,74,730	1,17,164	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि क्रय खाता, देयक और विक्रेता को भुगतान के सत्यापन के बाद आईटीआर मान्य किया गया। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
31	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स अभिषेक एजेंसी टिन–23469115233 प्रकरण संख्या– सीएस00000001025869	2015–16	5,93,226 5,28,361	64,865	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
32	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स जे.एम.डी. मिनरल्स टिन–23206206934 प्रकरण संख्या– सीएस0000000406395	2013–14	4,38,623 1,22,186	3,16,437	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
33	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स इलेक्ट्रो मिनरल्स इंडिया टिन–23696207198 प्रकरण संख्या– सीएस0000000806375	2015–16	5,74,177 3,44,817	2,29,360	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
34	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी 01 मेसर्स जेनरेशन एम. टिन–23737005486 प्रकरण संख्या– सीएस0000000907193	2015–16	64,96,371 49,42,029	15,54,342	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन क्रमांक 75–76 में अन्तर इसलिए है क्योंकि विक्रेता व्यवसायी ने वैट विवरणीयों में विक्रय का विवरण नहीं दिखाया है। नि.प्रा.का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
35	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स लोया इन्टरप्राइजेज टिन–23847003825 प्रकरण संख्या– सीएस00000001309882	2016–17	27,97,618 25,97,447	2,00,171	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
36	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मेसर्स ओम मेडिकल हॉल टिन–23497004551 प्रकरण संख्या– सीएस00000001302514	2016–17	4,89,915 3,06,797	1,83,118	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
37	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मेसर्स भाग्येश अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23049091219 प्रकरण संख्या– सीएस0000000904045	2015–16	4,36,294 1,85,736	2,50,558	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि मेसर्स पूजा टेक्सटाइल, इन्दौर बनाम आयुक्त वाणिज्यिक कर, मप्र (2014) 24,50,157 मप्र के प्रकरण में न्यायिक निर्णय के अनुसार देयक, केश मेमो, बीजक आदि के सत्यापन के बाद आईटीआर मान्य किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।

38	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर 04 मेसर्स प्रेम मेडिकल एजेंसी टिन–23395404106 प्रकरण संख्या– सीएस00000001024735	2015–16	8,41,745 7,16,679	1,25,066	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
39	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स दीप ओम बिल्डर्स टिन–23089026710 प्रकरण संख्या– 418/2016	2014–15	15,38,770 13,35,121	2,03,649	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
40	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स दीप ओम बिल्डर्स पार्टनर शिव राम सिंह रघुवंशी टिन–23039078998 प्रकरण संख्या– सीएस00000000918311	2015–16	1,65,616 67,575	98,041	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
41	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स टीटू हार्डवेयर टिन–23095004340 प्रकरण संख्या– सीएस00000000918596	2015–16	8,70,322 7,59,632	1,10,690	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
42	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स अन्या इन्टरप्राईजेज टिन–23839065241 प्रकरण संख्या– सीएस00000001128480	2016–17	13,35,059 12,31,079	1,03,980	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
43	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स अनिल एण्ड कंपनी टिन–23135003348 प्रकरण संख्या– सीएस00000000918990	2015–16	20,01,513 18,87,094	1,14,419	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
44	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स अशोक गौतम कांट्रेक्टर टिन–23979040104 प्रकरण संख्या– सीएस00000000960414	2015–16	1,47,371 24,014	1,23,357	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
45	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स आर.आर. गोयल ऑटो मोबाइल्स प्रो. रमेश चंद गोयल(जैन) टिन–23935007273 प्रकरण संख्या– सीएस00000001241124	2016–17	14,93,820 12,46,192	2,47,628	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
46	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज टिन–23875004105 प्रकरण संख्या– सीएस00000000918545	2015–16	10,94,374 8,85,813	2,08,561	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

47	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स बाबूलाल सुमत कुमार टिन–23315000824 प्रकरण संख्या– सीएस00000000917613	2015–16	32,73,997 15,76,986	16,97,011	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
48	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स जगन्नाथ सिंह यादव कांट्रेक्टर टिन–23975007445 प्रकरण संख्या– सीएस00000000918243	2015–16	1,51,914 0	1,51,914	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
49	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स विजय स्टील्स टिन–23225004802 प्रकरण संख्या– सीएस00000000918633	2015–16	35,62,793 33,74,830	1,87,963	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
50	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स भारील्ल एण्ड कंपनी प्रो. संजीव कुमार जैन टिन–23909004027 प्रकरण संख्या– सीएस00000001017297	2015–16	1,46,256 51,037	95,219	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
51	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स रविन्द्र सिंह रघुवंशी टिन–23825004084 प्रकरण संख्या– 1644/2017	2015–16	3,61,178 1,22,187	2,38,991	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
52	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर–02 मेसर्स श्रीजी ट्रेडर्स टिन–23689128015 प्रकरण संख्या– 25/2017	2016–17	1,44,60,825 1,37,31,563	7,29,262	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
53	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स राजेन्द्र सिंह चंद्रावत टिन–23833302068 प्रकरण संख्या– सीएस00000001111715	2015–16	20,67,060 18,93,548	1,73,512	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
54	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स बालजी इन्फ्राटेक टिन–23764706036 प्रकरण संख्या– सीएस00000000988478	2015–16	12,49,379 84,552	11,64,827	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि क्रय खाता, देयक और विक्रेता को किये गये भुगतान के सत्यापन के बाद आईटीआर मान्य किया गया है। नि.प्रा. ने उत्तर में यह भी बताया कि प्रतिवेदन क्रमांक 75–76 के अनुसार, विक्रेता व्यवसायी की त्रुटि के कारण विक्रय प्रपत्र बी के स्थान पर प्रपत्र सी में दिखायी दे रहा है और नि.प्रा. ने उत्तर में यह भी बताया कि मेसर्स एराईज इण्डिया लि. बनाम आयुक्त व्यापार एवं कर, दिल्ली के डबल्यूपी (सी) 21062/2015 दिनांक 26.10.2017 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के अनुसार यदि विक्रेता के पक्ष में कोई त्रुटि पायी जाती है तो कर की राशि संबंधित विक्रेता से वसूली की जानी चाहिए और विक्रेता की किसी त्रुटि के आधार पर क्रेता व्यवसायी का क्रेडिट अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।
55	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स विनोद कुमार साहू टिन–23184702087 प्रकरण संख्या– सीएस00000001106885	2015–16	3,93,600 2,69,113	1,24,487	
56	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स नाथूराम अग्रवाल टिन–23454701696 प्रकरण संख्या– सीएस00000000986729	2015–16	4,51,971 3,12,690	1,39,281	

57	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स ललित कुमार अग्रवाल टिन–23184703542 प्रकरण संख्या– सीएस00000000988078	2015–16	23,23,761 6,99,513	16,24,248	नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया। नि.प्रा. ने विक्रेता व्यवसायी द्वारा किसी त्रुटि का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के अनुसार विक्रेता व्यवसायी से कर की राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।
58	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स अशोक कुमार अग्रवाल टिन–23104702131 प्रकरण संख्या– सीएस00000000987672	2015–16	13,03,897 5,33,127	7,70,770	
59	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स ममता जेनरेशन स्टोर टिन–23784702727 प्रकरण संख्या– सीएस00000000987983	2015–16	9,46,187 4,02,711	5,43,476	
60	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रीकल्स टिन–23694705444 प्रकरण संख्या– सीएस00000001106876	2015–16	9,99,527 8,03,661	1,95,866	
61	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स विशाल एजेंसी टिन–23964702143 प्रकरण संख्या– सीएस00000000986510	2015–16	16,72,679 12,71,043	4,01,636	
62	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स योग इन्जीनियर्स एण्ड बिल्डर्स टिन–23934702499 प्रकरण संख्या– सीएस00000000987966	2015–16	10,84,662 5,19,436	5,65,226	
63	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स अवधेश सिंह टिन–23674700896 प्रकरण संख्या– सीएस00000001102398	2015–16	5,11,399 1,08,148	4,03,251	
64	वाणिज्यिक कर अधिकारी दमोह मेसर्स दमोह इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23679018503 प्रकरण संख्या– सीएस00000001108958	2016–17	6,81,455 4,80,409	2,01,046	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
65	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मेसर्स महादेव टाइल्स एण्ड सेनिटरी टिन–23639026073 प्रकरण संख्या– सीएस00000000961237	2015–16	5,21,136 4,53,259	67,877	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
66	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स सुदर्शन गोयल टिन–23355003130 प्रकरण संख्या– सीएस00000000873745	2015–16	12,86,193 10,16,563	2,69,630	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

67	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स नरेन्द्र इलेक्ट्रानिक्स टिन–23155005956 प्रकरण संख्या– सीएस0000000792192	2014–15	7,16,891 5,20,924	1,95,967	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि नियम के अनुसार वास्तविक लेन–देन के आधार पर आईटीआर मान्य किया गया है। संबंधित विक्रेता द्वारा किसी तकनीकी त्रुटि के कारण यदि पोर्टल पर आवश्यक डाटा दिखाई नहीं देता है तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आवश्यक देयक एवं प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने के बाद आईटीआर मान्य किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
68	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स पूजा हार्डवेयर स्टोर टिन–23285003896 प्रकरण संख्या– सीएस0000000728741	2014–15	3,37,345 1,46,994	1,90,351	
69	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स अग्रवाल सेनिटरी एण्ड पाइप गुना प्रो. सुनीता अग्रवाल टिन–23069019340 प्रकरण संख्या– सीएस0000000732780	2014–15	2,13,088 92,495	1,20,593	
70	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स सचिन स्टील सेन्टर टिन–23465001760 प्रकरण संख्या– सीएस0000000728674	2014–15	2,07,614 1,74,327	33,287	
71	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स संजय सर्जिकल एण्ड मेडिकोज टिन–23495003344 प्रकरण संख्या– सीएस0000000737658	2014–15	2,72,968 1,76,319	96,649	
72	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स बालाजी मार्केटिंग टिन–23609092715 प्रकरण संख्या– सीएस0000000737961	2014–15	1,02,359 45,534	56,825	
73	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स क्षितिज इन्टरप्राइजेज टिन–23455005209 प्रकरण संख्या– सीएस0000000732358	2014–15	7,16,360 3,70,382	3,45,978	
74	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स आर.एस.के. कांट्रेक्ट्स टिन–23339028819 प्रकरण संख्या– सीएस00000001009542	2015–16	10,88,622 9,29,162	1,59,460	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
75	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स मेगनम स्टील लि. टिन–23335501721 प्रकरण संख्या– सीएस0000000834065	2015–16	1,02,92,162 85,55,839	17,36,323	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
76	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स उमा गाउन हाउस टिन–23175602980 प्रकरण संख्या–1110/2016	2015–16	2,21,108 1,88,256	32,852	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

77	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स साधना मेडिकल एजेंसी टिन–23685603136 प्रकरण संख्या–1163 / 2016	2015–16	2,82,590 2,37,159	45,431	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
78	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स अम्बिका सेल्स एजेंसी टिन–23115501454 प्रकरण संख्या–1318 / 2016	2015–16	88,697 65,349	23,348	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
79	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स श्री अम्बे पॉली बैग टिन–23029126335 प्रकरण संख्या–1032 / 2016	2015–16	56,013 18,458	37,555	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
80	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स मेगनम स्टील्स लाइट टिन–23565504262 प्रकरण संख्या–1719 / 2017	2016–17	3,06,865 2,98,271	8,594	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
81	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज टिन–23535605110 प्रकरण संख्या–893 / 2015	2015–16	2,58,113 2,14,849	43,264	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
82	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स जय बजरंग ट्रेडर्स टिन–23489043839 प्रकरण संख्या–926 / 2017	2016–17	4,13,575 3,89,853	23,722	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
83	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स जयदीप उपाध्याय टिन–23879004127 प्रकरण संख्या– सीएस00000001370546	2016–17	4,46,174 2,92,007	1,54,167	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
84	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर मुरैना मेसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन–23185604381 प्रकरण संख्या– सीएस00000001095567	2015–16	4,32,328 56,731	3,75,597	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
85	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स सेफ्टीप्लस प्रोटेक्शन प्रा.लि. टिन–23889050298 प्रकरण संख्या– सीएस0000000839279	2015–16	27,97,643 27,33,401	64,242	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि लेखा पुस्तिका एवं बीजकों के सत्यापन के बाद आईटीआर को मान्य किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
86	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स आनंद एजेंसी टिन–23911000796 प्रकरण संख्या– सीएस0000000814957	2015–16	7,56,053 7,45,529	10,524	

87	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स श्री बालाजी एजेंसीज टिन–23200102336 प्रकरण संख्या– सीएस0000000840349	2015,16	40,30,818 36,29,217	4,01,601
88	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स जे.आर.मार्केटिंग टिन–23499104463 प्रकरण संख्या––	2015–16	19,94,432 19,80,369	14,063
89	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स बंदी इन्टरप्राइजेज टिन–23061003543 प्रकरण संख्या– सीएस0000000840749	2015–16	97,73,306 97,52,569	20,737
90	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स प्रकाश रेडियों एण्ड वाच कंपनी टिन–23051000105 प्रकरण संख्या– सीएस0000000839211	2015–16	94,35,858 92,00,874	2,34,984
91	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स न्यू अग्रवाल मार्केटिंग टिन–23621003429 प्रकरण संख्या– सीएस0000000840643	2015–16	13,51,641 12,18,444	1,33,197
92	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स क्यूबिक्स इंटरनेशनल टिन–23909070375 प्रकरण संख्या– सीएस0000000808706	2015–16	67,51,294 64,42,394	3,08,900
93	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स दीपक ट्रेडर्स टिन–23181004447 प्रकरण संख्या– सीएस0000000808758	2015–16	65,79,126 65,22,926	56,200
94	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स एस.ए.आई ब्रशेज प्रा.लि. टिन–23651002588 प्रकरण संख्या– सीएस0000000776290	2015–16	2,31,80,656 2,23,63,759	8,16,897
95	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10	2015–16	56,01,863 54,16,871	1,84,992

	मेसर्स श्री एन.एम. इलेक्ट्रीकल्स लि. टिन–23781003923 प्रकरण संख्या– सीएस0000000808763				
96	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स बाबा इलेक्ट्रोनिक्स टिन–23269150949 प्रकरण संख्या– सीएस0000000807560	2015–16	30,63,482 29,06,694	1,56,788	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
97	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स पाटीदार ऑयल मिल टिन–23549065755 प्रकरण संख्या– सीएस000000001043188	2015–16	5,94,113 4,68,467	1,25,646	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
98	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स एस.एस.बी. इंजीनियरिंग टिन–23119023215 प्रकरण संख्या– सीएस000000001043135	2015–16	6,84,015 4,78,705	2,05,310	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
99	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स अंजना रिटेल इन्फ्रा प्रा.लि. टिन–23419153650 प्रकरण संख्या– सीएस0000000807568	2015–16	6,42,620 5,19,192	1,23,428	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
100	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स पाइरोल फ्यूल इंडस्ट्रीज टिन–23889127122 प्रकरण संख्या– सीएस0000000824037	2015–16	15,61,669 9,22,798	6,38,871	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
101	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मेसर्स श्री गणपति इंडस्ट्रीज टिन–23110103986 प्रकरण संख्या– सीएस000000001042595	2015–16	3,75,221 2,24,896	1,50,325	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
		योग	**45,80,62,222** **42,25,80,244**	**3,54,81,978**	

परिशिष्ट VI (ब)
डीम्ड निर्धारण प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट को मान्य करना

1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स बैट्री पावर सिस्टम टिन–23279044539 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	14,67,568 11,00,450	3,67,118	नि.प्रा. नें उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 02–08–2018 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नहीं थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। और नि.प्रा. ने उत्तर में यह भी बताया कि मेसर्स एराईज इण्डिया लि. बनाम आयुक्त व्यापार एवं कर, दिल्ली डबल्यूपी (सी) 21062/2015 दिनांक 26.10.2017 के प्रकरण के निर्णय के अनुसार यदि विक्रेता के पक्ष में कोई त्रुटि पायी जाती है तो कर की राशि संबंधित व्यवसायी से वसूल की जानी चाहिए और विक्रेता की किसी त्रुटि के आधार पर क्रेता व्यवसायी का क्रेडिट अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स रेमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टिन–23353602062 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	19,55,341 18,55,440	99,901	

3	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज टिन–23419060724 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	3,49,733 2,61,253	88,480	नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के अनुसार विक्रेता व्यवसायी से कर की राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स पटेल इलेक्ट्रीकल्स टिन–23643606025 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	32,96,869 32,43,845	53,024	
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स टेक प्रो मार्केटिंग टिन–23773606390 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	72,42,097 70,82,645	1,59,452	
6	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स बाइनरी इन्टरप्राइजेज टिन–23553606996 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	12,27,657 12,04,263	23,394	
7	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स अरशा इंजीनियरिंग टिन–23533606134 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	19,97,747 16,69,595	3,28,152	
8	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स श्री कुशल फेब्रिकेटर्स टिन–23923600148 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	13,97,233 13,88,530	8,703	
9	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स सेम्स इन्वेस्टमेन्ट इंडिया लि. टिन–23819140127 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	11,08,030 9,84,151	1,23,879	
10	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स जय अम्बे किराना एण्ड जॉन टिन–23619036745 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	59,65,950 58,63,375	1,02,575	
11	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स हरीओम एजेंसीज	2016–17	20,94,550 12,97,522	7,97,028	

	टिन–23023903768 प्रकरण संख्या–डीम्ड				
12	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स भारत एसोसिएट टिन–23379142693 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	1,265 0	1,265	
13	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स अशोक इलेक्ट्रीकल्स टिन–23379142693 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	3,16,415 2,98,154	18,261	
14	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स श्री सांई ट्रेडर्स टिन–23283606999 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	1,74,190 76,524	97,666	
15	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स दिलीप ट्रेडर्स टिन–23663600388 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	16,14,748 13,34,044	2,80,704	
16	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स श्री कृष्णा इन्टरप्राइजेज टिन–23663600388 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	75,25,601 68,98,190	6,27,411	
17	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स कान्हा एजेंसी टिन–23249095758 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	3,95,819 3,92,154	3,665	
18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स लक्की इलेक्ट्रीकल्स टिन–23339001368 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	17,63,144 14,42,902	3,20,242	
19	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स गोल्डमाइन व्यापार प्रा.लि. टिन–23190905550 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	13,20,988 11,67,282	1,53,706	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

20	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स फ्लाई मोटर्स टिन–23440903715 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	64,44,356 59,61,546	4,82,810	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
21	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स राहुल मार्केटिंग टिन–23259088967 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	3,88,004 1,67,187	2,20,817	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
22	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स एशियन पेंट एजेंसी टिन–23460901182 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	1,39,76,520 1,38,32,145	1,44,375	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
23	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स मिराश इन्फो टेक प्रा.लि. टिन–23960904981 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	7,11,847 5,39,385	1,72,462	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
24	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स कैलाश चंद्र अशोक कुमार टिन–23720901039 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	20,32,994 20,09,335	23,659	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
25	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स बाबा श्याम के. इन्टरप्राइजेज टिन–23270905506 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	44,26,995 44,10,622	16,373	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
26	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 09 मेसर्स गौरव मेडिकल स्टोर्स टिन–23570905438 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	8,79,711 6,36,874	2,42,837	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
27	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स मॉ भवानी इलेक्ट्रीकल टिन–23489005718 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	9,92,405 8,81,792	1,10,613	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि प्रावधान के अनुसार संबंधित व्यवसायी ने विवरणियों के साथ क्रय एवं विक्रय की सूची प्रस्तुत की। मप्र वैट अधिनियम में वैटीज मॉड्यूल प्रतिवेदन क्रमाक 75 के अन्तर के आधार पर आईटीआर अमान्य करने का प्रावधान नहीं है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योकि संबंधित व्यवसायी का प्रतिवेदन क्रमांक 75–76 वैटीज मॉड्यूल से जेनेरेटेड है तथा विश्लेषण पर पाया गया कि विक्रय पर भुगतान किये गये कर से अधिक आइटीआर का दावा किया गया और उसके अनुरूप मान्य भी किया गया।
28	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स वंशिका	2016–17	1,37,995 93,735	44,260	

	टिन–23809029742 प्रकरण संख्या–डीम्ड				
29	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स सन–अप ऑटोपैक टिन–23069039710 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	63,194 56,882	6,312	
30	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स फ्लोरीकन इन्टरप्राइजेज टिन–23354003448 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	6,69,523 6,41,865	27,658	
31	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स गैलेक्सी डिजिटल टिन–23554006733 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	18,32,659 17,89,717	42,942	
32	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स अंजली इन्टरप्रइजेज टिन–23294006488 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	11,72,201 11,16,046	56,155	
33	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स अग्रवाल मेडिकल हब टिन–23949186674 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	12,24,384 1,76,268	10,48,116	
34	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स सागर गैरे फास्ट फूड सेन्टर टिन–23934005845 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	19,11,497 16,24,875	2,86,622	
35	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स सहाय इन्टरप्रइजेज टिन–23544002228 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	41,78,889 41,55,488	23,401	
36	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मेसर्स माणिक मोटर्स टिन–23264006650 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	59,31,252 59,21,211	10,041	

37	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स जगदीश ट्रेडर्स टिन–23193903917 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	1,91,132 1,80,802	10,330	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
38	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स एस.के. कंस्ट्रक्शन टिन–23503704169 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	5,35,552 3,65,136	1,70,416	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
39	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स एस.के. ट्रेडर्स टिन–23403600919 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	18,25,985 15,95,380	2,30,605	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
40	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स बालाजी सेल्स टिन–23579002217 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	34,31,306 33,57,462	73,844	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
41	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स कंक्रिटो टिन–23453904356 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	11,38,233 2,88,598	8,49,636	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
42	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स तिरुपति बिल्डर्स टिन–23259147749 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	8,41,240 7,16,282	1,24,958	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
43	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स ग्लोबल मेगा वेन्चर टिन–23524007089 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	19,42,712 16,32,407	3,10,305	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
44	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मेसर्स वेस्टर्न कोलोनाईजर्स टिन–23589114154 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	42,94,634 40,47,518	2,47,116	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

45	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स अमर ज्योति लॉजिस्टिक टिन–23267167836 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	76,06,392 73,14,630	2,91,762	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 02–08–2018 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नहीं थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने के आधार पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा । नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
46	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स इरोस मोटर्स प्रा.लि. टिन–23285807832 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	1,03,16,579 93,27,132	9,89,447	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 02–08–2018 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नहीं थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने के आधार पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
47	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स जैन ट्रेडर्स टिन–23925803503 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	6,26,649 6,18,619	8,030	
48	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स जैन सेल्स कार्पोरेशन टिन–23775806544 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	5,76,743 5,57,159	19,584	
49	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स विशाल दत्ता टिन–23405809415 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	2,84,54,202 2,70,56,308	13,97,894	
50	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स फ्रंटियर लॉजिस्टिक टिन–23089034955 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	1,69,96,057 1,63,28,166	6,67,891	
51	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स सतपुड़ा इंडेन गैस टिन–23215808210 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	6,99,572 1,16,806	5,82,766	
52	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स तान्या इंडेन गैस एजेंसीज टिन–23575808206 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	13,07,002 8,54,322	4,52,680	

53	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मेसर्स डायनामिक डिजाइनर टिन–23805804345 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	36,16,981 32,93,641	3,23,340	
54	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स बालाजी मोटर्स टिन–23244502816 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	62,52,552 61,40,480	1,12,072	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
55	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स मुकेश कुमार वर्मा टिन–23864503251 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	13,40,067 5,55,614	7,84,453	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
56	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स विजय स्टोन क्रशर टिन–23079088597 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	16,21,451 226	16,21,225	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
57	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स धर्मेन्द्र ऑटोमोबाईल्स टिन–23419188667 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	15,71,830 13,94,627	1,77,203	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
58	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स पाटीदार हार्डवेयर टिन–23924501860 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	7,08,746 6,89,128	19,618	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
59	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स श्रीनाथ एजेंसी टिन–23784503877 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	16,28,878 16,08,881	19,997	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
60	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स राजेश ट्रेडर्स टिन–23424502620 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	4,40,726 4,25,268	15,458	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
61	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स चंदक मोटर्स टिन–23469153742 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	11,17,594 10,65,532	52,062	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
62	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स गुलाब चंद साहू ट्रेडर्स टिन–23114501966 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	6,42,014 6,33,580	8,434	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

63	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स सिसोदिया ट्रेडर्स टिन–23949110529 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	36,36,736 32,81,929	3,54,807	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
64	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स उत्तम सेल्स एजेंसीज टिन–23694501259 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	21,19,546 16,46,049	4,73,497	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
65	वाणिज्यिक कर अधिकारी सीहोर मेसर्स तिरुपति ऑटोमोबाइल टिन–23789028289 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	13,78,525 13,35,009	43,516	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
66	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मेसर्स खनूजा इन्टरप्राइजेज टिन–23900800642 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	33,41,976 30,88,787	2,53,189	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
67	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मेसर्स एन.के. ट्रेडर्स टिन–23810800837 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	20,76,148 19,01,598	1,74,550	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
68	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मेसर्स खण्डेलवाल एग्रो एजेंसीज टिन–23650803253 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	14,24,909 13,18,615	1,06,294	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
69	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर वृत्त–04 मेसर्स नवीन ट्रेडर्स टिन–23645400525 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	38,75,276 28,99,088	9,76,188	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
70	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स महावीर टी कंपनी टिन–23365003076 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	27,68,007 21,55,566	6,12,441	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
71	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स जैना मोटर्स टिन–23365007538 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	24,68,704 22,21,091	2,47,613	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
72	उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेव. कार्पोरेशन लि. टिन–23154000745 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	5,29,71,186 4,86,97,314	42,73,872	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त 2018 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नही थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने के आधार पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

73	उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स सिग्मा हेवी इन्जीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा.लि. टिन–23863600181 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	1,95,48,089 1,89,08,806	6,39,283	नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
74	उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मेसर्स टोपाज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. टिन–23393803024 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	2,07,73,525 2,02,23,035	5,50,490	
75	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मेसर्स निर्मल किराना स्टोर टिन–23024703824 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2015–16	2,94,940 75,672	2,19,268	
76	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स न्यू मनोज ऑयल एजेंसी टिन–23987403776 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	59,61,312 57,06,948	2,54,364	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 30 मई 2016 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नहीं थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने के आधार पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
77	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स अनिल एण्ड कंपनी टिन–23377502421 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	48,80,679 47,51,040	1,29,639	
78	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स सागर ऑटो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स टिन–23247402049 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	16,92,176 16,44,148	48,028	
79	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स राय टायर टिन–23869018678 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	12,93,873 11,81,903	1,11,970	
80	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स समृद्धि ट्रेडर्स टिन–23057503373 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	13,89,110 11,55,940	2,33,170	
81	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स अभिषेक इन्टरप्राइजेज टिन–23567502559 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	13,59,249 11,43,752	2,15,497	
82	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स आदर्श टायर हाउस टिन–23677402249 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	67,53,295 66,57,222	96,073	

83	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मेसर्स श्री कृष्णा कृषि क्लिनिक टिन–23619018703 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	74,58,857 64,56,164	10,02,693	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि वैट प्रकरणों का निराकरण डीम्ड योजना की अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त 2018 के अन्तर्गत किया गया है और योजना में कोई शर्त एवं विशिष्ट बाध्यता नहीं थी कि किसी कमी या प्रतिवेदन 75–76 के अनुसार आईटीआर में कोई अन्तर होने के आधार पर डीम्ड आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने धारा 14(6–ए) सहपठित नियम 9–ए के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक आईटीआर का दावा किया और संबंधित नि.प्रा. ने बिना सत्यापन के अधिक आईटीआर मान्य किया।
		योग	**33,53,80,318** **30,81,88,672**	**2,71,91,646**	
		महायोग **(अ)+(ब)**	**79,34,42,540** **73,07,68,916**	**6,26,73,624**	

परिशिष्ट VII

(कंडिका 2.10 (ब) में संदर्भित)

प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत जमा मान्य किया जाना

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट VII (अ)
नियमित निर्धारित प्रकरणों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत जमा मान्य किया जाना

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	वस्तु का नाम	नि.प्रा. द्वारा मान्य किया गया आईटीआर / लेखा पुस्तकों के अनुसार आईटीआर	आईटीआर की अधिक स्वीकृत राशि, शास्ति / योग	लेखापरीक्षा आपत्ति	नि.प्रा. का उत्तर / लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 01 मे0 हाइवे डीजल्स टिन–23503601058 प्रकरण संख्या–24 / 2016	2015–16	डीजल, पेट्रोल	3,78,62,491 3,78,19,512	42,979 शास्ति 1,28,937 **1,71,916**	नि.प्रा. ने डीजल एवं पेट्रोल के कमी के मूल्य पर भी आईटीआर मान्य किया जो म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(1)(1एसी) के प्रावधान के विरूद्ध है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
2	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 06 मे0 मारुति कंस्ट्रक्शन टिन–23309148132 प्रकरण संख्या– सीएस00000001052554	2015–16	प्लांट एवं मशीनरी	27,51,965 23,65,800	3,86,165 शास्ति 11,58,495 **15,44,660**	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 (6)(छः) के प्रावधान और अधिसूचना क्रमांक ए–3–95–05–1–पाँच (28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के विरूद्ध प्लाण्ट एवं मशीनरी पर आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
3	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 रोका बाथरुम प्रोडक्ट प्रा.लि. टिन–23621303547 प्रकरण संख्या–149 / 2016	2014–15	सेनिटरी वेअर, वाश बेसिन, एण्ड टायलेट सीट्स	3,15,78,417 3,11,93,762	3,84,655 शास्ति 11,53,965 **15,38,620**	नि.प्रा. ने स्टॉक ट्रानस्फर का अनुपात 41.25 प्रतिशत के स्थान पर 40.40 प्रतिशत संगणित करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
4	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 एच. एंड आर. जॉनसन प्रा.लि. टिन–23870901878 प्रकरण संख्या–246 / 2016	2015–16	टाइल्स	1,34,17,340 1,31,47,974	2,69,366	नि.प्रा. ने स्टॉक ट्रान्सफर का अनुपात 40.80 प्रतिशत के स्थान पर 39.52 प्रतिशत संगणित करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

5	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 रोका बाथरुम प्रोडक्ट प्रा.लि. टिन–23621303547 प्रकरण संख्या–118/2017	2016–17	सेनिटरी वेअर, वाशबेसिन, एण्ड टायलेट सीट्स	1,21,27,080 1,20,30,549	96,531 शास्ति 2,89,593 **3,86,124**	नि.प्रा. ने आईटीआर रिवर्सल की गणना ₹ 66,44,206 के स्थान पर ₹ 65,47,675 करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
6	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 एरिस्टो फर्मासियुटिकल्स प्रा.लि. टिन–23541101734 प्रकरण संख्या–151/2016	2015–16	दवाईयाँ	1,89,57,847 1,88,39,119	1,18,728	नि.प्रा. ने आईटीआर रिवर्सल की गणना ₹ 1,28,686 के स्थान ₹ 9,959 करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
7	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 शांतिनाथ स्टील टिन–23641402379 प्रकरण संख्या–149/2016	2016–17	आयरन एण्ड स्टील	2,61,57,877 2,60,37,340	1,20,537 शास्ति 3,61,611 **4,82,148**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर से क्रय पर अनियमित आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
8	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 पी.डी गोयल ट्रेड एवं इन्वेस्टमेन्ट लि. टिन न.23680400541 प्रकरण संख्या–169/2016	2015–16	प्लांट एण्ड मशीनरी	10,07,19,246 10,06,64,965	54,281 शास्ति 1,62,843 **2,17,124**	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 (6)(छः) के प्रावधान और अधिसूचना क्रमांक ए–3–95–05–1–पॉच (28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के विरूद्ध प्लाण्ट एवं मशीनरी पर आईटीआर मान्य किय।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
9	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मे0 एप्पल इन्टरप्राइजेज टिन–23109017396 प्रकरण संख्या– सीएस00000001023540	2015–16	आईटी प्रोडक्ट	12,23,179 3,87,940	8,35,239 शास्ति 25,05,717 **33,40,956**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में दर्शाये अनुसार ₹ 73,05,332 के क्रय मूल्य के विरूद्ध ₹ 2,40,10,119 क्रय मूल्य पर आईटीआर मान्य कर अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
10	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मे0 विनोद एण्ड एसोसिएट्स टिन–23475808261 प्र.सं. सीएस00000001305342	2016–17	सीमेन्ट	5,21,563 1,88,242	3,33,321 शास्ति 9,99,963 **13,33,284**	नि.प्रा. ने ₹3,33,321 के ऐसे क्रय जिसके विक्रेता व्यवसायी ने अपने विवरणी में माल का विक्रय करदाता को करना नहीं दर्शाया था और बीजक पर टिन नम्बर दर्ज नहीं किया गया है पर आईटीआर मान्य किया गया हैं।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
11	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मे0 रश्मि वाच कम्पनी टिन–23495803982 प्र.सं. सीएस00000001020580	2015–16	घड़ी	12,98,648 12,28,242	70,406 शास्ति 2,11,218 **2,81,624**	नि.प्रा. ने अंकक्षित लेखे में दर्शाये अनुसार ₹ 87,73,159 के क्रय मूल्य के विरूद्ध ₹ 92,76,058 क्रय मूल्य पर आईटीआर मान्य कर अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

12	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 01 मे0 आर.के. नामदेव टिन–23359041039 प्र.सं. सीएस000000001041887	2015–16	इलेक्ट्रीकल गुड्स	1,88,198 79,978	1,08,220 शास्ति 3,24,660 **4,32,880**	नि.प्रा. ने ऐसे क्रय जिसके विक्रेता व्यवसायी ने अपने विवरणी में माल का विक्रय करदाता को करना नहीं दर्शाया था और बीजक पर टिन दर्ज नहीं किया गया है पर अनियमित आईटीआर मान्य किया	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
13	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल 05 मे0 अन्नपूर्णा इलेक्ट्रोनिक्स टिन–23639028013 प्र.सं. 372/2016	2015–16	इलेक्ट्रीकल गुड्स, बैट्री, इनवर्टर्स	8,37,664 0	8,37,664 शास्ति 25,12,992 **33,50,656**	नि.प्रा. ने ऐसे क्रय जिसके विक्रेता व्यवसायी ने अपने विवरणी में माल का विक्रय करदाता को करना नहीं दर्शाया था और बीजक पर टिन दर्ज नहीं किया गया है पर अनियमित आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 08 मे0 बी.एम. ट्रेडर्स टिन–23930802420 प्र.सं. सीएस00000000877116	2015–16	पैकिंग मटेरियल	1,60,210 1,11,551	48,659 शास्ति 1,45,977 **1,94,636**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में दर्शाये गये पैकिंग सामग्री के क्रय मूल्य के विरूद्ध अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
15	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मे0 गणेश सॉ मील टिन–23037001312 प्र.सं. सीएस00000000883307	2015–16	टिम्बर	84,52,733 71,75,370	12,77,363	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम के धारा 14(1एई) के प्रावधान के विरूद्ध लकड़ी पर जो राज्य के बाहर विक्रय किया गया था पर आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी ने वन विभाग से लकड़ी का क्रय कर और उसके चिराई करने के बाद विक्रय किया, अतः व्यवसायी निर्माता है। इसलिए धारा 14(1एई) का प्रावधान लागू होने योग्य नहीं हैं। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना क्रमांक 76 दिनांक 15 नवम्बर 2006 के अनुसार लकड़ी की चिराई उत्पादन प्रक्रिया नहीं है।
16	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मे0 गुरुदेव सॉ मील टिन–23437004875 प्र.सं. सीएस0000000960588	2015–16	टिम्बर	7,08,486 1,47,007	5,61,479	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम के धारा 14(1एई) के प्रावधान के विरूद्ध लकड़ी पर जो राज्य के बाहर विक्रय किया गया था पर आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी ने वन विभाग से लकड़ी का क्रय कर और उसके चिराई करने के बाद विक्रय किया, अतः व्यवसायी निर्माता है। इसलिए धारा 14(1एई) का प्रावधान लागू होने योग्य नहीं हैं। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना क्रमांक 76 दिनांक 15 नवम्बर 2006 के अनुसार लकड़ी की चिराई उत्पादन प्रक्रिया नहीं है।
17	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सतना 01 मे0 पुरुषोत्तम भाई पटेल	2015–16	टिम्बर	16,45,754 13,56,419	2,89,335	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम के धारा 14(1एई) के प्रावधान के विरूद्ध लकड़ी पर जो राज्य के बाहर विक्रय	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी ने वन विभाग से लकड़ी का क्रय कर और उसके चिराई करने के बाद विक्रय

	एण्ड कंपनी टिन–23367005447 प्र.सं. सीएस0000000861736					कया गया था पर आईटीआर मान्य किया।	किया, अतः व्यवसायी निर्माता है। इसलिए धारा 14(1ए्ई) का प्रावधान लागू होने योग्य नहीं है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना क्रमांक 76 दिनांक 15 नवम्बर 2006 के अनुसार लकड़ी की चिराई उत्पादन प्रक्रिया नहीं है।
18	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर पीथमपुर मे0 रानोल लूब्रिकेन्ट्स प्रा. लि. टिन–23899092104 प्र.सं. सीएस0000000892445	2015–16	टीएमटी बार्स	5,47,796 5,02,482	45,314	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 (6)(छः) के प्रावधान के विरूद्ध भवन निर्माण सामग्री (टीएमटी बार) पर आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर 04 मे0 सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि. टिन–23829125770 प्र.सं. सीएस00000001025943	2015–16	प्लास्टिक, वाटर टैंक	8,76,340 6,61,630	2,14,710 शास्ति 6,44,130 **8,58,840**	नि.प्रा. ने स्टॉक अन्तरण का अनुपात 32.50 प्रतिशत के स्थान पर निरंक प्रतिशत की गणना के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर 04 मे0 एन.एस. फ्युल टिन–23385405130 प्र.सं. सीएस00000001038131	2015–16	डीजल एण्ड पेट्रोल	2,85,000 2,31,000	54,000	नि.प्रा. ने क्रय सूची के उपकर की राशि के विरूद्ध अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर 04 मे0 कपूर इंजीनियरिंग टूल्स टिन–23375101865 प्र.सं. सीएस00000001013213	2015–16	कृषि यन्त्र	2,27,902 2,07,365	20,537 शास्ति 61,611 **82,148**	नि.प्रा. ने कर मुक्त कृषि उपकरणों के उत्पादन पर आईटीआर के रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्वालियर 04 मे0 नरसिंह दास हरिश्चंद टिन–23195400433 प्र.सं. सीएस00000001033464	2015–16	घी, तेल, मसाला, सोयाबिन	35,67,869 35,49,331	18,538 शास्ति 55,614 **74,152**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार 35,49,331 के स्थान पर 35,67,869 अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
23	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मे0 रणवीर गुर्जर टिन–23379137746 प्र.सं. सीएस0000000983227	2015–16	तेन्दूपत्ता	11,66,800 6,75,499	4,91,301	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर तेन्दूपत्ता के विक्रय पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

24	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मे0 मो. रेयाज टिन–23769105891 प्र.सं. सीएस000000085102	2015–16	तेन्दूपत्ता	30,32,523 19,10,490	11,22,033	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर तेन्दूपत्ता के विक्रय पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
25	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मे0 थारमेक्स टिन–23306901205 प्र.सं. सीएस0000000844451	2015–16	फिनाइल, क्लोथ, पत्ती एण्ड फेब्रिकेशन, सोलर सिस्टम	2,18,469 1,97,476	20,993	नि.प्रा. ने कर मुक्त विक्रय पर पाँच प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत आईटीआर आरोपित किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
26	वाणिज्यिक कर अधिकारी रीवा मे0 पंकज रेफ्रिजेरेशन टिन–23326902746 प्र.सं. सीएस0000000846029	2015–16	इलेक्ट्रानिक्स गुड्स	1,27,19,122 1,26,31,466	87,656	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में क्रय राशि के विरूद्ध अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
27	वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मे0 लक्ष्मी ऑटो एजेन्सी टिन–23914702219 प्र.सं. सीएस0000000987692	2015–16	टूल्स, लुब्रिकेन्ट्स एण्ड मोटर साइकिल	30,44,722 29,21,113	1,23,609	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में क्रय राशि के विरूद्ध अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
28	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्वालियर 02 मे0 जीवन फर्टिलाइजर टिन–23455601565 प्र.सं. सीएस0000000837737	2015–16	पेस्टिसाइड्स	9,28,662 8,28,751	99,911 शास्ति 2,99,733 **3,99,644**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे में क्रय राशि के विरूद्ध अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मे0 उपकार पॉलिमर्स टिन–23779049339 प्र.सं. सीएस0000000722382	2014–15	कृषि यन्त्र	3,24,193 2,79,117	45,076 शास्ति 1,35,228 **1,80,304**	नि.प्रा. ने कर मुक्त माल के उत्पादन एवं विक्रय पर आईटीआर के रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मे0 उपकार पॉलिमर्स टिन–23779049339 प्र.सं. सीएस00000001045314	2015–16	कृषि यन्त्र	6,04,446 3,68,932	2,35,514 शास्ति 7,06,542 **9,42,056**	नि.प्रा. ने कर मुक्त माल के उत्पादन एवं विक्रय पर आईटीआर के रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

31	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मे0 छाभैया एण्ड कंपनी टिन–23627401452 प्र.सं. सीएस00000001041111	2015–16	टिम्बर	7,68,795 4,39,527	3,29,268 शास्ति 9,87,804 **13,17,072**	नि.प्रा. ने राज्य के बाहर लकड़ी के विक्रय के संबंध में आईटीआर के कम रिवर्सल करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
32	वाणिज्यिक कर अधिकारी दमोह मे0 वैष्णव गिफ्ट स्टोर टिन–23537603310 प्र.सं. 225/2016	2015–16	मोबाइल फोन, एसेसीरीज एण्ड रिचार्ज	43,64,590 42,11,872	1,52,718	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय के विरूद्ध अधिक आईटीआर मान्य किया	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि सभी क्रय राशि अंकेक्षित लेखे में दर्शाई गई थी और प्रावधान के अनुसार आईटीआर मान्य किया गया था। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं था क्योंकि निर्धारण आदेश में अंकेक्षित लेखे के विरूद्ध अधिक क्रय पर आईटीआर मान्य किया गया था।
33	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मे0 रचना इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23709019276 प्र.सं. सीएस00000001026749	2015–16	-	20,32,510 16,96,406	3,36,104	नि.प्रा. ने म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 (6)(छः) के प्रावधान और अधिसूचना क्रमांक ए–3–95–05–1–पाँच (28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के विरूद्ध प्लाण्ट एवं मशीनरी पर आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
34	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मे0 केशरीमल जैन चूनावाला एण्ड कंपनी टिन–23290501781 प्र.सं. सीएस00000001037534	2015–16	सीमेन्ट	8,38,747 6,93,673	1,45,074 शास्ति 4,35,222 **5,80,296**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय मूल्य ₹ 49,54,813 के विरूद्ध ₹ 59,91,053 पर अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
35	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 03 मे0 ओमप्रकाश हरकचंद मित्तल टिन–23050400742 प्र.सं. सीएस00000000961544	2015–16	-	7,68,578 6,74,344	94,234 शास्ति 2,82,702 **3,76,936**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय पर अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
36	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मे0 नामीनाथ इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन–23420302423 प्र.सं. सीएस00000000846900	2015–16	-	58,53,189 57,84,417	68,772 शास्ति 2,06,316 **2,75,088**	नि.प्रा. ने ऐसे व्यवसायी से क्रय के संबंध में अधिक आईटीआर मान्य किया जिसका पंजीयन निरस्त हो गया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

37	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मे0 श्रीराम मीणा ऑटोमोबाईल्स टिन–23955006001 प्र.सं. सीएस0000000880034	2015–16	पेट्रोल एण्ड डीजल	1,53,87,959 1,53,14,407	73,552	नि.प्रा. ने डीजल एवं पेट्रोल के कमी के मूल्य पर भी आईटीआर मान्य किया जो म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(1)(1एसी) के प्रावधान के विरूद्ध है	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
38	उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 02 मे0 नर्मदा शुगर प्रा. लि. टिन–23166402023 प्रकरण संख्या– सीएस0000000600525	2014–15	शक्कर	16,87,036 13,97,240	2,89,796	नि.प्रा. ने आईटीआर का रिवर्सल ₹ 14,58,779 के स्थान पर ₹ 11,68,983 गणना करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि कर मुक्त एवं कर योग्य उत्पादन के आधार पर आईटीआर का रिवर्सल किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि धारा 14(ए)(6)(दो) के स्पष्टीकरण परिच्छेद के प्रावधान के अनुसार आईटीआर का रिवर्सल कर मुक्त एवं कर योग्य उत्पादन के आधार पर की जायेगी।
39	उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर 02 मे0 शक्ति शुगर मील प्रा. लि. टिन–23576403786 प्रकरण संख्या– सीएस0000000600542	2014–15	शक्कर	6,14,453 4,79,394	1,35,059	नि.प्रा. ने आईटीआर का रिवर्सल ₹ 6,43,153 के स्थान पर ₹ 5,08,094 गणना करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने उत्तर में बताया कि कर मुक्त एवं कर योग्य उत्पादन के आधार पर आईटीआर का रिवर्सल किया गया है। नि.प्रा. का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि धारा 14(ए)(6)(दो) के अस्पष्टीकरण परिच्छेद के प्रावधान के अनुसार आईटीआर का रिवर्सल कर मुक्त एवं कर योग्य उत्पादन के आधार पर की जायेगी
40	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मे0 रेमन मोटर्स टिन–23051001463 प्रकरण संख्या– सीएस00000001099476	2016–17	जल शोधन संयंत्र	9,40,947 9,19,197	21,750	नि.प्रा. ने जल शोधन संयंत्र पर प्रावधान के विरूद्ध आईटीआर मान्य किया क्योंकि करदाता दो पहिया वाहनों का व्यवसायी था साथ ही यह भी पाया गया कि व्यवसायी द्वारा कर की राशि का पूँजीकरण किया गया था।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
41	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 10 मेसर्स विक्की इलेक्ट्रोनिक्स टिन–23561001522 प्रकरण संख्या– सीएस0000000970352	2015–16	विद्युत सामग्री	1,17,52,131 1,16,25,639	1,26,492	नि.प्रा. ने ऐसे क्रय बीजकों पर जिस पर विक्रेता व्यवसायी ने क्रेता व्यवसायी का टिन अंकित नहीं किया था अनियमित आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

42	वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर 01 मे0 गर्ग इन्टप्राईजेज टिन–23630100596 प्रकरण संख्या– सीएस00000001036877	2015–16	प्लास्टिक तगारी, गमला एण्ड पैकिंग मटेरियल	3,47,919 2,43,452	1,04,467	नि.प्रा. ने कर मुक्त आईटम के उत्पादन के संबंध में आईटीआर रिवर्सल की राशि ₹ 1,76,293 के स्थान पर ₹ 71,826 गणना करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
43	वाणिज्यिक कर अधिकारी अशोकनगर मेसर्स पंकज सेल्स टिन–23025004524 प्रकरण संख्या– सीएस0000000918621	2015–16	किराना आयटम	10,59,018 10,18,626	40,392 शास्ति 1,21,176 **1,61,568**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार पाँच प्रतिशत क्रय पर अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			योग	**33,25,68,414** **32,22,36,516**	**कर 1,03,31,898** **शास्ति 1,38,92,349** **योग 2,42,24,247**		

परिषिष्ट VII(ब)
डीम्ड निर्धारित प्रकरणों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत जमा मान्य किया जाना

1	वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच मेसर्स विजय खाद भंडार टिन–23803301163 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	खाद एण्ड मोबाइल्स	15,49,510 14,52,673	96,837	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार ₹ 14,52,673 के स्थान पर ₹ 15,49,510 आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी सागर मेसर्स बिलानी ट्रेडर्स टिन–23527504327 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2014–15	तेन्दूपत्ता	11,89,230 9,50,704	2,38,526 शास्ति 7,15,578 **9,54,104**	नि.प्रा. ने तेन्दूपत्ता के राज्य के बाहर विक्रय के संबंध में आईटीआर के कम रिवर्सल के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
3	वाणिज्यिक कर अधिकारी दमोह मेसर्स आनंद ट्रेडर्स टिन–23797601518 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	-	47,79,207 44,77,751	3,01,456	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय वापसी के संबंध में आईटीआर का रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
4	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर 02 मेसर्स गंगवाल फ्लोर फूड्स टिन–23840602213 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	केपिटल गूड्स	61,942 32,836	29,106	नि.प्रा. ने कर मुक्त आटा, बेसन और दलिया के उत्पादन के संबंध में पूँजीगत माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं करने के कारण अधिक आईटीआर स्वीकृत किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
5	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स महालक्ष्मी आरा मशीन्स	2016–17	लकड़ी एवं प्लाइवुड	8,62,336 8,43,646	18,690 शास्ति 56,070 **74,760**	नि.प्रा. ने अपंजीकृत व्यवसायी से क्रय के संबंध में अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

	टिन–23725000259 प्रकरण संख्या–डीम्ड						
6	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर गुना मेसर्स लक्की सेन्टर टिन–23355000317 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	पेट्रोल एवं डीजल	1,62,35,705 1,61,73,886	61,819 शास्ति 1,85,457 **2,47,276**	नि.प्रा. ने डीजल एवं पेट्रोल कमी के मूल्य पर भी आईटीआर मान्य किया जो म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(1)(1एसी) के प्रावधान के विरूद्ध है।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
7	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर अशोकनगर मेसर्स सुरेश किराना भंडार टिन–23645000982 प्रकरण संख्या–डीम्ड	2016–17	किराना सामग्री	30,61,834 30,17,859	43,975 शास्ति 1,31,925 **1,75,900**	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखे के अनुसार 14 प्रतिशत सकल क्रय पर अधिक आईटीआर मान्य किया।	नि.प्रा. ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।
			योग	**2,77,39,764** **2,69,49,355**	**कर 7,90,409** **शास्ति 10,89,030** **योग18,79,439**		
			महायोग (अ)+(ब)	**36,03,08,178** **34,91,85,871**	**कर 1,11,22,307** **शास्ति 1,49,81,379** **योग 2,61,03,686**		

परिशिष्ट VIII

(कंडिका 2.12 में संदर्भित)

आागतकर क्रेडिट का दावा एवं स्वीकृति

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कुल प्रकरण	चयनित प्रकरण	आपत्ति लिए गए प्रकरणों की संख्या	ट्रान–1 में दावा की गई राशि	वैट रिर्टन फार्म 10 में दावा की गई राशि	कुल अंतर
1	सहा. आयु. रीवा	171	140	04	67,70,299	25,52,805	42,17,494
2	वा क अ अशोकनगर	175	40	24	20,39,080	5,53,331	14,,85,,749
3	वा क अ ग्वालियर IV	365	135	07	10,21,030	2,19,520	8,01,510
4	वा क अ सतना II	152	80	03	1,41,59,175	1,39,58,288	2,00,887
5	वा क अ. इन्दौर VIII	107	69	02	1,36,900	0	1,36,900
6	सहा. आयु, भोपालVI	225	76	01	3,15,000	0	3,15,000
7	वा क अ नीमच	405	120	116	8,36,88,440	72,64,405	7,64,24,035
8	वा क अ सीहोर	430	50	03	3,88,940	2,33,104	1,55,836
9	वा क अ इन्दौर I	171	122	05	27,24,314	10,67,844	16,56,470
10	वा क अ बैतूल	159	60	54	59,13,820	4,32,453	54,81,367
11	वा क अ दमोह	160	40	07	31,62,330	4,11,510	27,50,820
12	वा क अ गुना	150	60	27	51,81,610	26,18,509	25,63,101
13	सहा. आयु. मुरैना	534	215	80	1,76,93,750	9,21,951	1,67,71,799
14	सहा. आयु. इन्दौर X	499	54	06	9,17,443	4,91,264	4,26,179
15	वा क अ सागर	266	105	30	59,69,830	44,93,395	14,76,435
योग		**3,969**	**1,366**	**369**	**15,00,81,961**	**3,52,18,379**	**11,48,63,582**

परिशिष्ट IX

(कंडिका 3.6 में संदर्भित)

संपत्तियों के न्यून मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कुल पंजीबद्ध दस्तावेजों की संख्या	जाँचे गये दस्तावेजों की संख्या	विचलन/पालन न किए गये प्रकरणों की संख्या	पंजीबद्ध मूल्य	आरोपणीय	आरोपित	अन्तर	कुल राशि
						मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क	
					मार्गदर्शिका अनुसार मूल्य	पंजीयन फीस	पंजीयन फीस	पंजीयन फीस	
1	उप पंजीयक जबलपुर 02	35,810	837	13	10,30,32,701	1,00,35,604	93,17,939	7,17,665	7,79,205
					11,07,25,598	8,85,805	8,24,265	61,540	
2	उप पंजीयक भोपाल 02	55,253	953	12	20,93,67,010	2,40,89,418	1,85,32,767	55,56,651	60,46,889
					27,08,39,230	21,66,715	16,76,477	4,90,238	
3	उप पंजीयक हरदा	7,553	621	3	1,23,39,856	13,40,840	10,75,347	2,65,493	2,90,297
					1,58,25,229	1,26,602	1,01,798	24,804	
4	उप पंजीयक गंजबासोदा (विदिशा)	7,732	567	2	78,21,200	7,17,974	6,27,012	90,962	1,00,020
					90,16,164	72,129	63,071	9,058	
5	उप पंजीयक बैतूल	16,790	593	1	98,59,200	54,191	49,296	4,895	8,566
					1,08,38,100	40,643	36,972	3,671	
6	उप पंजीयक धार	18,696	670	1	36,13,845	1,17,148	36,139	81,009	1,41,765
					1,17,14,783	87,861	27,105	60,756	
7	उप पंजीयक सिलवानी (रायसेन)	1,788	471	2	90,94,079	32,827	27,335	5,492	9,611
					1,42,35,508	24,621	20,502	4,119	
8	उप पंजीयक रधुराजनगर (सतना)	30,560	530	2	84,06,775	4,09,440	3,82,869	26,571	30,532
					89,02,030	71,216	67,255	3,961	

9	उप पंजीयक भिण्ड	16,818	528	1	45,37,440	4,05,756	2,94,935	1,10,821	1,24,461
					62,42,400	49,940	36,300	13,640	
10	उप पंजीयक इन्दौर 01	49,806	1,005	2	5,36,28,000	50,77,652	36,67,050	14,10,602	15,80,784
					7,49,00,700	5,99,206	4,29,024	1,70,182	
11	उप पंजीयक बदनावर (धार)	3,859	1,734	8	2,08,96,332	14,60,274	13,54,359	1,05,915	1,24,428
					3,21,01,055	1,85,685	1,67,172	18,513	
12	उप पंजीयक शिवपुरी	13,836	664	1	1,01,72,700	10,59,203	9,66,407	92,796	1,00,610
					1,11,49,500	89,196	81,382	7,814	
13	उप पंजीयक शाजापुर	11,672	560	4	2,73,91,910	29,57,146	21,48,984	8,08,162	8,81,031
					3,65,63,195	2,92,505	2,19,636	72,869	
14	उप पंजीयक सोहागपुर (शहडोल)	11,307	450	1	79,14,300	6,77,459	6,72,716	4,743	5,189
					79,70,100	63,761	63,315	446	
15	उप पंजीयक इन्दौर 04	31,667	793	6	10,76,29,160	2,05,94,584	93,20,338	1,12,74,246	1,22,87,517
					23,42,88,425	18,74,307	8,61,036	10,13,271	
16	उप पंजीयक राजनगर (छतरपुर)	4,699	378	3	67,54,673	4,44,990	3,65,727	79,263	94,913
					87,42,275	69,938	54,288	15,650	
17	उप पंजीयक निवाड़ी (टीकमगढ़)	5,470	466	1	24,07,300	2,95,656	2,04,621	91,035	99,602
					34,78,300	27,826	19,259	8,567	
18	उप पंजीयक इन्दौर 02	36,928	545	4	4,45,60,012	44,04,641	33,67,941	10,36,700	11,55,788
					5,96,26,060	4,77,009	3,57,921	1,19,088	
19	उप पंजीयक खण्डवा	18,354	490	1	41,41,800	4,51,035	2,69,217	1,81,818	2,04,195
					69,39,000	55,512	33,135	22,377	

20	उप पंजीयक ग्वालियर 01	24,994	684	6	6,00,55,355	66,13,467	51,40,748	14,72,719	16,15,692
					7,79,77,020	6,23,816	4,80,843	1,42,973	
21	उप पंजीयक सीधी	17,165	453	3	74,50,788	6,23,659	5,34,304	89,355	99,872
					87,65,481	70,124	59,607	10,517	
22	उप पंजीयक मुरैना	24,858	562	2	97,10,505	11,03,788	6,31,185	4,72,603	5,30,770
					1,69,81,368	1,35,851	77,684	58,167	
23	उप पंजीयक रतलाम	28,372	526	17	19,74,16,000	2,96,75,854	1,85,56,620	1,11,19,234	1,20,61,329
					31,53,40,529	25,22,723	15,80,628	9,42,095	
24	उप पंजीयक सागर	27,375	892	1	60,74,000	6,65,727	5,16,290	1,49,437	1,63,502
					78,32,084	62,657	48,592	14,065	
25	उप पंजीयक देवास	28,245	633	1	41,38,200	3,13,814	2,68,983	44,831	50,348
					48,27,900	38,623	33,106	5,517	
26	उप पंजीयक धरमपुरी (धार)	3,032	1552	5	2,73,67,239	10,62,861	5,40,301	5,22,560	5,76,821
					3,53,30,440	1,33,526	79,265	54,261	
27	उप पंजीयक नागदा	8,194	764	2	24,27,000	1,62,851	1,41,270	21,581	34,148
					65,71,910	31,550	18,983	12,567	
28	उप पंजीयक विजयराधवगढ़ (कटनी)	2,450	1428	7	62,30,210	5,37,953	4,64,181	73,772	82,571
					73,30,409	58,644	49,845	8,799	
29	उप पंजीयक सौसर (छिंदवाड़ा)	7,268	324	1	69,04,648	5,97,213	5,86,896	10,317	11,287
					70,26,040	56,208	55,238	970	
योग		**5,57,440**	**21,203**	**113**	**98,13,42,238**	**11,59,83,025**	**8,00,61,778**	**3,59,21,247**	**3,92,91,742**
					1,42,20,80,833	**1,09,94,199**	**76,23,704**	**33,70,495**	

परिशिष्ट X

(कंडिका 3.8 में संदर्भित)

भूमि विकास से संबंधित अनुबंधों पर पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	नमूना जाँच प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिए गये प्रकरणों की संख्या	संपूर्ण विकसित भूमि का पंजीबद्ध मूल्य	आरोपणीय पंजीयन फीस	आरोपित पंजीयन फीस	अंतर
1	उप पंजीयक भोपाल 02	1,086	220	17	83,15,70,179	66,52,561	33,26,285	33,26,276
2	उप पंजीयक जबलपुर 02	1,393	223	9	24,61,96,950	19,69,576	9,84,709	9,84,867
3	उप पंजीयक सोनकच्छ (देवास)	444	44	1	1,45,80,460	1,16,644	58,322	58,322
4	उप पंजीयक बदनावर (धार)	431	20	2	3,49,47,800	2,79,582	1,39,792	1,39,790
5	उप पंजीयक खण्डवा	390	50	1	2,42,28,800	1,93,830	96,916	96,914
6	उप पंजीयक इन्दौर 01	786	69	5	11,70,71,660	9,36,573	4,68,287	4,68,286
योग		**4,530**	**626**	**35**	**1,26,85,95,849**	**1,01,48,766**	**50,74,311**	**50,74,455**

परिशिष्ट XI

(कंडिका 3.9 में संदर्भित)

सॉफ्टवेयर में अपर्याप्त नियंत्रण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	नमूना जाँच प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिए प्रकरणों की संख्या	पंजीबद्ध मूल्य	आरोपणीय शुल्क	आरोपित शुल्क	अंतर
1	उप पंजीयक भोपाल 02	34,629	702	15	8,82,41,593	26,47,253	17,64,835	8,82,418
2	उप पंजीयक जबलपुर 02	28,750	477	4	47,44,284	1,42,332	94,888	47,444
3	उप पंजीयक गंजबासोदा	7,006	307	2	12,80,690	38,421	25,615	12,806
4	उप पंजीयक ओबेदुल्लागंज (रायसेन)	5,415	490	1	12,50,000	37,500	25,000	12,500
5	उप पंजीयक धार	14,085	300	2	12,27,340	36,821	24,547	12,274
6	उप पंजीयक इन्दौर 04	25,132	286	4	4,45,84,991	13,37,550	8,91,700	4,45,850
7	उप पंजीयक सागर 01	22,324	343	1	10,20,000	30,600	20,400	10,200
8	उप पंजीयक इन्दौर 02	27,983	455	5	1,61,12,179	4,83,365	3,22,244	1,61,121
9	उप पंजीयक ग्वालियर 01	20,285	374	1	16,50,000	49,500	33,000	16,500
10	उप पंजीयक इन्दौर 01	34,113	589	2	46,04,000	1,38,120	92,080	46,040
11	उप पंजीयक रतलाम	20,982	272	7	38,23,124	1,14,694	76,462	38,232
योग		**2,40,704**	**4,595**	**44**	**16,85,38,201**	**50,56,156**	**33,70,771**	**16,85,385**

परिशिष्ट XII

(कंडिका 3.10 में संदर्भित)

पट्टा अनुबंधों के तहत देय या परिदेय रॉयल्टी की सम्पूर्ण राशि पर शुल्क/फीस आरोपित नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कुल पंजीबद्ध प्रकरण	कुल जाँचे गये प्रकरण	आपत्ति लिए गए प्राकरण	पट्टेदार का नाम	लीज की अवधि, ग्राम का नाम व सर्वे क्रमांक	खनिज का नाम, कुल मात्रा	खनन योजना अनुसार कुल रायल्टी की राशि	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस				आपत्ति की प्रकृति
									आरोपणीय (0.75 प्रतिशत) (75 प्रतिशत)	आरोपित	कम आरोपित	वसूली योग्य राशि	
1	जिला खनिज अधिकारी खरगोन	158	56	1	राजेश शर्मा	5.5.2016 से 04.5.2026 ग्राम–राजपुरा, खसरा क्र0 76/1	मुरम 88,200 घनमीटर	44,10,000 (8,820x10 x50)	33,075 24,807	6,615 4,962	26,460 19,845	46,305	पट्टा अवधि में देय रॉयल्टी के स्थान पर पट्टेदार को आवंटित भूमि के मूल्य पर स्टांप शुल्क का आरोपण।
2	जिला खनिज अधिकारी छतरपुर	470	111	1	मे.खजुराहो इफ्रांस्ट्रक्चर प्रा.लि.	4.10.2018 से 3.10.2028 ग्राम–किशनपुरा ख0 क्र0.546/1	गिट्टी 17,00,000 घनमीटर	17,00,00,000 (1,70,000 x10 x100)	12,75,000 9,56,250	6,37,500 4,78,125	6,37,500 4,78,125	11,15,625	अनुमोदित खनन योजना में दर्शायी संपूर्ण पट्टा अवधि के लिए देय रॉयल्टी की राशि को विचार मे नहीं लिया गया।
3	जिला खनिज अधिकारी सागर	210	64	2	प्रदीप सिंह ठाकुर	16.5.16 से 15.5.26 ग्राम–तलचिरी, खसरा 365/1	ब्लेक बेसाल्ट स्टोन (क्रशर स्टोन), 1,14,000 घनमीटर	1,14,00,000 (11,400 x 10x100)	85,500 64,125	17,100 12,825	68,400 51,300	1,19,700	संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रॉयल्टी की मात्रा अनुसार राशि को विचार में नहीं लिया गया।
					मे0 तिवारी ट्रेर्डस	16.12.16 से 15.12.36 ग्राम–अडवान, सर्वे क्र. 470/1,470/2	ग्रेनाइट 14,000 घनमीटर	1,40,00,000 (700 x 20x1,000)	1,05,000 78,750	75,000 56,250	30,000 22,500	52,500	अनुमोदित खनन योजना में दर्शाई मात्रा अनुसार संपूर्ण पट्टा की अवधि मे देय रॉयल्टी राशि को विचार में नहीं लिया गया।
4	जिला खनिज अधिकारी उज्जैन	223	40	1	श्रीमती आशा मेहता	20.10.15 से 19.10.25,(10 वर्ष) ग्राम–उंदासा, सर्वे क्र0 820/2,3,8, 818/1, 819/1/2	गिट्टी 1,41,930 घनमीटर	1,41,93,000 (14,193 x 100x10)	1,06,448 79,836	10,645 7,984	95,803 71,852	1,67,655	अनुमोदित खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि में देय रॉयल्टी के स्थान पर औसत रॉयल्टी राशि पर उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया।

5	जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर	173	39	2	श्रीमती लक्ष्मी देवी खेडिया	26.11.15 से 25.11.25 (10 वर्ष), ग्राम– पटना, खसरा क्र. 8/1	गिट्टी 36,470 घनमीटर	36,47,000 (3,647X10 X 100)	27,353	2,684	24,669	42,938	अनुमोदित खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि में देय रॉयल्टी के स्थान पर औसत रॉयल्टी राशि पर उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया।
									20,514	2,245	18,269		
					मे. आनंद मिनरल्स	25.11.16 से 24.11.26 (10 वर्ष), ग्राम– चोलना, खसरा क्र. 1,851	गिट्टी 3,37,800 घनमीटर	3,37,80,000 (33,780X100 X10)	2,53,350	58,575	1,94,775	3,40,856	अनुमोदित खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि में देय रॉयल्टी के स्थान पर औसत रॉयल्टी राशि पर उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया।
									1,90,013	43,932	1,46,081		
6	जिला खनिज अधिकारी भोपाल	209	41	2	परमजीत सिंह कालरा	22.3.2018 से 21.3.2028, ग्राम–चॉदबड कादिम, खसरा क्रं.345	गिट्टी /बोल्डर 22,50,000 घनमीटर	2,50,00,000 (25,000X10 X100)	1,87,500	1,79,790	7,710	13,492	अनुमोदित खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रॉयल्टी ₹ 2,50,00,000 (25,000X100X10) के स्थान पर उप पंजीयक द्वारा ₹ 2,39,72,000 पर मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया गया। आशीष शर्मा के प्रकरण मे अनुमोदित खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रॉयल्टी ₹ 1,98,30,000 (19,830X100X10) के स्थान पर उप पंजीयक द्वारा ₹ 1,78,47,000 पर मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया गया।
									1,40,625	1,34,843	5,782		
					आशीष शर्मा	27.2.2016 से 26.2.2026, ग्राम– बडीखेड़ी खसरा क्रं.117, 2 हेक्टेयर	गिट्टी/बोल्डर 1,98,300 घनमीटर	1,98,30,000, (19,830X10 X100)	1,48,725	1,33,853	14,872	26,026	
									1,11,544	1,00,390	11,154		
7	जिला खनिज अधिकारी रीवा	194	49	2	परिचय जौहरी	9.12.15 से 8.12.25 ग्राम–हर्रइ, खसरा क्रं. 600	गिट्टी/पत्थर 3,44,000 घनमीटर	3,44,00,000 (34,400X10 X100)	2,58,000	81,448	1,76,552	3,08,966	दोनो प्रकरणों मे पट्टा अवधि मे देय संपूर्ण रायल्टी राशि के स्थान पर उप पंजीयक द्वारा त्रुटिपूर्ण रॉयल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क लगाया गया।
									1,93,500	61,086	1,32,414		
					श्रीमती श्यामवती तिवारी	17.11.15 से 16.11.25 ग्राम–मरहा	बेसाल्ट पत्थर 1,68,150 घनमीटर	1,68,15,000 (16,815X10 X100)	1,26,113	33,630	92,483	1,61,844	
									94,584	25,223	69,361		
8	जिला खनिज अधिकारी सीधी	91	34	4	विजय कुमार शर्मा	11.01.17 से 10.01.27 ग्राम–पैपखरा, खसरा क्र0 103,106, 2.60 हेक्टेयर	गिट्टी 2,35,200 घनमीटर	2,35,20,000 (23,520X100X 10)	1,76,400	82,575	93,825	1,64,193	रॉयल्टी का मूल्यांकन पट्टे की संपूर्ण अवधि मे अनुमोदित खनन योजना में दर्शाई देय मात्रा के अनुसार नहीं किया गया।
									1,32,300	61,932	70,368		

					मे. रमेश स्टोन क्रशर (नागेन्द्र कुमार तिवारी)	24.2.16 से 23.2.26 ग्राम–धुम्माडोल, खसरा क्र0 175, 2.20 हेक्टेयर	बेसाल्ट 3,07,538 घनमीटर	3,07,53,800,(30,753.8 X100X10)	2,30,654 1,72,990	8,063 6,048	2,22,591 1,66,942	3,89,533	अनुमादित खनन योजना मे 30,753 घनमीटर रायल्टी की मात्रा प्रति वर्ष दी गई है, इसलिए पट्टे की संपूर्ण अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाना था।
					राज बहादुर सिंह	7.10.16 से 31.3.21 ग्राम– दादरी कलां, खसरा क्र. 66, 3.14 हेक्टेयर	पत्थर 1,02,900 घनमीटर	1,02,90,000 (20,580X100X5)	77,175 57,881 1,33,594	42,117 31,588 13,328	35,058 26,293 1,20,266	61,351	अनुमोदित खनन योजना मे 20,580 घनमीटर रायल्टी की मात्रा प्रति वर्ष दी गई है, इसलिए पट्टे की संपूर्ण अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाना था।
					अल्ट्राटेक सीमेंट	15.1.27 से 14.1.57 (30 वर्ष) ग्राम–मझगंवा, 362.68 हेक्टेयर	चूना पत्थर 8,10,00,000 टन	7,29,00,00,000 (27,00,000X90X30)	5,46,75,000 4,10,06,250	2,74,90,800 2,06,19,100	2,71,84,200 2,03,87,150	4,75,71,350	खनन योजना 2016–17 से 2018–19 में उत्पादन क्षमता बढाकर 12,50,000 टन प्रति वर्ष से 27,00,000 टन प्रति वर्ष की गई थी, इसिलिए, संपूर्ण विस्तारित पट्टा अवधि के लिए संशोधित खनन योजना मे दर्शायी मात्रा अनुसार देय रॉयल्टी राशि का निर्धारण नहीं किया गया।
9	जिला खनिज अधिकारी इंदौर	202	25	2	सोम प्रोजेक्ट प्रा. लि.	30.1.18 से 29.1.28, ग्राम–रंगवासा, खसरा क्र. 131/1/1/2, 4 हेक्टेयर	स्टोन क्रशर/ गिट्टी 5,00,000 घमी.	5,00,00,000 (50,000X100X10)	3,75,000 2,81,250	1,87,508 1,40,631	1,87,492 1,40,619	3,28,111	उप पंजीयक द्वारा दस वर्ष की मात्रा के स्थान पर पाँच साल की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी राशि ली गई। स्वीकृत माईनिंग प्लान में 50,000 घनमीटर दिया गया है।
					दिनेश पाटीदार	23.1.17 से 22.1.27 ग्राम–गवली पलासिया, खसरा क्र. 1300,1302/11 301/3 एवं 1299, 1.793 हेक्टेयर	मेटल/ गिट्टी 4,00,000 घमी.	4,00,00,000 (40,000X100X10)	3,00,000 2,25,000	1,12,508 84,381	1,87,492 1,40,619	3.28.111	खनन योजना में दर्शाई मात्रा अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रायल्टी नहीं ली गई। समान मात्रा डिया की अनुमति में भी थी।

10	जिला खनिज अधिकारी दमोह	43	43	8	दिलमीत सिंह खंडूजा	23.05.17 से 22.05.22 ग्राम–जमुनिया, 1.00 हेक्टेयर	पत्थर 44,530 घमी.	44,53,000 (8,906X5X 100)	33,398 25,048	1,508 1,131	31,890 23,917	55,807	डिया तथा सीटीओ की अनुमति में स्टोन की मात्रा 8,550 धन मीटर दी गई थी जबकि अनुमोदित खनन योजना में क्रशर स्टोन की मात्रा 8,906 घन मीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है और उप पंजीयक ने शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 2,01,000 पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की है जबकि नियम 38 (ब) के अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि में देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जानी थी।
					श्री दुलीचंद / बाबूलाल	17.08.18 से 16. 05.28 ग्राम–गुगरा कलां, 2.05 हेक्टेयर	पत्थर 1,31,850 घमी.	1,31,85,000 (13,185X10X 100)	98,888 74,166	3,008 2,256	95,880 71,910	1,67,790	डिया की अनुमति मे स्टोन की मात्रा 20,000 घन मीटर दी है जबकि अनुमोदित खनन योजना मे 13,185 (65,924 / 5) घन मीटर प्रति वर्ष उल्लेखित है, तद्नुसार खनन योजना मे दर्शाई मात्रा के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा राशि आरोपित की गयी है, उप पंजीयक ने शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 4,01,000 पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की है जबकि नियम 38 (ब) अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय थी।
					श्री जगदीश टोडरमल	26.09.17 से 25. 09.27 ग्राम– खरेडी, 1.71 हेक्टेयर	पत्थर, 1,22,550 घमी.	1,22,55,000 (12,255X10X 100)	91,913 68,935	6,008 4,506	85,905 64,429	1,50,334	अनुमोदित खनन योजना मे क्रशर स्टोन की मात्रा 12,255 घन मीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है और उप पंजीयक ने शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 8,01,000 पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की है जबकि नियम 38 (ब) के अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक

													शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जानी थी।
					पी.वी.एस. इन्फ्रा स्ट्रक्चर	22.03.18 से 21.03.28 ग्राम–सेहजपुर, 6 हेक्टेयर	पत्थर 6,30,000 घमी.	6,30,00,000 (63,000X10X100)	4,72,500	4,50,008	22,492	39,361	अनुमोदित खनन योजना मे स्टोन की मात्रा 63,000 घन मीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है और उप पंजीयक ने शासन द्वारा निर्धादित बाजार मूल्य ₹ 6,00,01,000 पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की है जबकि नियम 38 (ब) अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जानी थी।
									3,54,375	3,37,506	16,869		
					धनंजय जैन पुत्र नन्हेलाल जैन	23.01.2017 से 22.01.2022 ग्राम– रिघई, 1 हेक्टेयर	फ्लेग स्टोन 15,000 घमी.	45,00,000 (3,000X5X300)	33,750	1,500	32,250	56,438	अनुमादित खनन योजना मे फ्लेग स्टोन की मात्रा 3,000 घनमीटर प्रति वर्ष दी गई है, इसलिए पट्टे की संपूर्ण अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाना था।
									25,313	1,125	24,188		
					जगदीश प्रसाद पटेल	26.09.17 से 25.09.27 ग्राम– खरेरी, 2 हेक्टेयर	पत्थर 1,50,000 घमी.	1,50,00,000 (15,000X10X100)	1,12,500	6,008	1,06,492	1,86,361	अनुमोदित खनन योजना मे क्रशर स्टोन की मात्रा 15,000 घन मीटर प्रति वर्ष दर्शायी गई है और उप पंजीयक ने शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 8,01,000 पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की है जबकि नियम 38 (ब) अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जानी थी।
									84,375	4,506	79,869		
					इन्द्रपाल पटेल	17.05.18 से 15.05.28 ग्राम–पडरी, 2 हेक्टेयर	पत्थर 1,64,590 घमी.	1,64,59,000 (16,459X10X100)	1,23,443	6,008	1,17,435	2,05,511	अनुमोदित खनन योजना एवं सिया अनुमति मे क्रशर स्टोन की मात्रा 16,459 धन मीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है और उप पंजीयक ने शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य रुपये 8,01,000 पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की है जबकि नियम 38 (ब) अनुसार
									92,582	4,506	88,076		

												संपूर्ण पट्टा अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जानी थी।
					आकाश कुमार भट्ट	10.07.17 से 09.07.27 ग्राम–पडरी, 1.00 हेक्टेयर	फ्लेग स्टोन 22,150 घमी.	66,45,000 (2,215X10X 300)	49,838	27,486	22,352	39,115	अनुमादित खनन योजना, सी.टी.ओ. एवं सिया अनुमति मे 2,215 घनमीटर रायल्टी की मात्रा प्रति वर्ष दी गई है, इसलिए पट्टे की संपूर्ण अवधि मे देय रायल्टी राशि पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाना था।
									37,378	20,615	16,763		
योग		**1,973**	**502**	**25**					**5,94,56,523**	**2,96,61,945**	**2,97,94,578**	**5,21,39,273**	
									4,45,92,391	**2,22,47,696**	**2,23,44,695**		

परिशिष्ट XIII

(कंडिका 4.4 में संदर्भित)

व्यपवर्तन भाटक, प्रीमियम और पंचायत उपकर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित			विभाग द्वारा आरोपित			अंतर			योग (10+11+12)
			व्यपवर्तन भाटक	प्रीमियम	व्यपवर्तन भाटक पर उपकर	भू–भाटक	प्रीमियम	व्यपवर्तन भाटक पर उपकर	व्यपवर्तन भाटक (7–4)	प्रीमियम (8–5)	व्यपवर्तन भाटक पर उपकर (9–6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	छिंदवाड़ा	2	13,192	65,960	0	9,222	46,114	0	3,970	19,846	0	23,816
2	सागर	16	4,00,213	20,01,064	74,956	2,66,774	13,33,874	49,317	1,33,439	6,67,190	25,639	8,26,268
3	खरगोन	5	97,721	4,88,603	14,317	61,788	3,08,941	10,745	35,933	1,79,662	3,572	2,19,167
4	रीवा	10	25,649	1,28,243	0	8,897	44,488	0	16,752	83,755	0	1,00,507
5	सतना	28	6,12,830	30,64,151	1,34,699	4,56,097	22,85,304	1,21,567	1,56,733	7,78,847	13,132	9,48,712
6	कटनी	20	1,99,911	9,99,557	27,191	1,11,360	5,63,853	16,165	88,551	4,35,704	11,026	5,35,281
7	रतलाम	33	3,83,865	19,95,426	67,807	2,44,387	11,75,127	33,513	1,39,478	8,20,299	34,294	9,94,071
8	मुरैना	7	2,50,174	12,52,242	0	1,06,998	5,32,167	0	1,43,176	7,20,075	0	8,63,251
9	अलीराजपुर	6	35,342	1,76,709	12,335	10,071	50,358	0	25,271	1,26,351	12,335	1,63,957
10	इंदौर	36	34,62,957	1,73,14,785	0	25,84,725	1,29,05,685	0	8,78,232	44,09,100	0	52,87,332
11	ग्वालियर	51	39,81,308	1,99,06,540	0	33,15,674	1,65,78,359	0	6,65,634	33,28,181	0	39,93,815
12	गुना	3	70,503	3,60,940	10,164	59,116	2,90,004	8,604	11,387	70,936	1,560	83,883
13	मंदसौर	54	9,33,090	49,63,850	78,394	6,57,878	31,66,697	1,15,651	2,75,212	17,97,153	(–)37,257	20,35,108
14	छतरपुर	1	38,851	1,94,256	19,426	18,516	92,580	9,258	20,335	1,01,676	10,168	1,32,179
15	आगर मालवा	50	2,85,206	14,26,028	13,756	88,746	4,28,623	6,268	1,96,460	9,97,405	7,488	12,01,353

16	सीहोर	18	2,07,508	10,37,540	44,450	1,37,632	7,10,330	28,650	69,876	3,27,210	15,800	4,12,886
17	उज्जैन	11	14,17,552	70,87,060	1,53,259	7,16,220	35,79,903	62,446	7,01,332	35,07,157	90,813	42,99,302
18	भोपाल	2	1,01,420	10,14,200	50,710	18,017	54,049	9,009	83,403	9,60,151	41,701	10,85,255
19	शहडोल	67	3,69,117	18,45,583	14,875	1,07,066	2,37,037	0	2,62,051	16,08,546	14,875	18,85,472
20	उमरिया	8	36,622	1,83,111	9,202	12,541	57,378	4,162	24,081	1,25,733	5,040	1,54,854
21	दमोह	9	1,17,085	6,45,051	1,500	34,777	1,73,925	420	82,308	4,71,126	1,080	5,54,514
22	मंडला	3	10,116	50,581	2,105	8,915	44,110	0	1,201	6,471	2,105	9,777
23	देवास	2	92,100	4,60,500	46,050	50,101	2,50,506	25,051	41,999	2,09,994	20,999	2,72,992
24	विदिशा	2	31,775	1,58,874	4,325	18,805	94,023	840	12,970	64,851	3,485	81,306
25	श्योपुर	75	10,92,319	58,71,728	1,63,203	6,02,110	34,23,617	12,467	4,90,209	24,48,111	1,50,736	30,89,056
26	पन्ना	8	1,34,015	4,55,878	56,692	1,13,645	3,77,002	3,125	20,370	78,876	53,567	1,52,813
योग		**527**	**1,44,00,441**	**7,31,48,460**	**9,99,416**	**98,20,078**	**4,88,04,054**	**5,17,258**	**45,80,363**	**2,43,44,406**	**4,82,158**	**2,94,06,927**

परिशिष्ट XIV

(कंडिका 4.5 में संदर्भित)

व्यपवर्तित प्रकरणों में भू–राजस्व की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	नाम	प्रकरण संख्या	आदेश दिनांक	बकाया राशि				
					व्यपवर्तन भाटक	प्रीमियम	उपकर	अर्थदण्ड	योग
1	गुना	दिनेश व्यास	0328 / अ–2 / 2016–17	19.09.2017	39,120	1,95,600	0	0	2,34,720
2		श्रीमती गिरिराज भार्गव	0440 / अ–2 / 2016–17	19.02.2018	4,476	22,382	2,238	22,382	51,478
3		तरुण बाधवा	145 / अ–2 / 2018–19	26.02.2019	8,62,940	0	0	0	8,62,940
4		श्रीमती विदुशी बाधवा	144 / अ–2 / 2018–19	26.02.2019	5,29,143	41,850	0	2,000	5,72,993
5	सतना	राज किशोर त्रिपाठी	201 / 2014–15	12.02.2015	2,940	14,700	0	0	17,640
6		श्रीमती रानी बेटी	214 / 2014–15	18.02.2015	700	3,485	0	0	4,185
7		श्रीमती सपना सिंह	259 / 2014–15	17.03.2015	320	1,590	0	0	1,910
8		श्रीमती रन्नुदेवी पांडे	687 / 2014–15	24.09.2015	4,958	24,790	0	0	29,748
9		बालेन्द्र सिंह	372 / 2014–15	08.05.2015	3,313	16,565	1,657	0	21,535
10		मसर्स लार्ड कृष्णा बिल्डर्स	486 / 2014–15	06.07.2015	2,000	10,000	0	0	12,000
11		महेंद्र कुमार मिश्रा	102 / 2014–15	19.12.2014	9,004	45,020	4,502	0	58,526
12		जितिन कुमार राय	391 / 2014–15	-	1,993	4,968	497	0	7,458
13		हेम लालवानी, चंद्रभान लालवानी	189 / 2014–15	06.02.2015	1,542	7,710	771	0	10,023
14		आशुतोष जयंत	251 / 2015–16	28.01.2016	2,395	11,970	0	0	14,365
15		श्रीमती संतोष देवी गोयल	11 / 2015–16	28.10.2015	1,090	5,450	0	0	6,540
16		सुरेश कुमार गोयल	12 / 2015–16	28.10.2015	1,421	7,102	0	0	8,523
17		श्रीमती रमा गोयल	13 / 2015–16	28.10.2015	1,484	7,420	0	0	8,904
18		पुष्पराज सिंह	50 / 2015–16	19.11.2016	365	1,810	0	0	2,175
19		श्रीमती स्नेहलता गुप्ता	56 / 2015–16	19.11.2015	410	2,045	0	0	2,455
20		जगदीश प्रसाद कुशवाहा	10 / ध2015–16	30.11.2015	265	1,320	0	0	1,585
21		गोपी चंद बंगा	196 / 2015–16	28.01.2016	2,165	10,805	0	0	12,970
22		सुनील कुमार	817 / 2016–17	20.09.2017	910	4,540	0	0	5,450
23		राजवंत जायसवाल	846 / 2016–17	23.01.2018	3,795	18,975	0	0	22,770

24		लेफ्टिनेंट शांति देवी प्रा न्या ट्रस्ट	580 / 2017–18	24.06.2017	3,070	15,535	0	0	18,605
25		मनोज कुमार	641 / 2017–18	24.07.2017	4,000	20,000	0	0	24,000
26		सुशील कुमार	661 / 2017–18	27.07.2017	755	3,760	0	0	4,515
27		सुशील कुमार	660 / 2017–18	27.07.2017	845	4,210	0	0	5,055
28		नारायण सिंह	477 / 2016–17	25.05.2017	1,765	2,485	0	0	4,250
29		श्रीमती आशा	632 / 2016–17	24.07.2017	1,220	6,100	0	0	7,320
30	विदिशा	किरण गुप्ता	194 / 2015–16	22.08.2016	1,934	9,672	0	0	11,606
31		सौदान सिंह	198 / 2015–16	26.08.2016	896	4,480	0	0	5,376
32		श्रीमती किरण सूर्यवंशी	199 / 2015–16	26.08.2016	896	4,480	0	0	5,376
33		हरि सिंह यादव	201 / 2015–16	22.08.2016	3,458	17,287	1,729	0	22,474
34		ज्योति गोयल	203 / 2015–16	12.09.2016	60,601	3,03,006	0	0	3,63,607
35		अशोक तिवारी	204 / 2015–16	12.09.2016	913	4,563	0	0	5,476
36		सुभाष चंद्र जैन	207 / 2015–16	15.09.2016	6,237	31,185	0	0	37,422
37		सुनीता जैन	208 / 2015–16	15.09.2016	2,352	11,760	0	0	14,112
38		इंदु दीक्षित	209 / 2015–16	15.09.2016	3,906	19,530	0	0	23,436
39		तरुण खत्री	212 / 2015–16	16.09.2016	4,690	23,450	0	0	28,140
40		गोरे लाल	213 / 2015–16	16.09.2016	896	4,480	0	0	5,376
41		लक्ष्मी नारायण	214 / 2015–16	16.09.2016	2,198	10,988	0	0	13,186
42		अमित	220 / 2015–16	22.09.2016	15,102	75,512	7,551	0	98,165
43		पर्वत सिंह	05 / 2016–17	05.10.2016	1,254	6,272	0	12,544	20,070
44		बाबू लाल	06 / 2016–17	10.10.2016	12,661	63,307	0	0	75,968
45		विद्या पचौरी	14 / 2016–17	05.11.2016	1,613	8,064	0	0	9,677
46		कमला बाई राठौर	23 / 2016–17	23.12.2016	1,299	6,496	0	0	7,795
47		श्रीमती विदेश बाई	24 / 2016–17	23.12.2016	1,299	6,496	0	0	7,795
48		विष्णु प्रसाद लोधी	42 / 2016–17	16.02.2017	13,349	51,774	0	1,03,488	1,68,611
49		सावित्री बाई कुशवाहा	48 / 2016–17	17.02.2017	354	1,768	0	0	2,122
50		गुड्डी बाई	50 / 2016–17	17.02.2017	2,464	12,320	0	0	14,784
51		नेतराम राठौर	71 / 2016–17	23.02.2017	2,262	11,312	0	0	13,574
52		पर्वत सिंह	77 / 2016–17	27.03.2017	3,492	17,459	1,746	0	22,697

53		राज बाई मैना	78 / 2016–17	27.03.2017	1,680	8,399	840	0	10,919
54		मेहताब सिंह	88 / 2016–17	06.04.2017	1,040	5,200	0	0	6,240
55		मथुरा प्रसाद कुशवाहा	121 / 2016–17	14.06.2017	910	4,550	0	0	5,460
56		शैलेन्द्र सिंह दांगी	122 / 2016–17	14.06.2017	2,180	10,900	0	0	13,080
57		सुनंदा सक्सेना	155 / 2016–17	14.08.2017	1,728	8,640	0	0	10,368
58		फूल बाई	156 / 2016–17	14.08.2017	1,095	5,472	0	0	6,567
59		दुर्गेश दास	267 / 2016–17	24.04.2018	203	1,008	0	0	1,211
60		गजेन्द्र	268 / 2016–17	23.01.2018	138	684	0	912	1,734
61		दलीप सिंह	277 / 2016–17	23.10.2017	69	348	0	464	881
62		भरत सिंह	91 / 2017–18	05.03.2018	34	168	17	0	219
63		सूरज सिंह	92 / 2017–18	05.03.2018	29	141	15	0	185
64		गोपेश	94 / 2017–18	13.12.2017	270	448	135	896	1,749
65		करन सिंह	95 / 2017–18	13.12.2017	595	596	300	1,192	2,683
66		मुन्नी बाई	96 / 2017–18	13.12.2017	360	224	184	448	1,216
67		करन सिंह	97 / 2017–18	13.12.2017	890	892	445	1,784	4,011
68		लखन सिंह	98 / 2017–18	13.12.2017	592	595	300	1,192	2,682
69		राम बाबू	126 / 2017–18	28.02.2018	80	396	0	528	1,004
70		मनफूल	128 / 2017–18	28.02.2018	150	246	0	328	724
71		दीपेश	168 / 2017–18	30.01.2018	2,193	10,967	1,097	0	14,257
72		अजय	179 / 2017–18	10.01.2019	1,55,232	1,29,360	0	1,29,360	4,13,952
73		माछल सिंह गुर्जर	180 / 2017–18	20.03.2018	562	2,808	0	5,616	8,986
74		राजेश पाराशर	181 / 2017–18	19.09.2018	489	2,444	0	4,888	7,821
75		मोहन रघुवंशी	182 / 2017–18	20.03.2019	520	2,600	0	5,200	8,320
76		शांति पटवा	183 / 2017–18	20.03.2019	582	2,912	0	5,824	9,318
77		राकेश रघुवंशी	184 / 2017–18	19.09.2018	780	3,900	0	7,800	12,480
78		राघवेन्द्र तिवारी	185 / 2017–18	19.09.2018	1,050	5,252	0	10,504	16,806
79		मोहन शर्मा	188 / 2017–18	20.03.2018	582	2,912	0	5,824	9,318
80		राम सिंह दांगी	189 / 2017–18	20.03.2018	489	2,444	0	4,888	7,821
81		बाबू लाल तेली	228 / 2017–18	10.04.2018	23,370	38,950	11,685	77,900	1,51,905

82		हिम्मत सिंह मीणा	255 / 2017–18	12.07.2018	2,260	11,300	1,130	0	14,690
83		ओम प्रकाश मालवीय	306 / 2017–18	16.07.2018	2,029	10,145	0	5,072	17,246
84		गुलाब पुत्र जमुना प्रसाद	177 / अ–2 / 2016–17	27.07.2017	10,153	50,763	5,077	2,53,825	3,19,818
85		बाबू लाल / प्रीतम लाल और अन्य	188 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	29,920	1,49,600	0	7,48,000	9,27,520
86		रामदुलारी पत्नी भगवान दास	174 / अ–2 / 2016–17	27.10.2017	10,582	52,910	5,291	2,64,550	3,33,333
87		गुलाब पुत्र जमुना प्रसाद	178 / अ–2 / 2016–17	27.10.2017	4,004	20,020	2,002	1,00,100	1,26,126
88		उमेश कुमार पुत्र चुन्नी लाल जैन	175 / अ–2 / 2016–17	27.10.2017	11,440	57,200	5,720	2,86,000	3,60,360
89		कैलाश पुत्र शंकर लाल	207 / अ–2 / 2016–17	23.01.2018	16,779	83,895	0	4,19,475	5,20,149
90		नर्मदा प्रसाद, तुलसी राम	211 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	20,083	1,00,415	0	5,02,075	6,22,573
91		रतन लाल पुत्र दशरथ लाल	181 / अ–2 / 2016–17	22.01.2017	18,161	90,805	54,484	9,08,050	10,71,500
92		धंधु पुत्र देवी	244 / अ–2 / 2016–17	28.10.2017	27,360	1,36,800	13,680	13,68,000	15,45,840
93		राजरानी पत्नी मन्नू लाल	202 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	28,478	57,600	0	2,88,000	3,57,120
94		जय कुमार पुत्र जगदीश कुमार	173 / अ–2 / 2016–17	22.01.2018	7,293	36,465	21,880	3,64,650	4,30,288
95		नारायण पुत्र माखन लाल	204 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	12,888	64,440	0	3,22,200	3,99,528
96		बलराम पुत्र दुर्गा प्रसाद	242 / अ–2 / 2016–17	20.12.2017	8,056	40,280	4,028	4,02,800	4,55,164
97	सागर	राम प्रसाद पुत्र खिलन	240 / अ–2 / 2016–17	28.10.2017	8,512	42,560	4,256	4,25,600	4,80,928
98		भोला राम पुत्र गणेश	194 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	22,480	1,12,400	0	5,62,000	6,96,880
99		जयश्री पत्नी नवीनभाई	243 / अ–2 / 2016–17	27.10.2017	9,120	45,600	4,560	4,56,000	5,15,280
100		राज कुमार पुत्र फूल चंद	176 / अ–2 / 2016–17	27.10.2017	7,865	39,325	3,933	1,96,625	2,47,748
101		काला बाई पत्नी धनी राम	230 / अ–2 / 2016–17	20.11.2017	36,816	1,84,080	0	9,20,400	11,41,296
102		विजय सिंह पुत्र छेदी सिंह	235 / अ–2 / 2016–17	20.12.2017	6,440	32,200	3,220	3,22,000	3,63,860
103		पूरन पुत्र देवी	187 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	27,920	1,39,600	0	6,98,000	8,65,520
104		संतोष कुमार पुत्र कंछेदी लाल	231 / अ–2 / 2016–17	20.11.2017	21,060	1,05,300	0	5,26,500	6,52,860
105		रुक्मण बाई पत्नी हरिशंकर	196 / अ–2 / 2016–17	20.11.2017	15,390	76,950	0	3,84,750	4,77,090
106		हुती लाल पुत्र गोवर्धन	186 / अ–2 / 2016–17	23.07.2018	3,240	16,200	0	3,24,000	3,43,440
107		ओंकार पुत्र करोरी लाल	208 / अ–2 / 2016–17	29.09.2017	16,680	83,400	0	1,47,000	2,47,080
108		विनोद कुमार	197 / अ–2 / 2016–17	22.01.2017	15,960	79,800	0	3,99,000	4,94,760
109		इंदिरा पत्नी रमेश कुमार	203 / अ–2 / 2016–17	23.01.2018	10,896	54,480	0	2,72,400	3,37,776
110		आनंद शंकर पुत्र जगत नारायण	172 / अ–2 / 2016–17	22.01.2018	6,721	33,605	20,164	3,36,050	3,96,540

111		लक्ष्मी शंकर पुत्र दीनानाथ	238/अ–2/2016–17	18.12.2017	14,400	72,000	0	3,60,000	4,46,400
112		संदीप पुत्र नारायण	95/अ–2/2016–17	27.04.2018	7,600	38,000	0	95,000	1,40,600
113		राम सिंह पुत्र दादू प्रसाद	485/अ–2/2016–17	10.07.2018	384	1,920	1,152	19,200	22,656
योग					**22,54,437**	**35,91,362**	**1,86,286**	**1,30,83,284**	**1,91,15,369**

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली	
नि.अ.	निर्धारण अधिकारी
स.ले.अ.	सहायक लेखा अधिकारी
स.आ.	सहायक आयुक्त
स.आ.ले.प.अ.	सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
स.अ.भू.रा.	सहायक अधीक्षक भू–राजस्व
का.प्र.	कार्यवाही प्रतिवेदन
आ.वा.क	आयुक्त वाणिज्यिक कर
के.वि.क.	केन्द्रीय विक्रय कर
वा.क.वि.	वाणिज्यिक कर विभाग
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
उप. आयु.	उप आयुक्त
उ.म.नि.पं.	उप महानिरीक्षक पंजीयन
जि.प.	जिला पंजीयक
प्र.क.	प्रवेश कर
भा.स.	भारत सरकार
म.प्र.शा.	मध्य प्रदेश शासन
व.एवं से.क.	वस्तु एवं सेवा कर
एच.डी.पी.ई.	हाई डेंसिटी पोली ऐथिलीन
आं.ले.प्र.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ
आं.ले.प.शा.	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा
महा. पंजी.	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प, मध्य प्रदेश
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.टी.आर	आगत कर छूट (इनपुट टैक्स रिबेट)
सं.महा.पंजी.	संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन
म.प्र.लो.(शो.रा.व.) अ.	मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम
म.प्र.भू.रा.सं.	मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता
म.प्र.पं.रा.अ.	मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम
म.प्र.वैट	मध्य प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (मध्यप्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स)
एम.टी.	मेट्रिक टन
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति

प्र.रा.आ.	प्रमुख राजस्व आयुक्त
रा.पु.प.	राजस्व पुस्तिका परिपत्र
रा.प्र.प्र.प्र.	राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट)
व.जि.प.	वरिष्ठ जिला पंजीयक
मुं.शु.पं.फी.	मुंद्राक शुल्क तथा पंजीयन फीस
अ.भू.रा.	अधीक्षक भू–राजस्व
उ.पं.	उप पंजीयक
क.प्रा.	कर प्राधिकारी
प.आ.	परिवहन आयुक्त
वैट	मूल्य सवंर्धित कर
वे.को.फी.लि.	वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड लिमिटेड